# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १ ] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ६०वां दिवस [ संख्या ३८



शुक्रवार, दिनांक ११ मई, १९६२

---

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, विद्युत, खादी बोर्ड, उद्योग, गृह, सामान्य प्रशासन, खनिज एवं विकास-विभाग ]

**श्री अध्यक्ष** ; श्री भीमसेन।

### जिलेवार प्राथमिक शालायें

६१०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) वर्ष १९६०-६१ में किस किस जिले में कितनी २ प्राथमिक शालायें नई खोली गई थीं ?

(२) प्रत्येक जिले में कितनी २ प्राथमिक शालायें इस वर्ष के अन्त (१९६१-६२) तक खोली जा चुकी हैं तथा विभागीय सर्वे के अनुसार कितनी २ खोली जानी चाहिए ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

**श्री भीमसेन** : यह जानकारी तो डाइरेक्टर के ऑफिस से ही मिल जानी चाहिये थी। यह आप नहीं दे सकते ....

**श्री परसराम मदेरणा** : फीगर्स को रीकोन्साइल करने के लिए विकास अधिकारी से जानकारी मांगी गई थी और उनसे पूर्ण जवाब नहीं मिला।

**श्री अध्यक्ष** : ये आंकड़े तो ऐसे हैं जो सामान्य प्रशासन के तौर पर भी इकट्ठे करने चाहिए।

( विराम )

श्री श्रवणलाल।

### हिण्डौन-खरेटा सड़क

६११. **श्री श्रवणलाल** ( हिन्डौन सु०)

Page No. 2



( श्री श्रवणलाल )

[श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या हिण्डौन से खरेटा (तहसील हिन्डौन) तक सड़क के टेंडर मंजूर हो गए हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसका कार्य अब तक क्यों बन्द है तथा अब कब से कार्य आरम्भ किया जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार ने इस सड़क में से पलोटो तक नई सड़क बनाने की योजना बनाई है ?

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना ): (क) जी नहीं।

(ख) टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह भाला ( नाथद्वारा ) : What is the answer of 'Kha'.

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

**कोलायत तहसील के खातेदार किसानों की राज्याधीन जमीन**

६१२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के वक्त की की गई पैमाइश में खातेदार एवं जागीरदारों की खुदकाश्त की भूमि को जो भूमि पैमाइश के वक्त सम्बन्धित काश्तकार द्वारा काश्त की हुई थी, खुदकाश्त दर्ज कर दिया गया एवं जो भूमि उस वक्त काश्त नहीं की हुई थी खुद काबिज दर्ज की है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा खुदकाबिज खातेदारों की भूमि को राज्याधीन करने के आदेश दिये गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार कोलायत तहसील के कई खातेदार किसानों की जमीनें राज्याधीन कर दी गई हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व ( श्री रामप्रसाद लड्ढा : (क) जी हां; और राज्य सरकार द्वारा खुदकाबिज खातेदारों की भूमि को राज्याधीन करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

(ख) जी हां। तहसील कोलायत के राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के ऐसे खातेदार किसानों की जमीनें जो मिसल बन्दोबस्त में खुदकाबिज के तौर पर कब्जे में दिखाई गई थी राज्याधीन कर ली गई हैं।

श्री भीमसेन : क्या सरकार का यह ऑर्डर देना गैरकानूनी नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने नियमानुसार आदेश दिये हैं।

श्री भीमसेन : इस बारे में बीकानेर स्टेट के वक्त में खुदकाश्त के अधिकार दिये

# Page No. 3



( श्री भीमसेन )

हुए थे उस मिसल बन्दोबस्त के बारे में क्या जानकारी की गई है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : बीकानेर स्टेट के वक्त में अधिकार नहीं दिये गये थे; इन्क्वायरी की गई थी । पर्सनल कल्टीवेशन में थी वह खुदकाश्त में दर्ज करा दी गई और जो जमीनें पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं थीं उन्हें मकबूजा ठिकाने के नाम से दर्ज करा दी गई। मकबूजा ठिकाना होने से सरकार के कब्जे में आनी ही चाहिये थी और जो कल्टीवेटर्स के कब्जे में थी उसके भी राजस्थान केनाल की वजह से खातेदारों के अधिकार नहीं दिये जा सकते । इसलिए सरकारी कब्जे में आनी चाहिये थी ।

**श्री भीमसेन** : यह एक सीधा सा प्रश्न है । बीकानेर स्टेट या जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर किसानों को जमीन बंजर रखनी पड़ती है । जिस वक्त में पैमाइश हुई तो जो बंजर जमीन थी वह खुद काबिज के नाम से दर्ज करा दी और जो कल्टीवेशन में थी वह खुदकाश्त के नाम से दर्ज करा दी । खुदकाश्त और खुदकाबिज में डिफरेन्स नहीं था ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : खुदकाबिज के नाम से दर्ज करा लिया गया, लेकिन उसका इन्टरप्रिटेशन मकबूजा ठिकाना किया गया है और इसीलिए उसको राज्याधीन वेस्ट किया गया । जो जमीनें कल्टीवेटर्स के पास थीं वहां राजस्थान केनाल क्षेत्र होने से उनको खातेदारी के अधिकार अभी भी नहीं दिये जा सकते थे और पहले भी नहीं दिये गये थे । वे जमीनें सरकार में वेस्ट होनी ही चाहिये ।

**श्री भीमसेन** : यह सरकार सूचना दे रही है कि अनऑक्युपाइड खुद-काबिज के नाम से उन्होंने राज्याधीन किया । मिसल बन्दोबस्त में खातेदार का नाम है, खुद मालिक है खातेदार तो राज्याधीन देने के आदेश सरकार कैसे दे सकती थी ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : That was declared to be a wrong entry.

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मणप्रसाद ।

### सिकराय क्षेत्र में नवीन मिडल स्कूल

६१३. **श्री लक्ष्मणप्रसाद**(सिकराय-सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

सरकार की इस वर्ष कितने मिडल स्कूल्स खोलने की योजना है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत सिकराय क्षेत्र में भी कम से कम तीन नवीन मिडल स्कूल्स खोलने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा) : इस वर्ष में ३० प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की योजना है । अभी प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है । निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सिकराय में किसी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया जावेगा ।

**श्री लक्ष्मणप्रसाद** : कोरड़ा का जो प्रोपोज़ल था, तो क्या सरकार ने मन्जूर किया है ?

**श्री परसराम मदेरणा**: Not audible.

# Page No. 4



**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य एक गांव का नाम बता रहे हैं उसका प्रस्ताव आया उसको मन्जूर किया या नहीं ?

**एक माननीय सदस्य :** कोरड़ा नाम बता रहे हैं ।

**श्री परसराम मदेरणा :** यह मैं ऑफ हैन्ड नहीं कह सकता । सिकराय में आपने पूछा है । जयपुर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के प्रोपोज़ल प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड करने के बारे में आये नहीं हैं, इसलिए निश्चितता-पूर्वक नहीं कह सकता ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने का क्या क्राइटेरिया है ?

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट । श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

**श्री परसराम मदेरणा :** इस बारे में हाउस में १५-२० दफा बता चुका हूँ । एब-सेन्ट माइन्डेड

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं 'एब्सेन्ट माइन्डेड'; क्या ये शब्द पार्लियामेन्टरी हैं और प्रयोग करना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष :** एब्सेन्ट माइन्डेडनैस से कहा है ।

( विराम )

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

## जालोर जिला चिकित्सालय में बिजली

६१४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) जालोर जिला चिकित्सालय में बिजली लगाने के लिए सरकार ने कितना रुपया अब तक मंजूर किया है ?

(ख) क्या यह सच है कि इतने रुपये में बिजली लगाने का कार्य पूरा नहीं होगा ? अगर हां, तो कुल कितने रुपयों की लागत में सारा कार्य पूरा होगा ?

(ग) क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए और धनराशि मंजूर करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(घ) उपरोक्त अस्पताल में अब तक बिजली न लगाने के क्या २ कारण थे ?

**विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :** This has been transferred to the Minster for Local Self Government. He will answer. The information has been sent to the Secretariat also.

**श्री अध्यक्ष :** श्री विजयसिंह झाला ।

## गुड़ खांडसारी सहकारी समितियां

६१५. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में कुल कितनी गुड़ खांडसारी सहकारी समितियां बनी हुई हैं ? उनको कुल कितना अनुदान तथा कर्ज दिया

( श्री विजयसिंह झाला )

हुआ है तथा उसमें वसूल करने योग्य कर्जे कितना हो चुका है।

(२) इन समितियों में से लाभ कितनों को हुआ व कितना तथा नुकसान कितनी समितियों को हुआ ?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): (१) ५२ गुड़ खांडसारी सहकारी समितियां हैं। ४० समितियों को ऋण ३,१६,१६३.३३ नये पैसे, सहायता ५८,०६६.६६ नये पैसे वितरित किया गया है। उक्त ऋण में से १३,०८०) २६ नये पैसे आने थे जिसमें से ३,८५१.२६ नये पैसे आ गये, शेष ६,२२८.६७ नये पैसे शेष हैं।

(२) बोर्ड को अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार ६ समितियों को लाभ हुआ तथा ८ समितियों को नुकशान हुआ। लाभ की राशि की जानकारी बोर्ड को अभी प्राप्त नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** : ६ को लाभ हुआ है और ८ को नुकसान हुआ है। ५२ समितियां बना रखी हैं, दूसरों का क्या होगा ?

**श्री चन्दनमल वैद** : कइयों ने काम शुरु नहीं किया है।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या कारण है, इसकी जांच की है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : बहुत सी सहकारी समितियां पिछले साल बनी हैं। कुछ ने इस साल काम शुरु किया है और कुछ ने नहीं किया है।

**श्री विजयसिंह झाला** : ऐसी कितनी समितियां आपने बनाई हैं कि उनको एक साल पूर्व ऋण दिया और आज तक काम चालू नहीं किया ?

**श्री चन्दनमल वैद** : ऐसी कोई समिति नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि जहां इस प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं वहां पर कितने एकड़ का गन्ना होना चाहिए और इतना गन्ना होने पर ही इस प्रकार की समितियां बनाई जावेंगी, इसका कोई आधार है सरकार के पास ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिराम।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन्ना न होने पर भी सहकारी समितियां बनाई हैं। यह मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहता था जवाब पहले प्रश्न का मिलने पर।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री हरिराम।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि जो साधन सरकार से दिये गये हैं उनसे पर्सेन्टेज शक्कर का कम बैठता है, इससे वे समितियां नुकसान में जाती हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हम सहकारी समिति बना कर गुड़ बनायेंगे तो सहकारी समिति बना दी जाती है।

**श्री विजयसिंह झाला** : जो मशीनरी सप्लाई की जाती है वह नियमानुसार साढ़े पांच परसेन्ट....

# Page No. 6



**श्री अध्यक्ष** : Order ! Order !! Next.

**श्री विजयसिंह झाला** : अध्यक्ष महोदय, जो मशीनरी सरकार द्वारा सप्लाई की जाती है उसका परसेन्टेज कम बैठता है।

**श्री अध्यक्ष**: मशीनरी कोई सप्लाई नहीं करते।

**श्री विजयसिंह झाला** : सप्लाई करते हैं, लेकिन जितना परसेन्टेज बैठना चाहिये उतना नहीं बैठता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिराम।

## किशनगढ़-कोटकासिम सड़क

६१६. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से कोटकासिम को जाने वाली सड़क दो वर्ष से पूर्ण नहीं हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी इसको बनाने की योजना थी किन्तु इसका निर्माण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना)** : (क) जी हां।

(ख) अलॉटमेन्ट कम होने के कारण।

**श्री हरिराम चौहान** : अब यह काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : दस मील इस साल पूरा हो जावेगा।

**श्री हरिराम चौहान** : बाकी का काम कब पूरा होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : अब मत पूछिये काफी ठीक उत्तर मिल चुका है।

## ग्राम गुड़ा (नाथद्वारा) में हायर सेकन्डरी स्कूल

६१७. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि तहसील नाथद्वारा के गांव गुड़ा में दिनांक ३ जनवरी, १९६२ को हायर सेकन्डरी स्कूल का शिलान्यास किया गया था ?

(२) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस गांव में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने के लिये क्या कदम उठाया ?

(३) क्या सरकार इस वर्ष कोई अनुदान इस कार्य के लिये देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना तथा कब तक ?

(४) यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

(५) इस स्कूल के लिये बिल्डिंग की अब तक क्या व्यवस्था की गई ?

**उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा)**: (१) जी हां।

(२) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन बन जाने पर ही इस बारे में कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।

( श्री परसराम मदेरणा )

(३) अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस विद्यालय के लिए इस वर्ष कोई अनुदान दिया जा सकेगा, क्योंकि विभाग के पास भवन निर्माण के लिए एक लाख की धनराशि है और वह पहले ऐसे विद्यालयों को अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करेगा जिन्हें इसकी नितान्त आवश्यकता है ।

(४) यह बताना कि यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा, अभी संभव नहीं है ।

(५) अभी इस विद्यालय के लिए ३ कमरे २० फीट बाई १६ फीट साइज़ के बन रहे हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : जिस समय इसका शिलान्यास किया गया उसी साल भवन के लिए सहायता दी जावेगी और हायर सेकन्डरी स्कूल उसी साल खुल जायेगी, इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था मुख्य मंत्री द्वारा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया गया हो, यह हमें मालूम नहीं है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार का आश्वासन शिलान्यास के समय दिया जाता हो उसके बाद उसका पालन नहीं किया जाता तो क्या समझा जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : उस बिल्डिंग की टैक्निकल सेंक्शन हो चुकी थी ।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : इस प्रकार के आश्वासनों का क्या कोई रेकॉर्ड रखा जाता है कि फलां मंत्री ने फलां जगह यह आश्वासन दिया है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : इस शिलान्यास पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**भोपालसागर शुगर मिल**

६१८. **श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि भोपालसागर शुगर मिल गन्ना खरीदने में काश्तकारों को परेशान करती है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि भोपालसागर शुगर मिल एक एक वर्ष तक किसानों को गन्ने की कीमत नहीं चुकाती है ?

**उप-मन्त्री, उद्योग** ( श्री चन्दनमल वैद ) : (१) ऐसी कोई शिकायत नहीं है । परन्तु किसान गन्ना बेचने की जल्दी में होता है और मिल एक दम सब माल खरीद नहीं कर पाती ।

(२) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

# Page No. 8



**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि किसानों को जून तक गन्ना तुलाना पड़ता है, जून तक खेत में खड़ा रखना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है; फिर जाकर गन्ना खरीदा जाता है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : कृषि के लिये यह आवश्यक होगा।

**श्री अब्दुलजब्बार** : जून में पानी कम हो जाता है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : हर खेत की जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : पानी की कमी के कारण इस पर बुरा असर पड़ता है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह आप कृषि मन्त्रीजी से पूछिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि इस एरिया का एक डेपुटेशन मुख्य मन्त्रीजी से मिला था और उन्होंने शिकायत की थी कि भोपालसागर मिल वाले गन्ना उठाते नहीं हैं जिससे परेशानी हो रही है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री जोधसिंह चौहान** ( गिरवा ) : क्या यह सही है कि खानपुर नाम के गांव में पानड़ी वितरित की गई; वहां के व्यक्तियों से एक, एक पानड़ी का गन्ना लिया गया और जिनको दो-दो दी थीं वह उनसे वापिस छीन ली गई ?

**श्री अब्दुलजब्बार** : कितना एकरेज है इस मिल के लिये

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## शेखपुर-कोटकासिम सड़क

६१६. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा के ग्राम शेखपुर से कोटकासिम तक सड़क कच्ची है जिससे जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार इस सड़क को पक्की बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) कच्चा रास्ता है।

(ख) जी नहीं।

**श्री हरिराम चौहान** : इसको पक्का बनाने का भी कभी विचार है क्या ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : चौथी योजना में विचार किया जा सकता है।

**श्री हरिराम चौहान** : अभी क्या पता, चौथी में क्या क्या काम होगा।

## पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड

६२०. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) :

( श्री गोविन्दसहाय )

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जो पाठशालायें शिक्षा विभाग के अधीन हैं उनके अध्यापकों को मैट्रिक ट्रेन्ड की ग्रेड दी जाती है ? यदि हां, तो पंचायत समिति के अधीन अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड क्यों नहीं दी जाती ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : यह सही है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो पाठशालायें हैं उनके अध्यापकों को बजट की निर्धारित संख्या के अनुसार ट्रेन्ड मैट्रिक की ग्रेड दी जाती है व इसी प्रकार पंचायत समितियों के अध्यापकों को भी बजट की निर्धारित संख्या के अनुसार ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिया जाता है।

**श्री गोविन्दसहाय** : अभी तक उनको नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : ग्रेड तो दिया जा रहा है किन्तु पोस्टें थोड़ी हैं उनके अनुसार मिलता है।

**श्री गोविन्दसहाय** : पंचायत समिति के टीचर्स को अभी तक नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो सबके लिये है।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : सरकार की घोषणा के अनुसार जितने भी स्थाई टीचर्स हैं उनको ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड देने की सरकार ने घोषणा की है, चाहे वे पंचायत समिति में हों या गवर्नमेन्ट स्कूल्स में हों ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यही तो मिल रहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : संख्या निर्धारित की हुई है या बजट में नहीं है, यह सवाल नहीं रहता; क्योंकि जो परमानेन्ट पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं उनको ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड मिलना चाहिये।

**श्री परसराम मदेरणा** : रिवाइज्ड पे स्केल्स के अनुसार रनिंग ग्रेड मिलेगा, उसमें पोस्ट्स का प्रश्न नहीं रहेगा। ट्रेन्ड मैट्रिक के ग्रेड का प्रश्न है। राजकीय विभागों में तो यह लागू कर दिया है और पंचायत समितियों में यह लागू करने का सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह** : इस हाउस में यह आश्वासन दिया गया था कि ट्रेंड मैट्रिक का ग्रेड मिलेगा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : फाइनल निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उनको भी वही रनिंग ग्रेड मिलेगा।

**श्री गोविन्दसहाय** : क्या इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इरादा है तो दिये ही गये हैं।

**श्री गोविन्दसहाय** : इस बारे में फाइनल निर्णय कब ले लिया जायेगा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : महीने भर में निर्णय ले लिया जायेगा।

## चोरियां और उनकी बरामदगी-हनुमानगढ

६२१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सन् १९६१-६२ में हनुमानगढ़ में कितनी चोरियां हुई हैं और उनमें से आज तक कितनी चोरियां बरामद हुई हैं ?

**गृह मंत्री** ( श्री मथुरादास माथुर ) : हनुमानगढ़ में दिनांक १-४-६१ से ३१-३-६२ तक १९ नकबजनियां व ७ चोरियां हुई हैं; जिनमें से २ नकबजनियों व २ चोरियों में बरामदगी हुई।

**श्री श्योपतसिंह** : क्या सरकार इतनी नकबजनियां हुई ,उसको सन्तोषजनक मानती है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## जयपुर जिले की चारागाह भूमि

६२२. **श्री लक्ष्मणप्रसाद**(सिकराय-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर जिले में कितनी चारागाह भूमि पर नाजायज़ कब्जा व काश्त हो रही है ?

(२) क्या सरकार इस प्रकार के नाजायज़ कब्जों एवं काश्त का प्रबन्ध कर वहां भूमि पंचायतों को सुपुर्द करने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कितने समय में वह चारागाह भूमि पंचायतों के सुपुर्द कर दी जावेगी ?

**उप-मंत्री, राजस्व** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : (१) ५.४४१ बीघा ८ बिस्वा चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा व काश्त है।

(२) जी हां।

(३) यथाशीघ्र ।

## पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों की उच्च योग्यता प्राप्ति पर तरक्की

६२३. **श्री गोविन्दसहाय** ( गंगापुर ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पंचायत समिति के अधीन स्कूलों में जो अध्यापक उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं उनको तरक्की देने का क्या नियम है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री परसराम मदेरणा ) : शिक्षा विभाग में अध्यापकों का प्रमोशन वरिष्टता के अनुसार होता है। जो अध्यापक जिस ग्रेड में वरिष्ट हैं उनको नियमानुसार उच्चतर उच्च ग्रेड दी जाती है, यदि वे उसके योग्य हों तो।

इस नियम के अनुसार पंचायत समिति में जो अध्यापक वरिष्टता के अनुसार प्रमोशन के योग्य हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है। ट्रेन्ड मैट्रिक तक का ग्रेड पंचायत समितियों में है। इस ग्रेड तक के प्रमोशन पंचायत समिति के अध्यापकों को वहीं मिल जाते हैं ।

१-१०-५९ के पूर्व जिन अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिया जा चुका है उन सब के लिये यदि वे इन्टर पास हैं तो ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड दिये जाने की आज्ञा दी जा चुकी है। भविष्य में भी जैसे जैसे ट्रेन्ड

# Page No. 11



( श्री परसराम मदेरणा )

इन्टर के स्थान रिक्त होंगे पंचायत समिति व राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को वरिष्ठता के अनुसार प्रोमोशन दिये जावेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : क्या यह सही है कि जब वह जगह खाली होती है सरकारी स्कूलों के टीचर्स को मौका दिया जाता है, तरक्की के लिये; उसके लिये पंचायत समिति में जो टीचर्स हैं और हायर क्वालिफाइड हैं उन खाली जगहों के लिये उनको मौका नहीं दिया जाता ? यह भेदभाव पंचायत समिति के टीचरों के साथ क्यों किया जाता है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रोमोशन सीनियोरिटी-कम-मैरिट पर किया जाता है। लेकिन कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट बनी नहीं है; नई ग्रेड लागू हो जाने के बाद कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट बन जावेगी।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** ( भीम ) : क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति में काम करनेवाले टीचरों को प्रोमोशन के वक्त कन्सीडर नहीं किया जाता ?

**श्री परसराम मदेरणा** : सीनियोरिटी का मतलब मैरिट भी है और प्रोमोशन के वक्त सीनियोरिटी और मैरिट दोनों देखे जाते हैं। नई ग्रेड लागू होने और सीनियोरिटी लिस्ट बनने के बाद में कोई भेदभाव नहीं रहेगा।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : तो क्या यह कॉमन लिस्ट बनने तक जो प्रोमोशन दिये गये हैं उनको अस्थाई समझा जावेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : इसके बारे में तो कहा जा चुका है।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, ये टेम्पोरेरी समझे जावेंगे।

## धरियावद-सलूम्बर सड़क

६२४. **श्री उदयलाल बरदिया** ( लसाड़िया ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि धरियावद से सलूम्बर सड़क का निर्माण का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होना था ?

(२) क्या इस कार्य को प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो पूरी योजना के कार्य काल में इस रोड पर कितना कार्य हुआ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पूरे योजना के कार्य-काल में डेढ़ माइल टुकड़े का कार्य भी नहीं हो पाया है ?

(४) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना ) : (१) ग्रेवल रोड का केवल इम्प्रूवमेन्ट का था।

(२) जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ६०,५३० ) रु० का कार्य किया गया है।

( श्री भवानीशंकर नन्दवाना )

(३) यह सही नहीं है। १३ मील में काम हुआ है।

(४) तीसरी योजना में।

**श्री उदयलाल बरदिया** : आप इसकी जांच करवायेंगे कि डेढ़ मील का टुकड़ा भी नहीं बना है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : बचत में से डेढ़ मील बनाया गया है।

**श्री उदयलाल बरदिया** : आधा मील भी नहीं बना है; आप देखें चल कर।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैटल पड़ा है और काम चालू है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : इसके लिये भी कह दीजिये कि तीसरी या चौथी योजना में बन जावेगा।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : यह काम कब पूरा हो जाना चाहिये था ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : तीसरी योजना में। इसमें जितनी रकम खर्च होनी थी हो गई थी इसलिए तीसरी योजना में काम चल रहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसके लिये टेन्डर्स कब दिये गये ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

## तहसील लसाड़िया में भूमिहीनों के भूमि प्राप्ति हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

६२५. **श्री उदयलाल बरदिया** ( लसाड़िया ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(१) क्या यह सही है कि तहसील लसाड़िया में भूमिहीनों की भूमि मिलने सम्बन्धी कई दरख्वास्तें अलॉटमेन्ट कमेटी के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ये किस किस पटवार सर्कल से सम्बन्धित हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि पटवारियों ने बिना अलॉटमेन्ट के ही किसानों से खेती करवा दी है और उसका लगान राज्य कोष में जमा नहीं कराया है ?

**उप-मंत्री, राजस्व** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : (१) जी हां। तहसील लसाड़िया में १,८६४ भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं; जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री उदयलाल बरदिया** : यह अलॉटमेन्ट कमेटी किस तारीख को हुई थी आज से पहले ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, यह सबसे पहले निवेदन कर दूं कि ये सारी दरख्वास्तें जुलाई, ६१ से ही पेन्डिंग में पड़ी हैं और पहला अलॉटमेन्ट ७-१२-६१ को हुआ था। इसमें पारसुला और भूमघर के

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

किसानों को जमीन अलॉट हुई थी। इसके बाद इलेक्शन आ गया और उसकी वजह से मीटिंग नहीं हो सकी।

**श्री उदयलाल बरदिया** : जुलाई, ६१ की दर्ख्वास्तें पेन्डिंग नहीं हैं क्या अब भी और जुलाई, ६१ के बाद में इतनी दर्ख्वास्तें पेन्डिंग में होने पर भी अलॉटमेन्ट कमेटी क्यों नहीं हुई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जुलाई, ६१ के पहले की नहीं है, बाद की हैं। अब मैंने उत्तर दिया कि इसके बाद एक कमेटी हुई जिसने अलॉटमेन्ट किया। बाद में इलेक्शन आ गया इसलिए बैठकें नहीं हो सकीं। अब इस मास में बैठक हो रही है। इसमें अलॉट करदी जावेंगी।

**श्री उदयलाल बरदिया** : तथ्य यह है कि १,८९४ दर्ख्वास्तें ५९ से भी पहले की हैं। १,४२२ दर्ख्वास्तें ६० के बाद की और प्रस्तुत हुई हैं और उनको राजनैतिक खींचतान के कारण पेन्डिंग में रखा जा रहा है, अलॉट नहीं कर रहे है। मैं वह जानकारी लाया हूँ। सदन चाहे तो डिटेल में रख सकता हूं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : खींचतान राजनीति की कोई रही हो, ऐसा नहीं है; जितनी दर्ख्वास्तें हैं पंचायतवाइज़ हैं। वे सब इस मास में डिस्पोज़ ऑफ हो जावेगी।

## प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

६२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्राथमिक शाला नाल बड़ी एवं करनीसर को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने हेतु पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, बीकानेर ने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेज दी है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : (१) अभी तक प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है। प्राथमिक शाला नाल-बड़ी एवं करनीसर को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के प्रश्न पर दूसरी ऐसी ही शालाओं के साथ साथ यदि ये भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती होंगी तो विचार किया जावेगा।

## सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी

६२७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी की उत्पादन क्षमता गत वर्षों से कम होती जा रही है ? इसका इस समय कितने टन का दैनिक उत्पादन है ?

(२) क्या उक्त सीमेन्ट कम्पनी निकट भविष्य में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है ?

(३) क्या उक्त उद्योग मजदूर बस्तियों के लिये नया निर्माण करना चाहता है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा गरमपुरा पंचायत के पूरे क्षेत्र को अपने खाते बँधवाने की कार्यवाही की गई है ?

( श्री हरिप्रसाद शर्मा )

(५) यदि हां, तो सरकार उक्त जमीनें लेकर क्या करना चाहती है ?

(६) क्या यह सही है कि मजदूरों के अलावा इस पंचायत क्षेत्र में करीब दस हजार जनता रहती है ?

(७) यदि हां, तो उनके लिये निजी मकान कीमत पर बनाने व व्यवसाय के लिये कौनसी जमीन सरकार ने रिज़र्व की है ?

**उप-मन्त्री, उद्योग** ( श्री चन्दनमल वैद ) : (१) जी नहीं। इसका इस समय ३,५२,००० टन प्रति वर्ष ( लगभग १,१२५ टन प्रति दिन) का उत्पादन है।

(२) उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री निकट भविष्य में एक मार्शलिंग यार्ट तथा जिप्सम के लिए स्टोर के निर्माण की योजना रखती है। इसके अतिरिक्त नए क्रशिंग प्लान्ट लग जाने के बाद उत्पादन बढ़ने की आशा है।

(३) चालू वर्ष में कम्पनी की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) सरकार उक्त जमीन नहीं ले रही है।

(६) जी नहीं।

(७) निजी मकान बनवाने तथा व्यवसाय के लिए जमीन म्यूनिसिपल क्षेत्र में जहां जमीन खाली है वहां दी जा सकेगी।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : मन्त्री महोदय ने पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि लाखेरी की उत्पादन-क्षमता बढ़ रही है; पर मैं बताऊं कि इस फैक्ट्री में उत्पादन एकदम बन्द हो गया है। इसकी जानकारी मन्त्री महोदय ने नहीं दी।

**श्री चन्दनमल वैद** : मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपका यह कहना है कि इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता घट रही है।

**श्री चन्दनमल वैद** : मैंने फिगर्स बताये हैं न।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : इससे पहले कितना उत्पादन होता था, पिछले वर्ष का बता दें; पिछले पांच सालों का बता दें ?

**श्री चन्दनमल वैद** : ६०-६१ में ३,५०,५६१ टन और ६१-६२ में ३३,३०,-७३० टन, तो यह तो इस पर से नहीं कह सकते कि घट रहा है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : ३५० से ३३० रह गया इस साल तो क्या यह ह्रास नहीं है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : अब आप एक एक टन का हिसाब लगाएं तो इससे घट-बढ़ नहीं आंक सकते। ३३० का ३५२ भी हो सकता है, तो ३५२ का ३३० भी हो सकता है। इसमें कोई अन्तर नहीं है। इतना तो घटता-बढ़ता रहता है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : कोई मजदूर बस्तियों का निर्माण वहां नहीं करना चाहती कम्पनी तो फिर मजदूर बस्तियों के नाम पर हजारों बीघा जमीन एक्वायर कर रखी है यह क्यों की और मजदूरों के लिये नये मकानों की

( श्री हरिप्रसाद शर्मा )
कौनसी व्यवस्था है ? एक तरफ मजदूरों के घर नहीं, लोगों को जमीन नहीं मिल रही है अपना घर बनाने के लिये और दूसरी ओर योजना बनाने के नाम पर काफी जमीन रिज़र्व की जा रही है । इसके बारे में क्या जवाब है आपका ?

**श्री चन्दनमल वैद :** मैंने जवाब दिया है । इस साल नहीं है और जो प्राइवेट लोग मकान वगैरह बनाना चाहते हैं तो काफी जमीन है, उनको दी जा सकती है ।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, श्री भगराज ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और; बहुत महत्वपूर्ण मसला है यह ।

**श्री अध्यक्ष :** यह पहले भी प्रश्न आप उठा चुके हैं सदन में । नेक्स्ट ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भगराज चौधरी ।

**सड़कों का विकास-बाड़मेर व जालोर जिला**

६२८. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( १ ) क्या यह सही है कि जालोर व बाड़मेर जिलों में अन्य जिलों की तुलना में सड़कों का विकास बहुत कम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

( २ ) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो क्या ?

( ३ ) क्या उक्त प्रावधान के तहत बनाई गई योजनाएं शीघ्र ही कार्यान्वित कर दी जायेंगी ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना ) :** अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना कलेक्ट नहीं हो पाई है; इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई ( सांचोर ) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न ६१४ है....

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या ६२६ ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** वित मंत्री महोदय ने जवाब क्यों नहीं दिया ?

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ६२६ ।

**हायर सेकेन्डरी स्कूल, सांचोर में विज्ञान व वाणिज्य विषय**

६२६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( १ ) क्या यह सच है कि सांचोर हायर सेकेन्डरी स्कूल में साइन्स व कॉमर्स सब्जेक्ट्स खोलने की मांग काफी समय पूर्व आई थी ?

( २ ) अगर हां, तो उस बारे में अब तक सरकार ने क्या किया है ?

( ३ ) क्या सरकार आने वाले सेशन में उपरोक्त स्कूल में साइन्स या कॉमर्स सब्जेक्ट खोल देगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

( श्री रघुनाथ बिश्नोई )

( ४ ) अब तक उपरोक्त विषय उक्त स्कूल में नहीं खोलने का क्या कारण है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : ( १ ) जी हां।

( २ ) भवन की कमी, बोर्ड तथा विभागीय शर्तों के पूर्ण न होने के कारण वे विषय नहीं खोले जा सके।

( ३ ) भवन पूर्ण होने, विभागीय तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण होने पर ही इस विषय पर विचार किया जा सकता है।

( ४ ) भवन की कमी, बोर्ड तथा विभागीय शर्तों के पूर्ण न होने के कारण ही नहीं खोले जा सके।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : यह भवन की कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : भवन का मामला अण्डर कन्सीडरेशन है और उसका कन्स्ट्रक्शन चलेगा तो इस साल के बजट में भी २२ हजार रुपये का प्रोविज़न रखा है और कम्पलीट होने के बाद ही कहा जा सकता है।

**प्रश्न संख्या ६३०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जीवराज।

( अनुपस्थित )

## अलवर शहर से पहाड़ के पीछे होकर जाने वाली विजय मन्दिर तक सड़क

६३१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर से विजय मन्दिर को पहाड़ के पीछे होकर जाने वाली सड़क बनाने की मन्जूरी हो चुकी है तथा इस सड़क का ठेका भी दिया जा चुका है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस समय इस सड़क पर काम रुका हुआ पड़ा है ?

(३) अगर हां, तो क्यों ? सरकार इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। केवल २ मील सड़क की मरम्मत की स्वीकृति दी गई थी जो कार्य पूरा हो चुका है। केवल डामर किया जाना बाकी है जो एक माह में पूरा कर दिया जायेगा।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) ४ मील सड़क की स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

## हायर सेकन्डरी स्कूल, सांचोर

६३२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि सांचोर में हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए नया भवन निर्माण हो रहा है ? अगर हां, तो इसमें अब तक

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कितना रुपया लग चुका है और कितना काम हो चुका है और पूरा भवन निर्माण में कितना रुपया खर्च होगा ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस भवन निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की धनराशि मंजूर की थी जो काट कर सिर्फ ७०,०००) रु० कर दी गई ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया और अब सरकार कब तक पूरी रकम मंजूर कर देगी ?

(ग) क्या सरकार जल्दी से जल्दी भवन निर्माण करने का विचार रखती है ?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त स्कूल भवन निर्माण के लिए अधिक से अधिक धनराशि मंजूर करने का विचार रखती है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा)** : (१) जी हां, अब तक ४४,२८०) रु० खर्च हो चुका है तथा कुल लगभग २,२४,२६०) रु० लगेगा।

(२) १ लाख रुपये मंजूर किये गये थे जिन्हें काट कर ७०,०००) रु० किये गये थे। अन्य शाखा भवनों की अत्यन्त आवश्यकतानुसार उपरोक्त रकम में से वितरित कर दिया गया। आवश्यकतानुसार आगे रकम मंजूर करने पर विचार किया जायेगा।

(३) जी हां, स्वीकृति के अनुसार कार्य चालू है और जून मास तक पूर्ण हो जावेगा।

(४) इसका उत्तर प्रश्न संख्या(२)में दिया जा चुका है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : जो रकम काट दी गई थी इस वर्ष में दी जायेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : काट दी गई, यह देना तो जरूरी नहीं है। वह आप की ही तहसील में दी गई है और पहले एक लाख मंजूर कर दिया और यह देखा गया कि फाइनेन्शियल कैपेसिटी नहीं है और दूसरी जगह जरूरत थी इसलिए आप ही की तहसील में कराना वगैरह में दे दी गई।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : २ लाख २५ हजार रुपया लगेगा तो इसमें जब एक लाख मंजूर कर दिया गया है और भवन निर्माण जल्दी से जल्दी होगा तो जो पिछली साल कम कर दिया गया था वह इस वर्ष बिल्डिंग पूरी करने के लिए अनुदान दिया जायेगा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जो काम इन हैंड है वह पहले किया जावेगा। कन्स्ट्रक्शन शुरू किया था वह पूरा हो जायेगा।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : क्या हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए दूसरी बिल्डिंगों के लिए भी दिया हुआ है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा।

## पानों की खेती का विकास

६३३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील के लाखेरी ग्राम में पानों की खेती होती है

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

और अधिकतर परिवार इस लघु उद्योग से ही अपना निर्वाह करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस धन्धे के लिये मुख्यतया डांडे (लकड़ी) की आवश्यकता होती है ?

(३) यदि हां, तो किसानों को अतीत में डांडे कहां से किस शर्त पर लाने की आज्ञा दी जाती रही है ?

(४) क्या इस वर्ष अभी तक बीज बोने का समय हो जाने पर भी किसानों को डांडों को काट कर लाने की इजाजत नहीं दी गई है व फलस्वरूप समय पर साधन नहीं मिलने से फसल नहीं बोई जा सकेगी ?

(५) यदि हां, तो इस वर्ष सरकार के द्वारा डांडों की व्यवस्था न करने में क्या अड़चनें थी ?

(६) क्या सरकार अब शीघ्र ही इस लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु डांडों की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

**उप-मंत्री, पंचायत** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) यह सही है कि पाटन तहसील, लाखेरी ग्राम में कुछ रकबे में पानों की खेती होती है, किन्तु यह सही नहीं है कि अधिकतर परिवार इससे ही अपना निर्वाह करते हैं। लाखेरी में केवल १५ परिवार ऐसे हैं जो यह धन्धा अपने दीगर धन्धे के साथ करते हैं।

(२) जी हां।

(३) किसानों को अतीत में डांडे इस्त्र शरह राजस्व पत्र रेंज कापरेन के काश्तकारों के लिए निर्धारित कूपों से लाने की इजाजत दी जाती रही है।

(४) जी नहीं। किसानों को इस वर्ष में अब तक लगभग ६६,००० डांडे दिये जा चुके हैं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) पान की खेती करने वाले किसानों को पहले ही से डांडे देने की व्यवस्था प्रचलित है। इसलिये अब कोई अन्य व्यवस्था करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह जो आपने बताया है कि डांडे दिये गये तो क्या यह पानों की खेती के लिए दिये गये हैं ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : क्या कहा आपने ?

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : आपने बताया कि पानों की खेती के लिए डांडे चाहिये और वह आपने कहा कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार दिये जाते रहे हैं और शरह राजस्व पत्र रेंज कापरेन से दिये जाते रहे हैं तो वह क्षेत्र तो करीब ५० मील का लम्बा-चौड़ा है। उसके लिए रिज़र्व जंगल था और इस वर्ष नहीं दिया गया, इसके बारे में आपका क्या जवाब है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : मैंने निवेदन किया कि यह व्यवस्था पहले से प्रचलित थी और डांडे के बिना पानों की खेती नहीं

( श्री दिनेशराय डांगी )

हो सकती इसलिए पहले से ही लोगों को अनुमति दी हुई है और इसके लिए वहां केवल १५ परिवार ऐसे हैं कि जो पानों की खेती करते हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : आपने बताया है कि किसान डांडे इस्व शरह राजस्व पत्र रेंज कापरेन से लेते हैं और ६६,००० डांडे कटे हैं। वे कौन से जंगल हैं जहां से वे हमेशा से लेते रहे हैं, आप इतना और बता दें, रेंज तो बहुत लम्बा- चौड़ा होता है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

## सड़क निर्माण

६३४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि कस्बा ढहरा से तेहड़पुर, हाजीपुर और ठठीकर होती हुई अलवर शहर को आने वाली कोई पक्की सड़क नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता कितने ही अर्से से इस सड़क की मांग कर रही है ?

(३) क्या सरकार ने निकट भविष्य में इस सड़क को बनाने का फैसला किया है ?

(४) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना ) : (१) हां, यह सही है।

(२) जी नहीं।

(३) यह सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सर्वे का काम अभी इसी योजना में शुरू कराया जा सकता है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : हां, सर्वे शुरू कराई जा सकती है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : करा लेंगे, क्या यह आश्वासन देंगे ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : आपने ध्यान दिलाया है तो कराई जायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उदयलाल बरदिया।

## टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स को खातेदारी राइट्स

६३५. **श्री उदयलाल बरदिया** (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

लसाड़िया तहसील में टेम्पोरेरी कल्टीवेटर के रूप में कितने काश्तकार किस किस पटवार सर्किल में खेती करते हैं तथा उन्हें टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी राइट्स क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? ये राइट्स उन्हें कब तक दे दिये जायेंगे ?

**उप-मंत्री, राजस्व** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : तहसील लसाड़िया में टेम्पोरेरी कल्टीवेटर के रूप में जितने काश्तकार जिस जिस पटवार सर्किल में खेती करते हैं उसकी सूचना निम्न प्रकार है :-

| क्रम सं० | नाम पटवार सर्किल | टेम्पोरेरी कल्टीवट |
|---|---|---|
| १. | भोजपुर | ६ |
| २. | गदवास | ६ |
| ३. | भुंगाना | १२ |
| ४. | पारसोला | ५ |
| ५. | अणत | ८ |
| ६. | खुंता | १ |
| ७. | मांडवा | ५२ |
| | योग | ९१ |

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये गये, इस बारे में जांच की जा रही है।

अब जो लोग ऐसे अधिकार पाने के अधिकारी समझे जायेंगे नियमानुसार शीघ्र ये अधिकार दे दिये जावेंगे।

**श्री उदयलाल बरदिया** : कब तक दे दिये जावेंगे ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने कहा है कि शीघ्र ही दे दिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्योपतसिंह।

**गंगानगर की अदालतों में बैठने आदि की व्यवस्था**

**६३६. श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार को विदित है कि गंगानगर की अदालतों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बैठने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या को हल करने के संबंध में क्या विचार कर रही है ?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : गंगानगर की अदालतों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक विज़िटर्स रूम बना हुआ है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिराम।

**हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां अलवर**

**६३७. श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को बहुत बड़ी मात्रा में इस वर्ष छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं और इस कारण हरिजन विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफी असुविधा हो रही है ?

(२) यदि हां, तो छात्रवृत्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : (१) जी नहीं, इस वर्ष अलवर जिले के अनुसूचित जाति के ३४१ और अनुसूचित जन जाति के १०६ विद्यार्थियों को छात्रवृति मिली है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : संख्या क्या बताई आपने ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अनुसूचित जाति के ३४१ और अनुसूचित जन जाति के १०६।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कुल दरख्वास्तें कितने विद्यार्थियों की आई थी, छात्रवृत्ति के लिए ?

**श्री परसराम मदेरणा** : वे फीगर्स तो मेरे पास में नहीं हैं लेकिन कुछ दरख्वास्तें इनकम्पलीट थीं इसलिए वे रिजेक्ट हुई थीं और वे १५० के अन्दाजन होंगी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : प्रश्न तो यही पूछा गया था कि कितनी दरख्वास्तें आईं ? उसमें से अधिकतर लोगों को नहीं मिली हैं तो कुल कितनी दरख्वास्तें आईं और उनमें से कितनों की मन्जूर हुई; उससे पता चलेगा कि अधिकतर लोगों को छात्रवृत्ति मिली है या नहीं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया है।

**श्री अध्यक्ष** : रिजेक्ट कितनी हुईं, आपने फिगर्स बताई थी।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं निवेदन कर देता हूं। दरख्वास्तों का नम्बर यह है कि अनुसूचित जाति के लिए ५५४ और अनुसूचित जन जाति के लिये १५० थी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इससे साबित होगा कि ५५४ में से १५० मन्जूर हुई तो अधिकतर को छात्रवृत्ति नहीं मिली ?

**श्री परसराम मदेरणा** : १५० नहीं, ३४५ मन्जूर हुई हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बाकी ये इतने नामंजूर होने का क्या कारण है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैरिट पर दी जाती है स्कॉलरशिप्स और जितने पैसे थे उतने दे दिये गये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्टवाइज़ इस मद में रकम मुकर्रर की है कि हर जिले में इतनी मिलेगी या सारे प्रान्त को मान कर मैरिट तय किया जाता है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बाद में डिस्ट्रिक्टवाइज़, ब्रेक-अप हो जाता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या जितना अलवर जिले का कोटा था वह सारा का सारा अलॉट हो गया या उसमें से लैप्स हो गया ?

**श्री परसराम मदेरणा** : सभी डिस्ट्रिक्ट्स का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट का मुझे मालूम है, लैप्स नहीं हुआ है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : एप्लीकेशन्स फोर्मल डिफेक्ट्स के कारण कितनी खारिज हुई हैं ? जो फोर्मल डिफेक्ट्स के कारण खारिज हुई हैं उन पर पुनर्विचार करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री भगराज।

Page No. 22



**श्री परसराम मदेरणा** : पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है।

**श्री हरिराम चौहान**:जिन लोगों को छात्र-वृत्तियां नहीं मिलती हैं उनको कठिनाई होती है, इसलिए जिनको नहीं मिली हैं उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है?

**श्री अध्यक्ष** : श्री भगराज !

**भूमिहीन काश्तकारों को नियमानुकूल भूमि आवन्टन, तहसील भीनमाल**

६३८. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) भीनमाल तहसील में सरकार ने अब तक कितनी सरकारी भूमि भूमिहीन किसानों को अलॉट की है?

(२) क्या यह सही है कि जितनी जमीन सरकार ने अब तक अलॉट की है उसमें से १० प्रतिशत जमीन उन व्यक्तियों को की गई है जिनके पास पहले से ही काफी जमीन थी?

(३) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार भूमिहीन काश्तकारों को फिर से कायदे के अनुसार भूमि अलॉट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : भीनमाल तहसील में सन् १६५७ से १६६१ तक ३,११० एकड़ सरकारी भूमि भूमिहीन काश्तकारों को अलॉट की गई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : जो भूमि अलॉट की गई थी उसका कब्जा दिया गया था क्या?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कब्जा नहीं देने की शिकायत नहीं थी।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : शिकायतें थीं। अलॉटमेन्ट हुआ उसमें से आपसी झगड़े होकर आधों से अधिक को कब्जा नहीं मिला और मुकदमे चल रहे हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो अब तक जानकारी करके बतला देता।

**श्री भगराज चौधरी** : मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न की जांच करें और सही स्थिति मालूम करें तो मालूम होगा कि ६० प्रतिशत जमीन उन किसानों को दी गई है जिनके पास पहले से काफी जमीन मौजूद है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : भूमिहीन में वे आते हैं जिनके पास अनइकॉनोमिक होल्डिंग हो।

**श्री भगराज चौधरी** : लेकिन भूमिहीन में वे नहीं आते हैं जिनके पास पहले से ही काफी जमीन थी।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इकोनोमिक होल्डिंग जालोर जिले के लिये १० एकड़ है। इससे कम जमीनवाले भूमिहीन हैं।

Page No. 23



**श्री भगराज चौधरी** : काफी का मतलब यह नहीं है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग हो। जिनके पास पहले से काफी मौजूद है उनको दी गई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : १० एकड़ से भी ज्यादा है क्या ?

**श्री भगराज चौधरी** : उनके पास २० से लगा कर १०० एकड़ तक है।

**श्री अध्यक्ष** : आप इनके पास कुछ नाम लिख कर भेजें, फिर ये जांच करायेंगे।

### सांचोर में बिजली लगाने की योजना

६३६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( १ ) सांचोर में बिजली लगाने की सरकार के पास क्या कोई योजना है ? अगर हां, तो इसके बारे में अब तक क्या कार्य हुआ है और आगे क्या होने वाला है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में कोई योजना बनायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

( २ ) क्या सरकार नल योजना के साथ साथ बिजली योजना सांचोर में लागू करने का निर्णय लेने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**विद्युत मन्त्री** ( श्री हरिश्चन्द्र ) : जी नहीं। योजना बनाने का प्रश्न लोड सर्वे पर निर्भर है। लोड सर्वे अवश्य कराई जायेगी।

( २ ) लोड सर्वे नहीं हुआ है इसलिये इस समय इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जन-संख्या देखते हुए ऐसी जगह फोर्थ प्लान में विद्युतिकरण की संभावना है।

### किसानों से अवाप्त भूमि के एवज जमीन-अलवर

६४०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( अ ) क्या अलवर शहर के किसानों की बहुत सी जमीन शहर की विकास आवश्यकताओं के लिये एक्वायर कर ली गई है ?

( आ ) क्या यह सही है कि किसानों में इस कार्यवाही से तीव्र असन्तोष है ?

( इ ) क्या यह सही है कि इन किसानों को बदले में जमीन देने का आश्वासन दिया गया था ?

( ई ) क्या यह सही है कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई है उनको बदले में जमीन नहीं दी गई है ?

( उ ) क्या सरकार बदले की जमीन दिये बिना किसानों को अपने कब्जे की भूमि से वंचित करने का इरादा रखती है ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलतराम सारण ) : ( १ ) जी हां, ३०० बीघा ८ बिस्वा भूमि एक्वायर की गई है।

( २ ) जी नहीं।

( ३ ) जी नहीं।

( ४ ) जी हां।

( श्री दौलतराम सारण )

( ५ ) जमीन अवाप्त हो चुकी है और अवार्ड दिया जा चुका है; अतः भूमि के बजाय भूमि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही नहीं है कि इस संबंध में अलवर के किसानों का एक डेपुटेशन भी मुख्य मंत्री महोदय से मिला था और यह प्रश्न पहले उठाया था और गवर्नमेंट की तरफ से कई बातों का आश्वासन भी दिया गया था कि जमीन के बदले जमीन दी जायेगी जहां तक मुमकिन होगा और जो प्लॉट अलॉट करने के ऑर्डर्स हो गये हैं तो कैंसल कर दिये जायेंगे; क्या यह बात सरकार के ध्यान में है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह मेरे ध्यान में नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह कैसे कहा कि असन्तोष नहीं है ?

**श्री दौलतराम सारण** : ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मीटिंगें होती हैं, जुलूस निकलते हैं, डेपुटेशन्स आये हैं, पर्चे निकले हैं, जमीन नहीं ली जायेगी। 'सरकार बदलिये' नारे लग चुके हैं; फिर भी आप इसको असन्तोष नहीं मानते हैं तो उसकी डिग्री बता दीजिये ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** ( श्री बरकतुल्ला-खां ) : मेरे मित्र को असन्तोष कैसे क्रिएट किया जाता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में वे खुद एक्सपर्ट हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : कुल ६० व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई थी और उनमें से ४३ व्यक्तियों को मुआवजे के १ लाख, १,५०० रुपये करीब दिये जा चुके हैं। कुछ लोगों को झोंपड़े और कुंए पेटे मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। मेरी जानकारी से स्थिति यह है और आप कह रहे हैं कि भयंकर असन्तोष है।

**श्री अध्यक्ष** : भयंकर असन्तोष नहीं, केवल असन्तोष है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह जो जमीन अवाप्त की गई है वह किस पर्पज़ के लिये की गई है ?

**श्री दौलतराम सारण** : 'नगर विकास' अपने आप में स्पष्ट है, जानना चाहिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौन से विकास के कार्य होंगे; स्कूल बनायेंगे, अस्पताल बनायेंगे या क्या करेंगे ?

**श्री दौलतराम सारण** : 'नगर विकास' अपने आप में स्पष्ट है, जानना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मानिकचन्द सुराणा। आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहा है शहर के आसपास की जमीन इस पर्पज़ के लिये चाहिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : दूसरा प्रश्न कीमत के सम्बन्ध में है....

**श्री अध्यक्ष** : कीमत एवार्ड से मिलती है, सरकार कुछ नहीं कहती।

**श्री हरिराम चौहान** ( तिजारा ) : किसानों से कम कीमत पर जमीन ली जाती है और ज्यादा कीमत पर दूसरों को बेची जाती है, इस तरह की मुनाफाखोरी क्यों करते हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एवार्ड दिया जाता है कोर्ट से, उसके जरिये ७५०) रु० फी बीघा किसानों को मिलता है। किसान यदि प्राइवेट डील से बेचते हैं तो ५ हजार, बल्कि ६ हजार रुपये बीघा तक की कीमत उनको मिलती है तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि कानून में परिवर्तन किया जाय और किसानों को घोर असंतोष से बचाया जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : कानून में ऐसा प्रावधान है कि मार्केट वेल्यू का ध्यान रखा जाय।

नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ६४१ ।

## ग्लास सैंड, कोलायत

६४१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** ( कोलायत ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( क ) क्या बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में सीलीका ( ग्लास सैंड ) का भंडार है ?

( ख ) क्या उक्त भंडार के प्रोस्पेक्टिंग के लिए बीकानेर खनिज विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों से आवश्यक धनराशि की मांग की जा रही है ?

( ग ) उक्त कार्य हेतु मांगी गई आवश्यक धनराशि सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी ?

**उप-मंत्री, खनिज** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : ( १ ) जी हां।

( २ ) सहायक खनिज अभियन्ता ने गत वर्ष धनराशि मांगी थी।

( ३ ) क्योंकि कोलायत तहसील के मध्य गांवों के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के खनिज विभाग द्वारा तथा भारत सरकार तथा भारत सरकार के जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोस्पेक्टिंग किया जा चुका है, इस क्षेत्र के सेम्पल को भी सेन्ट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा जांच की जा चुकी है; अतः धनराशि स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इन एरियाज़ को सरकार कब तक लीज़ पर देने का विचार रखती है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

## जनरल एजूकेशन विषय के लेक्चरार्स

६४२. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( क ) जनरल एजूकेशन विषय कॉलेजों में कब से पढ़ाया जा रहा है ?

( ख ) उक्त विषय को पढ़ाने के लिए कितने लेक्चरार्स की नियुक्तियां अब तक की जा चुकी हैं और उनमें से कितने पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उक्त विषय में एप्रूव किए जा चुके हैं ?

( ग ) क्या यह सत्य है कि सन् ६२-६३

Page No. 26



( श्री कृष्णकुमार गोयल )

के सत्र से उक्त विषय जनरल एजूकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है ?

( घ ) अगर हां, तो राजस्थान सरकार सरप्लस लेक्चरार्स को खपाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री परसराम मदेरणा ) : ( १ ) १६५५-५६ से पढ़ाया जा रहा है ।

( २ ) ७८ लेक्चरार्स काम कर रहे हैं, जिनमें से ५६ पी. एस. सी. द्वारा सिलेक्टेड हैं ।

(३) केवल प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा १६६३-६४ से जनरल एजूकेशन का विषय समाप्त किया है ।

( ४ ) जनरल एजूकेशन का विषय डिग्री क्लासेज़ में समाप्त नहीं हुआ है; इसलिये लेक्चरार्स के सरप्लस होने का सवाल नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि सरकार ने बहुत से लेक्चरार्स को सूचना दे दी है पत्र द्वारा कि क्योंकि यह सब्जेक्ट समाप्त कर दिया गया है, इसलिये आप लोग सरप्लस हो जायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : टी. डी. सी. में इस विषय को समाप्त नहीं किया गया है । जो टेम्पोरेरी हैन्ड्स हैं उनको वापिस अपोइन्ट नहीं करेंगे । दूसरों को सरप्लस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अजमेर कॉलेज में जहां इस तरह का विषय था और जो लोग पी. एस. सी. से कन्फर्म्ड थे उनको इस तरह का पत्र भेजा है ।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी जानकारी है, पी. एस.सी. से जो लोग कन्फर्म्ड हैं उनको इस तरह का पत्र नहीं दिया गया है । आपने जानकारी दी है तो मैं और जानकारी कर लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : टेम्पोरेरी कितने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने बता दिया है ।

(६.० म० पू०)

## ग्राम रीडलिया-रामपुरा

६४३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में रीडलिया-रामपुरा नाम के ग्राम को उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस ग्राम को किसी और स्थान पर बसाया जा रहा है जो किसी की खातेदारी में है ?

(३) क्या यह सही है कि वहां पर सिवाय चक भूमि भी मौजूद है और फिर भी उस

( श्री दिग्विजयसिंह )

भूमि को ली जा रही है जो किसी की खातेदारी में है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम को 'दामोदरनगर' नाम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नाम राज्य सरकार से एप्रूव किया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है ?

(६) क्या यह सही है कि उनसे हासिल भी वसूल किया गया है ? यदि हां, तो किस किस साल का ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) एक नई आबादी के लिए खातेदारी के अलावा सिवाय चक भूमि भी ली गई है।

(४) जी हां, पंचायत समिति ने सर्व सम्मति से ऐसा निर्णय लिया है।

(५) कुल ७ काश्तकारों में से ४ ने भूमि की एवज में भूमि ले ली और शेष ३ ने मुआवजा नहीं लिया है जो अभी तहसील में जमा है।

(६) इनसे लगान तहसील ने संवत् २०१५ तक वसूल किया। बाद में संवत् २०१६ में इन्होंने जबरदस्ती भूमि की काश्त की और लगान मनीऑर्डर से जमा करा दिया। संवत् २०१७-१८ का लगान वसूल नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो नया गांव बसाया जा रहा है उस जगह कितने काश्तकारों को बसाया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि वहां कुल खातेदारी के अन्दर सात आदमी थे, उसमें से चार ने मुआवजा ले लिया और तीन ने नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूं, वह खातेदारी का सवाल नहीं है; जिस जगह गांव बसाया जा रहा है वहां से कितने परिवारों को हटाया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : परिवारों को हटाने का प्रश्न नहीं है। वहां से आधा मील दूर जमीन थी। उस समय पंचायत थी उसने २०-१२ को निर्णय किया था कि अपने यहां नई आबादी बसाई जाय। पुराने गांव को हटाया नहीं गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुराने गांव को नहीं हटाया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस गांव में जितने खातेदार थे उन सब को नोटिस दिया जाकर वहां से हटा दिया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : वहां गांव वालों को नोटिस देने का सवाल पैदा नहीं होता।

Page No. 28



**श्री दिग्विजयसिंह** : जबकि सिवाय चक जमीन है तो वहां खातेदारों को गांव बसाने के लिए बेदखल क्यों किया जा रहा है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : गांव को हटाया नहीं जा रहा है, एक गांव से आधा मील दूर गांव बसाने के लिए योजना बनाई है और पंचायत समिति ने निर्णय लिया है कि वहां जाकर बसा जाय; क्योंकि जो नाला है उसमें पानी इकट्ठा होने से बड़ी कठिनाई होती है।

**श्री भैरोंसिंह** : जो सिवाय चक जमीन थी वहां 'दामोदरनगर' जो एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर के नाम पर है को नई आबादी को नहीं बसाया जा सकता था ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : वहां सिवाय चक जमीन भी है और खातेदारी की जमीन है, दोनों तरह की जमीन को मिला कर जो जमीन है उस पर गांव बसाया गया है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : गांव के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता थी ? सिवाय चक जमीन की कितनी आवश्यकता थी ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : गांव को लिमिट नहीं है, जितने घर बसाने की जरूरत थी उसके लिए यह जमीन ली गई।

**श्री दिग्विजयसिंह** : यह कुल कितने एकड़ में बसाया जा रहा है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : ५ बीघा १३ बिस्वा २५ बीघा वाली जमीन सात खातेदारों की थी।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सिवाय चक जमीन पर्याप्त नहीं थी जिसमें इस नये गांव को बसाया जाय और खातेदारी जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया जाय ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : सिवाय चक की जमीन पर्याप्त न होने की वजह से ही गांव वालों से मांगी थी।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने बताया कि खातेदार ७ थे, जो सिवाय चक की जमीन थी वह कितनी थी ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : सिवाय चक की जमीन ५ बीघा १३ बिस्वा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या उनको ५ बीघा १३ बिस्वा में नहीं बसाया जा सकता था ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : गांव का नाम 'दामोदरनगर' रखा गया है, यह क्यों रखा गया है, इसका उत्तर नहीं मिला ?

**कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा)** : इसको सरकार ने नहीं रखा है। वहां की पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया है....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या सरकार की दृष्टि....

**श्री अध्यक्ष** : Let him finish his sentence atleast.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या सरकार की दृष्टि में पंचायत समिति का निर्णय उचित है ?

# Page No. 29



**श्री नाथूराम मिर्धा :** पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया है कि वे वहां एक नया गांव बसा रहे हैं; क्योंकि पुराना गांव नले के पास बसा हुआ, था उसकी वजह से बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए वहां से थोड़ी दूर पर नया गांव बसाना चाहते हैं। वहां से आधा मील दूर पर जमीन है, वह सिवाय चक जमीन है, वह पर्याप्त नहीं थी इसलिए थोड़ी जमीन एक्वायर करके गांव को बसाया जा रहा है और उस गांव का नाम पंचायत समिति 'दामोदर नगर' रखना चाहती है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न फिर दोहराना चाहता हूँ........

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : गांव वाले तो नाले से बच गये लेकिन उनको ले डूबे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहता हूँ कि क्या सरकार की दृष्टि में पंचायत समिति का निर्णय ठीक है?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मेरे ख्याल से वह इन्डिपेंडेंट बॉडी है और उसने एक बड़े आदमी के नाम पर गांव को बसाने के लिए इच्छा व्यक्त की है तो मेरे ख्याल से सरकार को क्या एतराज हो सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या इस तरह पंचायत समिति....

**श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मन्त्री होने से कोई आदमी बड़ा हो जाता है?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** किसी प्रमुख नाम को रखने की पंचायत समिति ने इच्छा व्यक्त की, तो क्या कोई पंचायत समिति कोई नाम रख लेती है तो क्या उसको सरकार हमेशा मन्जूर करेगी?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** नाम मंजूर करने का प्रश्न नहीं है....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): सभी मंत्रियों के नाम पर गांव बसाये जायेंगे?

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय....

**श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : यह परम्परा पुरानी है....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** अगर इस तरह गांवों के नाम नये रूप से रखने हैं....

**श्री नाथूराम मिर्धा :** डूंगरपुर की पंचायत समिति बड़े आदमी पर नाम रखना चाहे तो हमें एतराज नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** बड़े आदमी की परिभाषा क्या है?

**श्री रामकिशन :** बड़े आदमी की परिभाषा क्या है?

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं वे बड़े आदमी हैं।

**श्री फूलचन्द जैन :** जागीरदारों के नाम पर गांव के नाम रखने की पुरानी परम्परा है।

# Page No. 30



**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या वही परम्परा कायम रखना चाहते हैं जो उन्होंने रखी थी ?

**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ़ ) : बड़े आदमी की परिभाषा क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : वह जयनारायणजी ने बता दी ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पिताजी के नाम से गांव बसा है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद ।

**श्री भैरोंसिंह** : उनके पिताजी के नाम पर नहीं है, खुद के नाम पर गांव बसाया जा रहा है ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : यह स्पष्ट रूप से मालूम हुआ है कि मन्त्री....

**श्री दिग्विजयसिंह** : वे लोह पुरुष हैं, महान् पुरुष कौनसे हैं ?

**श्री राधाकृष्ण गोयल** ( टोंक ) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस नीति का समर्थन करती है कि विधायकों के नाम पर, मन्त्रियों के नाम पर इस प्रकार गांव बसाये जायं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अब नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके नाम से गांव बसाया जायेगा वह जरूर हारेगा ।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे....

**उप-मन्त्री, राजस्व** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : इस प्रश्न पर बहुत....

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उनकी इच्छा के विरुद्ध समर्पित किया गया है, इसलिए नया गांव बसाने के लिए पुनः विचार करना चाहिये, क्योंकि जब तक इनसे पूछ न लें तब तक जबरदस्ती नहीं समर्पित किया जाय ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं नाम के बारे में निवेदन कर रहा था कि 'दामोदरनगर' नाम क्यों रखा गया, इस पर बहस हो रही थी । वास्तव में पंचायत समिति ने 'दामोदर-नगर' नाम रखने का प्रस्ताव रखा है लेकिन वह अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ है । रिकॉग्नाइज़ तब होता है जब रेवेन्यू रेकॉर्ड पर तब्दीलात होती हैं । गांव वालों ने ऐसा नाम रख दिया है लेकिन सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है । इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : उस नाम से जमीन ली है तो उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद ।

**श्री हरिराम चौहान** : सात मन्त्री हारे हैं, सातों के नाम पर गांव बसाने चाहिए ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह निश्चित हो जाना चाहिए....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एक मेमोरियल क्यों न खड़ा कर दिया जाय ?

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** मुख्य मन्त्रीजी के नाम पर उदयपुर में मोहल्ला बसाया गया है मोहनपुरा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मोहल्ले और गांव में फर्क है।

**एक माननीय सदस्य :** वहां एक मोहनलाल नाम के व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके नाम से है।

**श्री विजयसिंह झाला :** फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम राणा प्रताप यूनिवर्सिटी रखने का सवाल था, उसका क्यों विरोध किया?

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिप्रसाद।

**श्री श्योपतसिंह :** इसका इलाज किया जाय, बीमारी फैल रही है।

**श्री अध्यक्ष :** Order please! Next question !!

**श्री राधाकृष्ण गोयल:** अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** Order please! आप उत्तर दीजिये।

(६.८ म० पू०)

**अग्नि पीड़ितों की सहायता**

६४४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी ग्राम में पनवाड़ियों में आग लग जाने से तमाम खेती नष्ट हो गई है?

(२) क्या यह सही है कि इससे करीब १०० परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है तथा उनका घरेलू उद्योग समाप्त हो गया है?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अग्निकाण्ड में १ बच्ची जल कर भस्म हो गई व कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं?

(४) यदि हां, तो इस अग्निकाण्ड में कितना नुकसान हुआ और सरकार के द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

(५) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को लकड़ियां, डांड व अन्य सहायता देकर तथा तकावियां देकर पुनः खेती प्रारम्भ करवाने में सहायता देने का इरादा रखती है?

**उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :** (१) लाखेरी ग्राम में एक पनवाड़ी (पानों की बाड़ी) में आग लगने से ६१ पाली नष्ट हो गई हैं।

(२) जी नहीं। इस अग्निकांड में केवल १३ परिवारों के सामने ही आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, जिनकी कि पान की काश्त जल गई है।

(३) उक्त अग्निकांड में एक लड़की जिसकी उम्र ५ माह की थी जल कर मर गई और उसको बचाने के प्रयत्न में उसके पिता पन्नालाल के शरीर का कुछ हिस्सा जल गया। उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

(४) इस अग्निकांड में अनुमानतः ३०,५००) रुपये का नुकसान हुआ है। इस

# Page No. 32



( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को जिलाधीश द्वारा २,१५०) रुपये अनुदान के रूप में एवं ५,६००) रुपये तकावी स्वरुप दिये गये हैं।

(५) इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : क्या इसके साथ साथ आम के पेड़ों को भी नुकसान हुआ है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ६४५**

श्री नत्थीलाल।

( अनुपस्थित )

**नेक्स्ट।**

**ऐतिहासिक रेकॉर्ड**

६४६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या डाइरेक्टर, आर्काइब्ज़ द्वारा समस्त ऐतिहासिक रेकॉर्ड जयपुर से बीकानेर ले जाया जानेवाला है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि ऐतिहासिक रेकॉर्ड के साथ साथ पब्लिक रेकॉर्ड भी लिया जा रहा है ?

(३) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि ऐतिहासिक रेकॉर्ड देखने की आवश्यकता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पड़ती है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** ( श्री परसराम मदेरणा ) : (१) जब १९६० में आर्काइब्ज़ का दफ्तर बीकानेर गया उसी समय रेकॉर्ड वहां ले जाया जा चुका है।

(२) केवल वही ( नॉन करेन्ट) रेकॉर्ड बीकानेर ले जाया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) हिस्टोरिकल रेकॉर्ड देखने की आवश्यकता केवल रिसर्च करने वालों को ही पड़ती है, वह चाहे किसी भी प्रदेश के हों।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के होते हुए भी आर्काइब्ज़ का दफ्तर और रेकॉर्ड यहां से बीकानेर ले जाया गया है और अगर किसी को देखना हो तो वहां पर जाकर देखें ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बीकानेर में रेकॉर्ड के रखने की सूटेबिलिटी है इसलिए वहां रखा गया है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या जयपुर में वह जिस बिल्डिंग में था वहां वह सूटेबल नहीं था ?

**श्री परसराम मदेरणा** : वह हिज़ हाइनेस की थी और वे खाली कराना चाहते थे। इसलिये वह वहां से हटाया गया

**श्री अब्दुलजब्बार :** क्या वह बिल्डिंग हिज़ हाइनेस को हैन्ड ओवर कर दिया गया है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** ऐसा हो जाना चाहिये ।

**श्री अब्दुलजब्बार :** आपकी निगाह में हैन्ड ओवर नहीं किया गया है; वह कौनसी मजबूरी से नहीं किया गया ?

**श्री अध्यक्ष :** वहां पर मकानों की व्यवस्था अच्छी है । वहां पर इसके लिये मकान बनाया गया है ।

**श्री अब्दुलजब्बार :** क्या ऐसे भी रीज़न्स हैं जिनके कारण इसको बीकानेर में रखा जा रहा है; क्योंकि बीकानेर में डाइरेक्टोरेट है, इसलिये वहां पर रखा जा रहा है और पर्सनेलिटी- जो जागीरदार थे वे वहां पर हैं उनके लिए यह रेकॉर्ड हटाया जाना चाहिए....

**श्री अध्यक्ष :** क्या आपको दिक्कत है ? अगर कोई खास दिक्कत हो तो आप बता दें ।

( विराम )

नेक्स्ट । श्री मानिकचन्द सुराणा ।

## अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

### जयपुर के राजकीय कॉलेजों की व्यवस्था इत्यादि के कार्य का राजस्थान विश्वविद्यालय को हस्तांतरण

५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— (क) क्या जयपुर के समस्त राजकीय कॉलेजों की व्यवस्था व नियन्त्रण राजस्थान विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप छात्रों के शिक्षा-शुल्कों में तीन सौ प्रतिशत से लेकर पांच सौ प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है ?

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि छात्रों व उनके अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीसों का कोई वजन न पड़े और वे पुरानी शिक्षा की दरों पर ही अपने अध्ययन को चालू रख सकें ?

(घ) क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि कॉलेजों को विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करने के फलस्वरूप छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा की सुविधा व सरकारी कर्मचारियों एवं आयकर न देने वाले नागरिकों को प्राप्त होने वाली सुविधा में कोई अन्तर नहीं आयेगा ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) :** (क) जयपुर में स्थित महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज तथा कॉमर्स कॉलेज का शैक्षणिक नियन्त्रण जुलाई सन् १९६१ से राजस्थान विश्वविद्यालय को दे दिया गया था तथा प्रशासनिक नियन्त्रण जुलाई, सन् १९६२ से राजस्थान विश्वविद्यालय को देने का विचार है ।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय में केवल पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए अभी फीस निर्धारित है । अन्डर ग्रेजुएट कक्षाएं विश्वविद्यालय में जाने पर उनके लिए भी नई फीस निर्धारित विश्वविद्यालय करेगा । तब तक राज-

# Page No. 34



( श्री परसराम मदेरणा )

स्थान में जो फीस इन कक्षाओं में ली जाती रही है, वही ली जाने की व्यवस्था होगी।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या आगे भी सरकार इनकी फीस बढ़ाने का प्रावधान रखती है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो सरकार के हाथ की बात नहीं है, यह तो यूनिवर्सिटी के डिसक्रिशन का मामला है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : प्रश्न यह है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। इसके बावजूद भी जो लोग बहुत कम फीस से कॉलेजों में शिक्षा पाते थे, कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के हस्तगत करने के बाद उनकी फीस बढ़ेगी, क्या उसके लिए सरकार यह विचार करेगी कि इसको रोकने के लिए उनको एडीशनल ग्रान्ट देकर इस कमी को पूरा करेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया कि जिन जिन कॉलेजों को हस्तगत किया है उनमें फीस बढ़ाने का प्रश्न है। जब यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाने की बात करेगी तब तो उनसे बात करके ही बात करेंगे। कल शिक्षा मन्त्रीजी ने कहा था कि फीस नहीं बढ़ेगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : क्या सर्विसेज़ के लड़के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो इसी जवाब में कवर हो जाता है कि सुविधाएं जो अभी हैं वे वही रहें, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या राजस्थान कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत लिया जा रहा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी निर्णय नहीं लिया है; यह प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : २५०) रु० से कम वेतन पाने वालों के लड़कों को फीस माफ की जाती है। क्या दूसरे लोगों के लिये भी जो गरीब हैं फीस माफ नहीं की जा सकती है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह दूसरा प्रश्न है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : Will the government give an assurance that the status quo in this respect will be maintained ?

**श्री परसराम मदेरणा** : This is an internal matter of the University.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : Will the government advise the University authorities to maintain the status quo because this is an obligation of the Government to do so ?

**श्री परसराम मदेरणा** : It cannot advise the University but they can discuss it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

( ६.१६ म. पू. )

## राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

( सदन की मेज पर रखना )

**सचिव, राजस्थान विधान सभा** (श्री अनोपसिंह) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ :

राष्ट्रपति महोदयसे अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. The Rajasthan Divisional Commissioners (Office Abolition) Bill, 1962.
2. The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness ( Amendment ) Bill, 1962.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1962.
2. The Rajasthan Appropriation (vote on Account) Bill, 1962.
3. The Rajasthan Court Fees & Suits Valuation (Amendment) Bill, 1962.
4. The Rajasthan Arain Tehsil (Continued Existence) Validating Bill, 1962.
5. The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Bill, 1962.
6. The Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Bill, 1962.
7. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1962.
8. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1962.

( ६.१८ म. पू. )

## ग्राम सत्तासर ( तहसील बीकानेर ) से लगान की वसूली सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत ग्राम सत्तासर, तहसील बीकानेर के लोगों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुलिस की सहायता से दुबारा लगान की वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**उप-मन्त्री, राजस्व** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा) : During the month of March, 1962 the Revenue Staff made recovery in village Sattasar of the Land Revenue due for the year Smt. 2011. Since Smt. 2011 was a famine year no recovery could be made at that time. As the Collector could not obtain Government sanction regarding suspension till the time of recovery of St. 2012

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

the arrears of revenue for the preceeding year could not be recovered even in that year. In Smt. year 2013 recoveries of dues for Smt. 2011 were made but a few tenants did not pay the arrears. Smt 2014, 2015 and 2017 were again scarcity years. Recovery of Smt. 2011 was therefore to be done along with this year kharif recovery.

**श्री हीराभाई ( कुशलगढ़ )** : हिन्दी में, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव है और आप अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं। हिन्दी में उत्तर होना चाहिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : It is not correct that the recovery was mede under coercion with the help of Police.

**श्री हीराभाई** : मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दी में बोलें अथवा इसका हिन्दी में अनुवाद करके बता दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं इसके बाद में सप्लीमेंट्री पूछेंगे उसका जवाब हिन्दी में दे दूंगा।

As a matter of fact not a single warrant was issued against any of the tenants of village Sattasar regarding arrears for Smt. 2011. At the time of recovery people of village Sattasar had told the Revenue staff that they had paid the rent for Smt. 2011 to the Jagirdar, but they could not show any receipt for the same nor did they produce any reliable evidence to show that they had paid rents for Smt. 2011 to the Jagirdar. The Jagir of Sattasar was resumed in Smt. 2011 on 15-8-54. As the Girdawari, on the basis of which the land revenue is assessed, is done in the month of October there was no question of payment of dues for Smt. 2011 to the Jagirdar.

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में हिन्दी में बता दें इस बारे में।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ; सत्तासर गांव में सम्वत् २०११ के रेवेन्यू कलेक्शन का प्रश्न है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि इनकी रिकवरीज़ जो अब की गई हैं उसमें पुलिस फोर्स को काम में लिया गया है और उनसे डबल पेमेन्ट वसूल हुआ है। पहले एक तो सम्बन्धित जागीरदार ने ले लिया और दूसरा सरकार ले रही है। मैंने निवेदन किया कि जागीरदार ने कोई पेमेन्ट नहीं लिया: बल्कि काश्तकारों को टाइम दिया गया था कि वे उस समय की रसीदात बता दें कि उस साल का पेमेन्ट कर दिया है; लैंड रेवेन्यू वसूल नहीं की जाय। लेकिन उन्होंने रसीदात नहीं बताई, इसलिए उनसे वसूल किया जा रहा है। पुलिस फोर्स को यूज़ नहीं किया गया है। फेमिन और सेरकेयर्सिटी वर्ष थे १४,१५ और १७; इसलिए उस समय उसको वसूल नहीं किया और अब वसूल किया जा रहा है।

**श्री भीमसेन** : सरकार ने वसूली की तो क्या जागीरदार के एजेन्ट की हैसियत से की है ? काश्तकारों ने कहा कि जागीरदार को पेमेन्ट कर चुके हैं। क्या काश्तकारों का यह कहना सही नहीं कि अगर बकाया है तो जागीरदार के खिलाफ दावा करके वसूल करो ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** रसीद बतानी चाहिये थी और बताने पर पेमेन्ट नहीं लेते। माननीय सदस्यों से मैं अब भी कहना चाहता हूं कि यदि जागीरदार को सम्वत् २०११ का काश्तकारों ने रेवेन्यू का पेमेन्ट दे दिया है और साबित कर सकते हैं रसीदात से, जो रेवेन्यू उनसे वसूल हुआ है एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं और जागीरदार से नियमानुसार वसूल कर लिया जावेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :** सारा गांव का गांव कह रहा है, तो क्या गलत कह रहा है?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** Our records must show that the payment has been made to the Jagirdars or there should be receipts otherwise...

**श्री अध्यक्ष :** श्री सतीशकुमार।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** But to whom it was payable -whether to the Government or to the Jagirdar?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** After the resumption it was payable to the Government.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** For Samvat 2011 it was payable to the Government?

**श्री अध्यक्ष :** भीमसेनजी कह रहे थे कि जागीरदार के एजेन्ट के तौर पर वसूल कर रहे हैं?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** रिजम्पशन के बाद वसूल किया है। एजेन्ट का सवाल क्या है?

**श्री अध्यक्ष :** श्री सतीशकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(१. २५ म० पू०)

## ग्राम पंचायत खिरोटी (जिला सीकर) के सरपंच सम्बन्धी ध्यान आकर्षित कराना

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खिरोटी के नवनिर्वाचित सरपंच को अपने पद का चार्ज न दिलाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, पंचायत विभाग, का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :** अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :–

सरपंच, ग्राम पंचायत खिरोटी, पंचायत समिति खंडेला, जिला सीकर के सरपंच के पद का चुनाव याचिका के निर्णय के फलस्वरूप रिक्त घोषित हुआ। उक्त चुनाव में दिनांक ८-१०-६१ को श्री भगवानसहाय को सरपंच चुने जाने के बाद उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत के सदस्यों द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक १३-१०-६१ को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने नियम १५

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम के अन्तर्गत पंचायत के सदस्यों के उक्त अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु दिनांक ३०-१०-६१ तिथि नियत कर नोटिस दिया।

उक्त नोटिस जारी होने के बाद दिनांक २५-१०-६१ को सरपंच श्री भगवानसहाय ने कलेक्टर के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें पंचायत का चार्ज नहीं दिया गया है। अत: जब तक उन्हें नियमानुसार चार्ज नहीं मिल जाता तब तक उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। उक्त हालात पर विचार करते हुए कलेक्टर ने २५-१०-६१ को विकास अधिकारी–नीम का थाना को, जिन्हें पंचायत की होने वाली बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यह आज्ञा भिजवाई कि सरपंच द्वारा बताई गई स्थिति में पूर्व निर्देशानुसार ३०-१०-६१ को बैठक नहीं होगी। इस आदेश के अनुसार सदस्यों को सूचना भिजवाने के पहले ही जिन सदस्यों ने सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा था दिनांक २७-१०-६१ को एक आवेदन-पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि सरपंच निर्वाचन के पश्चात् सरपंच पद का कार्य--संचालन कर रहे हैं; मसलन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने पद से पृथक् किया, प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये, पंचायत की ३ बैठकें बुलवाईं और बाड़ों की मिसलों पर कार्यवाही की। पंचों ने यह भी बताया कि सरपंच अविश्वास के प्रस्ताव से बचने के हेतु पंचायत का चार्ज नहीं ले रहे हैं यद्यपि वे बहैसियत सरपंच कार्य कर रहे हैं। इस आवेदन पर कलेक्टर ने पुन: विकास अधिकारी, नीम का थाना को लिखा कि यदि ये तथ्य जांच से सत्य पावे जावें तो दिनांक ३०।१०।६१ की स्थगन आज्ञा पर अमल नहीं किया जाय और अविश्वास के प्रस्ताव के लिये बुलाई गई बैठक ३०।१०।६१ को करवाई जाय। दिनांक ३०।१०।६१ को अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के हेतु ग्राम पंचायत खिरोटी की बैठक हुई और सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। नियमानुसार अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद सरपंच को तीन दिन में अपने पद से त्याग-पत्र भिजवाना चाहिये। चूंकि उन्होंने यह नहीं किया इसलिए कलेक्टर ने दिनांक १५।११।६१ को राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, १९६१ के नियम १८ के उप-नियम (२) के अन्तर्गत श्री भगवानसहाय को नोटिस दिया कि वे अपना त्याग–पत्र भिजवाएं। इस प्रकार सरपंच ने कलेक्टर के समक्ष त्याग पत्र प्रस्तुत नहीं किया; बल्कि उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन–पत्र राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा २७ (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें अपने पक्ष के हालात बताते हुए उन्होंने यह बताया कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव वैधानिक रूप से पास नहीं हुआ और न बैठक ही वैधानिक तौर से हुई। राज्य सरकार द्वारा दिनांक १४।३।६२ को कलेक्टर द्वारा सरपंच को इस्तीफा देने का जो आदेश दिया गया था उसे स्थगित किया गया और कलेक्टर से सम्बन्धित पत्रावली अन्तिम आज्ञार्थ मंगवाई गई। कलेक्टर के समक्ष सरपंच द्वारा २३।४।६२ को आवेदन--पत्र प्रस्तुत करने पर चार्ज दिलाने के लिये आदेश

( श्री नाथूराम मिर्धा )

तहसीलदार को दिया गया। अब सरपंच के आवेदन पर राज्य सरकार को अन्तिम निर्णय करना है।

राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा १५ (२) द्वारा उसके अन्तर्गत बने नियम ८ के अन्तर्गत यदि सरपंच को पंचायत के रेकॉर्ड का चार्ज नहीं मिलता है तो इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र तहसीलदार के समक्ष करना चाहिये और तहसीलदार उस पर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करता है। किन्तु सरपंच ने ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया नहीं। कलेक्टर के समक्ष यह आवेदन किया कि उसे पंचायत के रेकॉर्ड का चार्ज नहीं दे रहे हैं। जहां तक सरपंच का पद पर कार्य करने का प्रश्न है कि श्री भगवानसहाय जब से वे सरपंच चुने गये हैं कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपना कार्य–भार चूंकि किसी को अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद नहीं सम्भलाया इसलिये अब भी यही माना जावेगा कि सरपंच का कार्य वे ही कर रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी–बाजार, जयपुर): सरपंच का कार्य श्री भगवान-सहाय कर रहे हैं, फिर चार्ज दिलवाने का प्रश्न क्यों खड़ा होता है?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : कानून के तौर पर वे ही काम कर रहे हैं। उनको तहसीलदार को एप्रोच करना चाहिये कि किस किस चीज का उनको चार्ज नहीं मिला है। ऑफिस में बैठ कर मिसलों पर कार्यवाही की है। कितना चार्ज है और कितना नहीं है, इसके लिए तो इनको नियमानुसार तहसीलदार को एप्लाई करना चाहिये कि अमुक फाइल नहीं है अथवा और कुछ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार के अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है और चार्ज दिलाया जाता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार के अधिकारी को शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : चार्ज किसने दिलाया?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : न चार्ज लेने की कोशिश की, क्या चार्ज था और क्या नहीं और क्या मिला और नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या ऐसा समझें कि नये इलेक्ट होते हैं तो चार्ज लेते हैं और शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** ( नसीराबाद ) : इस सिलसिले में जो वक्तव्य दिया है उससे प्रकट होता है कि कलेक्टर ने जब भी कार्यवाही की तो यह किया कि एक पार्टी गई तो उसको सुन कर एक फैसला कर दिया और दूसरी पार्टी गई तो उसको सुन कर दूसरा फैसला कर दिया और सरकार में गया तो तीसरा हो गया। इस प्रथा को खत्म करना चाहिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। सरकार ने तो कलेक्टर के ऑर्डर को स्टे ऑर्डर दिया है। कलेक्टर का जहां तक सम्बन्ध है दुबारा ऑर्डर दिया तब भी यह कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर इस बात से कन्विन्स्ड हो जाय कि चार्ज लिया है

( श्री नाथूराम मिर्धा )

तो बेठक की तारीख स्थगित न की जाय ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि २५-१०-६१ को यह ऑर्डर दिया गया कि सरपंच को चार्ज दिया जाना आवश्यक है; ३०-१०-६१ को मीटिंग बुलाई गई, तहसीलदार श्री-माधोपुर से सरपंच का चार्ज दिलाया जावे बाद उपस्थिति के १५ उप-धारा के अनुसार मीटिंग के लिये संबोधित किया जावे, कलेक्टर द्वारा सेपरेट ऑर्डर दिये गये, उसके दो दिन बाद श्री भगवानसहाय जोशी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आता है, जिसकी उनको कोई सूचना नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह ऑर्डर हाइपोथिटिकल ऑर्डर था क्योंकि दूसरी पार्टी ने चार्ज किया, दोनों तरफ से मामला कॉम्पलीकेटेड हो गया। इस तरह से इस मामले की लीगल पोज़ीशन है । उसके अनुसार सरकार के सामने पेन्डिंग है । दोनों पार्टीज़ को सुन कर फैसला कर देगी ।

## धौलपुर में टाइफोइड रोग फैलने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना

**श्री हरिशंकर** (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत धौलपुर में टाइफोइड रोग के फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

**स्वायत्त शासन मंत्री** ( श्री बरकतुल्लाखां ) : अध्यक्ष महोदय, चीफ मेडिकल ऑफिसर, धौलपुर ने तीन हफ्ते पहले इस बात की खबर दी कि टाइफोइड के केसेज़ वहां पर बढ़ रहे हैं । फौरन उसके बाद जो भी आउटडोर केसेज़ आये उनको इनडोर के अन्दर ले लिया गया । यही नहीं, लेकिन तमाम जितने भी केसेज़ आते रहे उनके टीका लगाते रहे । इसके बाद अब कोई १३-१४ इनडोर पेशेन्ट्स होस्पिटल में मौजूद हैं । केसेज़ की संख्या बहुत कम हो गई है; मुश्किल से अब एक-दो केसेज़ आते हैं ।

जहां तक इसके फैलने के बारे में ख्याल किया गया अन्दाज यह लगता है कि धौलपुर के अन्दर एक बावड़ी है जो बहुत गहरी है, उसका पानी कोन्टेमीनेटेड है । इस पानी के सेम्पल्स मंगवा कर बेक्टीरिया टेस्ट करवाया जा रहा है । धौलपुर में जितने भी कुएं हैं उनके लिये यह ऑर्डर दिया गया है कि इनको डिस-इन्फेक्ट किया जाय और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को ऑर्डर्स दे दिये गये हैं कि सिचुएशन की बाकायदा जांच करते रहें। जैसे जैसे केसेज़ आते रहें हफ्ते को हफ्ते मेडिकल डाइरेक्टोरेट को इस बारे में रिपोर्ट करते रहें । अब सिचुएशन काबू में है, केसेज़ बहुत कम हो गये हैं ।

**श्री हरिशंकर** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जो लोग आते रहे हैं हम उनको टीका लगाते रहे हैं और सरकार सही काम कर रही है । लेकिन यह बीमारी गावों में फैल रही है । वहां क्या इन्तजाम कर रहे हैं ? क्या गावों में घर घर में जाकर टीका लगाने की कोई व्यवस्था की है ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : जिस वक्त यह शुरू हुआ और कहा गया कि अस्पताल में आकर

( श्री बरकतुल्ला खां )

टीका लगवा लें; उन लोगों के लिये भी यह कोशिश की जा रही है कि शहरों में आकर टीका लगवा लें।

श्री हरिशंकर : क्या यह सही है कि धौलपुर में जहां ११ डॉक्टरों की मन्जूरी है वहां केवल सात ही डॉक्टर काम कर रहे हैं, चार को और भेजने का प्रावधान नहीं किया, ऐसी विषम स्थिति होने पर भी ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह मामला इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने अर्ज कर दिया है कि सब डॉक्टर्स पूरी तरह से अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी फील करते हैं। इस बारे में पूरा एक्शन ले लिया गया है और जिम्मेवारी के साथ सिचुएशन पर कन्ट्रोल किया जा रहा है।

श्री हरिशंकर : क्या इसके लिये आइसोलेशन कैम्प खोले गये हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : आइसोलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है इनडोर पेसेन्ट्स ले रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : शहर की स्थिति के बारे में तो आपने कह दिया; लेकिन गांवों में इस बीमारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जिले की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। अन्दाज यह लगाया गया है कि शहर में जो बावड़ी है उसकी वजह से पानी कोन्टेमीनेटेड है। अगर जिले की अन्य जगहों से भी इस प्रकार की सूचना आई तो प्रिवेन्टिव मेजर्स जिले के अन्दर भी लिये जायेंगे।

श्री हरिशंकर : क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स उठाने की ओर कदम उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(६.३५ म०-पू०)

## राजस्थान के श्रमजीवी पत्रकारों को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत राजस्थान के श्रमजीवी पत्रकारों को नियमानुसार वेतन भुगतान में संचालकों द्वारा विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मैं श्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रम मन्त्री ( भीखा भाई ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल ६३ पत्र–संस्थान हैं, जिनमें काम करने वाले पत्रकारों की संख्या ६३ है। इनमें मुख्य मुख्य संस्थान ये हैं :

१. राष्ट्रदूत

२. लोकवाणी

३. नवयुग

४. नवज्योति

श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से मुख्यतः लोकवाणी, जयपुर के विरुद्ध ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लोकवाणी सोसाइटी लि०

( श्री भीखाभाई )

जयपुर के सेक्रेटरी को वेतन चुकारे सम्बन्धी तारीख २३.१२.६१ के समझौते का पालन न करने पर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १६४७ की धारा २६ के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तारीख २८।४।६२ को चालान पेश कर दिया गया है जिसमें अगली पेशी तारीख २८.५.६२ की पड़ी है। इसके अतिरिक्त दो और मामले इसी संस्थान में काम करनेवाले पत्रकार श्री राजेन्द्रकुमार 'अजेय' तथा श्री एस० एन० तिवारी के समझौता अधिकारी के समक्ष राजस्थान वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा पेश किये गये हैं। प्रथम मामला तारीख ६।४।६२ को प्राप्त हुआ था और उस पर समझौता तारीख ५.५.६२ को भंग हो गया है। वह रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को प्राप्त हो जायगी। दूसरा मामला तारीख २०.४.६२ को प्राप्त हुआ है, जिसमें समझौता कार्यवाही की जा रही है और मामला विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त पेमेन्ट के विलम्ब की या श्रमजीवी पत्रकारों को नौकरी से अलग करने की और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस सम्बन्ध में और कोई शिकायत श्रम विभाग को भेजी गई तो उसकी पूर्ण जांच की जावेगी।

प्रोविडेन्ट फन्ड स्कीम राष्ट्रदूत, लोकवाणी व नवयुग प्रिन्टर्स पर लागू होती है। राष्ट्रदूत में स्कीम ठीक प्रकार से चल रही है। लोकवाणी व नवयुग प्रिन्टर्स ने अभी तक प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर द्वारा चाही गई प्रारम्भिक जानकारी नहीं दी है। लोकवाणी ने यह बताया है कि सोसाइटी की अपनी प्रोविडेन्ट फन्ड स्कीम लागू है और इसलिये इन पर कामगार प्रोविडेन्ट एक्ट लागू नहीं होता। इस बारे में जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

लोकवाणी प्रेस, नवयुग प्रिन्टर्स व राष्ट्रदूत प्रेस पर फैक्ट्रीज़ एक्ट भी लागू होता है। इन ने १६६२ का लाइसेन्स भी रिन्यू करा लिया है। इन प्रेसों का फैक्ट्रीज़ इन्सपेक्टर द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा व उन सम्बन्धी कानूनों का पालन करवाने में पूर्ण रूप से तत्पर है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : आप इनको मिनिमम वेजेज़ एक्ट की सुविधायें भी दे रहे हैं या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मानिकचन्द सुराणा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह प्रोविडेन्ट फन्ड जो लोकवाणी सोसाइटी और दूसरी प्रेसेज़ के लिये लागू किया है इस स्कीम को सरकार मन्जूरी दे चुकी है और इस स्कीम में अपना रुपया बाकायदा संचालकों ने कन्ट्रीब्यूशन जितना श्रमजीवी पत्रकारों का होता है उतना उनके द्वारा दिया जाता है और वह बाकायदा बैंक्स में रखा जाता है और उसकी पासबुक श्रमजीवी पत्रकारों को दी जाती है।

# Page No. 43



**श्री भीखाभाई** : यह तो जानकारी कर रहे हैं। प्रोविडेन्ट फन्ड हमारी तरफ से लागू होता है। लोकवाणी कहती है कि हमारा अपना फन्ड है। इस बारे में जो जानकारी प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर से मांगी गई है वह नहीं दी गई है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : वह जानकारी जो नहीं दी है वह कब तक ले लेंगे, कितने माह में ली जा सकती है ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने निवेदन किया इस बारे में कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

**श्री भैरोंसिंह** : श्रमजीवी पत्रकारों को वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार वेतन मिलता है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री विजयसिंह झाला।

(६.४० म० पू०)

### उदयपुर नगरपरिषद् की कालावधि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत उदयपुर नगर परिषद् को कालावधि में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

**स्वायत्त शासन मन्त्री** (श्री बरकतुल्ला खां) : राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, १९५९ के नीचे म्यूनिसिपेलिटियों का चुनाव होता है। इसके अन्दर म्यूनिसिपेलिटी को तीन साल की टर्म रखी जाती है। और इसके बाद अगर सरकार चाहे तो एक साल तक के लिये और टर्म बढ़ा दी जाती है।

उदयपुर म्यूनिसिपेलिटी की टर्म भी अगस्त १९६१ में खत्म हुई। इसके बाद ३०-४-६२ तक टर्म सरकार द्वारा बढ़ा दी गई और इसके बाद अब १९।८।६२ तक बढ़ा दी गई है और इसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी की टर्म नहीं बढ़ाई जावेगी।

म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में जो देरी हो रही है इसका मात्र कारण यह है कि ६१ की जो सेंस है उसके ऊपर बेस करके नये वार्डों का डीलिमिटेशन किया जावेगा। यही नहीं, इस इलेक्शन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की जो सीटें हैं उनका भी ख्याल रखा जावेगा। इन सब चीजों को सामने रखते हुए ख्याल यह किया जाता है कि आठ-नौ महीने इसमें लगेंगे। सारे कलेक्टरों को, जिसमें उदयपुर का कलेक्टर भी शामिल है, यह हिदायत सरकार ने दे दी है कि तमाम म्यूनिसिपेलिटियों के इलेक्शन के लिये जल्दी से जल्दी इन्तजाम किया जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह वार्ड बनाने की योजना कब से जेर पेन्डिंग है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : माननीय अध्यक्ष महोदय, १९६१ की सेंस रिपोर्ट की अन्तिम रिपोर्ट अभी आई है। इसलिये इससे पहले वार्ड बनाने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

**श्री विजयसिंह झाला** : कालावधि बढ़ाने का कारण पहले तो सरकार ने जो बताया वह यह था कि जनरल इलेक्शन होने के बाद चुनाव करा लिये जावेंगे। अब यह वार्डों की समस्या कैसे खड़ी हो गई ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : या तो वे मुझे समझे नहीं, या मैंने जो बात कही है यह वे मेरी बात अपने ढंग से रख रहे हैं। मैंने तो यह कहा है कि एक साल की अवधि बढ़ाने का सरकार को अख्तियार है आम तौर से। वह बढ़ाई गई। तो प्रश्न उठा कि किस वजह से बढ़ाई गई ? तो वार्डों के डीलिमिटेशन की वजह से बढ़ाई गई। ६१ के सेंस के बेसिस पर नया इलेक्शन होगा इसलिये अब जैसे ही इन्टेरिम रिपोर्ट सेंस की हमारे पास आई उसके बेसिस पर अब वार्ड बनाये जा रहे हैं।

( ६.४२. म. पू. )

## जन सेवा आयोग की अनियमितताओं सम्बन्धी फोटो स्टेट प्रतिलिपि

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल की बहस के समय मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की अनियमितताओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था और रेकॉर्ड की एक फोटो स्टेट कॉपी सदन की मेज पर रखने के लिये गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था, जिस पर कहा गया था कि वह फोटो स्टेट कॉपी रख दी जावे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज वह फोटो स्टेट कॉपी साथ में लाया हूं, उसे सदन की मेज पर रख दूं।

**श्री अध्यक्ष** : आपको अनुमति दी जाती है।

(विधान सभा के टेबल ऑफिस में फोटो स्टेट प्रतिलिपि भेजी गई )

## राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर ( संशोधन ) विधेयक, १९६२

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्त मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को सदन के विचारार्थ लिया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है मैंने उसके सम्बन्ध में संशोधन की जो सूचना दी है वह इस प्रकार है:-

"Rajasthan Sales of Motor Spirit ( Taxation ) Amendment Bill, 1962 be referred to a Select Committee which shall submit its report in the next Session of the Assembly. (Names of the Members to be announted lateron )."

अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बजट अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था और १९६२-६३ का बजट प्रस्तुत किया गया था तो १२७ लाख का घाटा है, यह घोषणा की गई थी। इसकी पूर्ति के लिये माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

जो बजट में आंकड़े प्रस्तुत किये उनमें १२८ लाख के नये करों की व्यवस्था की । उनकी दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, बाद में जब सदन में इस पर चर्चा हुई और मांग की गई कि ये १२८ लाख के टैक्स लगाये जाने उचित नहीं हैं और इसके अन्तर्गत कई चीजों पर टैक्स घटाने की मांग की गई और कई पर बढ़ाये जाने की भी मांग की गई तो वित्त मन्त्री ने बहस का जवाब देते हुए कुछ चीजों में कर कम किये और कुछ में बढ़ोतरी की ।

अब इसके बाद सदन में बार बार इस बात की मांग की गई, की जाती रही कि इस घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी के कारण कितना घाटा या मुनाफा होने वाला है राजस्थान सरकार को इसका एक निश्चित ब्यौरा सदन में बताया जाय । पर सदन के सामने वित्त मन्त्री यह नहीं बता सके और न इस बारे में कोई आंकड़े ही प्रस्तुत किये और सदन अन्त तक इस विश्वास में रहा कि इस १२८ लाख के घाटे की सरकार आसानी से पूर्ति कर लेगी और यह विश्वास फाइनेन्शियल बिल के आने तक सदन का रहा । सदन के माननीय सदस्यों का यह भी मत रहा कि अब अधिक कर गरीब जनता पर नहीं लगने चाहिये । साथ ही सबने इस बात की पुरजोर मांग की थी कि सरकार को टैक्सेज़ के प्रपोज़ल्स रिवाइज़ करने चाहिये, इतने कर-भार की आवश्यकता नहीं है; जनता उठा नहीं पावेगी, बल्कि इसके विपरीत सरकार अपनी फिजूलखर्चियां घटाये, गबन और घोटाले लाखों-करोड़ों के होते हैं उनको रोके, अपने शासनतन्त्र को व्यवस्थित करे । इसके बाद जब फाइनेन्शियल बिल सदन में पास हुआ तो सदन को विश्वास हुआ कि अब नये टैक्स नहीं लगेंगे । पर यह उत्सुकता सदन के माननीय सदस्यों की बनी रही कि इस घटोत्तरी बढ़ोत्तरी से पड़ने वाले अन्तर के बारे में वित्त मन्त्री आंकड़े अवश्य बताएं ।

पर आश्चर्य की बात है कि आज सदन में नये कर लगाने के लिये यह मोटर स्पिरिट विक्रय कर का विधेयक वित्त मन्त्री ले आये । उन्होंने पहले के करों में घट-बढ़ के अन्तर सम्बन्धी आंकड़े फिर भी सदन को नहीं बताये । मैं जानना चाहूंगा कि वे इस बिल के रखने से पूर्व ये आंकड़े बताएं और साथ में यह भी बताएं कि अब इतने रुपये का अन्तर है १२८ लाख की पूर्ति करने में । ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार आज तक अनभिज्ञ रही है कि कितनी आमदनी इन टैक्सों से होने वाली है और कितनी नहीं । उसके पास कोई आंकड़े इस तरह के नहीं हैं । अगर होते ऐसे आंकड़े तो सदन को जानकारी देते ।

इसके साथ साथ फाइनेन्स बिल पर बहस करते वक्त सदन की एक मत से यह राय थी और अधिकांश ने तो यह मांग भी की थी कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आज राजस्थान की गरीब जनता इस हालत में नहीं है कि वह १२८ लाख के टैक्स को सह सके । इसके अनेकों कारण थे । राजस्थान सरकार एक ही प्रकार का तरीका जानती है और एक ही तर्क देती है कि अगर टैक्स नहीं लगावेंगे तो आर्थिक विकास की योजनाओं के लिये पैसा कहां से आवेगा । जनता की स्कूल की मांग, अस्पतालों की मांग, सड़कें बनाने की मांग, विकास की मांग पूरी करने के लिये पैसा चाहिये ।

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

इस प्रकार का तर्क राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है और उसी दृष्टि से विकास की योजनाओं में घाटे की पूर्ति के लिए १ करोड़, २८ लाख की अलग से व्यवस्था की गई थी। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केवल टैक्सेज़ ही धन की प्राप्ति का तरीका नहीं हैं। देश के बड़े बड़े इकॉनोमिस्ट्स ने माना है कि आज डेवलप्ड इकोनॉमी के अन्दर, प्लान्ड इकॉनोमी के अन्दर यह आवश्यक नहीं है कि ज्यों ज्यों डेवलपमेन्ट होते जायें हम टैक्सेज़ का भार जनता पर बढ़ाते जायें। इसके लिए दूसरे भी जरिये हो सकते हैं जिनके द्वारा राज्य की इनकम को सप्लीमेन्ट किया जा सकता है।

(९.५० म० पू०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनोमी करने का सवाल आता है तो उसका कोई तरीका नहीं है। अगर उसमें बचत की जाये तो यह माध्यम है कि जिसके द्वारा हम राज्य की आय को बढ़ा सकते हैं। मैं सभापति महोदय, आपके जरिये वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो बिल लाये हैं, यह जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि आप इसे मेजोरिटी के आधार पर पारित करायेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अन्तर्गत आप वित्त मन्त्री हैं और वित्त मन्त्री होने के नाते ठीक है, आप टैक्स लगाते जा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केवल टैक्सेज़ से ही राज्य की आय को सप्लीमेन्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, जितने भी सरकार के डिपार्टमेन्ट्स चलते हैं जितने भी मंत्रालय हैं उनमें सरकारी पैसे का जितना मिसयूज़ होता है, जितना मिसएप्रोप्रियेशन होता है, जितना एम्बेज़लमेन्ट होता है-सरकारी धन का दुरुपयोग होता है उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अगर विभागीय अधिकारी काम नहीं करते हैं तो वित्त मन्त्री होने के नाते आपकी जवाबदारी हो जाती है कि आप उस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। क्योंकि फाइनेन्शियल कन्ट्रोल आपका है और उस दृष्टि से फाइनल ऑथोरिटी आप हैं। अगर किसी अमुक विभाग में गड़बड़ी है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारी जवाबदारी फाइनेन्स मिनिस्टर की होती है। जितने भी डिफ़रेन्ट मन्त्रालय हैं यदि वे इस प्रकार का अव्यवहार करते हैं तो हमारे वित्त मन्त्रालय को उन पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिए। अभी तक वित्त मन्त्रालय ने विभिन्न मन्त्रालयों पर अपना नियन्त्रण पूरी तरह से नहीं रखा है और यही कारण है कि बाकी मन्त्रालयों में कितने ही गड़बड़ घोटाले होते रहे। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने उसी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी है। इसके सम्बन्ध में उधर के बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और इधर के बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। लेकिन राजस्थान का वित्त विभाग उन घोटालों के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका है। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आप बार बार टैक्स लगाने की बात करते हैं, आप पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की उन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ें; पर बदकिस्मती तो यह है कि उन रिपोर्ट्स को कोई मन्त्री पढ़ता नहीं है।

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

तो मैं यह कह रहा था कि आप पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें जिसके सभापति आपके व्हिप हैं, अधिकांश सदस्य आपकी कांग्रेस पार्टी के हैं और मैं तो समझता हूं कि उसमें अल्प मत संख्या के अपोज़ीशन के सदस्य हैं। अगर उसकी रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करेंगे तो मालूम होगा कि जो सबसे ज्यादा सुपीरियर कमेटी है और जिसकी सबसे ज्यादा इम्पार्टेन्ट रिपोर्ट होती है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ऐसी बातें ध्यान में आयेंगी जिनसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी इन घोटालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता; पर दो–चार बातों की ओर माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंगानगर में डी० डी० टी० पाउडर खरीदा गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि वह डी० डी० टी० पाउडर जो कि १ लाख ३४ हजार का खरीदा गया था सारा का सारा बरसात में बह गया। यहां पर जयपुर में आपके गवर्नमेन्ट होस्टल में केन्टीन चलती है। यहां राजधानी है और जहां एम० एल० एज़० रहते हैं; आज तक होस्टल को केन्टीन का कोई हिसाब–किताब नहीं है और कोई अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं किये गये हैं। इसके उपरान्त पिछली बार मैंने सभापति महोदय, इस सदन में जिस समय डी० पी० आर० का जिक्र आया था और उस समय के जो पुराने मन्त्री महोदय थे, मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि दिल्ली की एक फर्म से १०० रेडियो सेट्स खरीदे गये थे और उनके लिए मैंने साबित किया था कि वे सारे के सारे रेडियो सेटस बेकार हैं और चालू हालत में नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं; लेकिन उस समय के मन्त्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। पर उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे सारे के सारे रेडियो सेटस आज भी डी० पी० आर० के ऑफिस में पड़े हैं और उनमें से १४ रेडियो सेट्स काम में आये हैं और बाकी के ८६ आज भी दफ्तर में सड़ रहे हैं। लेकिन जिस समय सदन में आंकड़े प्रस्तुत किये गये उस समय मांग की गई थी कि कम्पनी को पेमेन्ट नहीं किया जावे, क्योंकि इन रेडियो सेट्स का उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन मन्त्री महोदय जो उस समय के थे उन्होंने कहा कि नहीं वे बिल्कुल ठीक हैं, हमने उनका एग्ज़ामिनेशन करवा लिया है। लेकिन मैं कहूँगा कि आज भी वह बाकी के बचे हुए ८६ रेडियो सेट्स इस बात की गवाही हैं कि किस प्रकार की पर्चेज़ेज़ हुई हैं।

इसके अलवा सभापति महोदय, मैं दो–चार बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार में आउटस्टैंडिंग का मसला काफी बड़ा है। मै नहीं समझ सकता कि आउटस्टैंडिंग के सिलसिले में राजस्थान सरकार और हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट क्या करनेवाले हैं। आखिर आउट स्टैंडिंग की संख्या लगभग २ लाख के करीब है। इसके साथ ही आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान के जितने भी आउट स्टैंडिंग्स हैं डिपार्टमेन्ट्स के वे लगभग ६ करोड़ ८८ लाख के हैं। अन्दाजा लगाइये कि इतनी बड़ी राशि आउट-स्टेडिंग में है तो क्या आवश्यकता है टैक्स लगाने की? इसके ऊपर आप विचार करें। जो २०–२५ लाख रुपये की आमदनी पैट्रोल से हो रही है तो यदि आप इस अमाउन्ट को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फिक्स्ड डिपोज़िट में जमा करा देते तो बैंक से २५ लाख रुपये का ब्याज मिल सकता है। लेकिन जो आउट स्टेंडिंग हैं उनकी वसूली सरकार नहीं करना चाहती है। जितने भी केसेज़ आपके यहां होते हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अकेले राजस्थान में अन्य विभागों में जो कुल संख्या एम्बेज़लमेन्ट केसेज़ की है जिनमें धन का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी पैसे का गबन हुआ है, इस प्रकार की धन राशि २६॥ लाख रुपये की है। इतनी राशि का मिस-एप्रोप्रियेशन हो जाये, एम्बेज़लमेन्ट हो जाये लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है!

मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ साथ कि इतना ही नहीं, आज राजस्थान सरकार के कोष में लाखों रुपये की राशि ग्रान्ट-इन-एड में दी जाती है उसकी युटिलाइज़ेशन का सर्टी-फिकेट राजस्थान सरकार के पास आना चाहिए। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर्स जानते हैं कि उनसे यूटिलाइज़ेशन का सर्टीफिकेट नहीं आता तो आगे साल के लिए ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जा सकती। लेकिन सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान का वित्त विभाग इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाता है। यूटिलाइज़ेशन सर्टीफिकेट नहीं आने की वजह से ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाये, लेकिन राजस्थान सरकार के अन्दर ४५ लाख रुपये के ऐसे केसेज़ हैं जिनमें यूटिलाइज़ेशन सर्टीफिकेट नहीं आया।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो रही एम्बेज़लमेन्ट और मिसएप्रोप्रियेशन की बात, आउटस्टैंडिंग की बात; इसके अलावा भी एक-दो बातें और हैं। हमारी राजस्थान सरकार के कुछ कन्सर्न्स चलते हैं, स्टेट ट्रेडिंग कन्सर्न्स जिनमें सरकार सेविंग कर सकती है। कुछ पब्लिक सेक्टर के काम चलते हैं। मैं सारी बातें सदन के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार सोशियेलिज़्म की बात करती है, नेशनलाइज़ेशन की बात करती है उसके आधार पर ही उसने कुछ स्टेट ट्रेडिंग चालू किये हैं; गंगानगर में शुगर मिल चालू कर रखी है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि गंगानगर शुगर मिल का प्रोडक्शन क्यों घटता जा रहा है? जहां इस मिल की प्रोडक्शन कैपेसिटी ९ हज़ार टन per day की थी, सदन को सुन कर आश्चर्य होगा कि वह ६ हजार के करीब आ गई। पब्लिक सेक्टर में आपका कन्सर्न चलता है। जो प्रोफिट था उसके बारे में आप विचार कीजिए। इस दृष्टि से कभी विचार नहीं किया। पहले जहां सेविंग १७ परसेंट थी वहां यह परसेन्टेज अब ८ आता है। यह घाटा क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है? कई कन्सर्न्स लोस में चल रही हैं। प्रोफिट देती तो सदन विचार कर सकता था। लेकिन सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार की कई कन्सर्न्स ऐसी हैं जिनमें घाटा उठा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जहां १०० परसेन्ट घाटा है। हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम जोधपुर में चल रहा है उसमें २५ परसेन्ट घाटा है। चित्तौड़ में ४५ परसेन्ट घाटा है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जिस स्थान से आते हैं वहां तो विशेष कृपा है वहां तो १०० परसेन्ट घाटा है। जितने ऊंचे चलते जायेंगे

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

उतना ही घाटा बढ़ता जायेगा । माउन्ट आबू पर १६० पर्सेन्ट घाटा है । अजमेर में २५ पर्सेन्ट, उदयपुर में ३५ पर्सेन्ट....

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** ( राजसमन्द ) : चीरवार का घाटा है उदयपुर में....

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर ) : कांकरोली का घाटा है वहां पर ।

**एक माननीय सदस्य** : किशनपोल का घाटा है ।.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ सारी घटनाओं को सदन के सामने रखा है....

**श्री सभापति** : आप जल्दी समाप्त करिये ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातें हैं, जितनी चीजें रखी हैं वित्त मन्त्रीजी इस बात को ध्यान में रखें कि फाइनेन्स मिनिस्टर का पोर्टफोलियो सौभाग्य से मिला है । ५ साल के बाद आप मिनिस्टर बने हैं । यह सौभाग्य है कि आपके पास फाइनेन्स का पोर्टफोलियो है । पहले जितने मिनिस्टर थे वे और आप भी इस बजट के समय काफी परेशान रहे, आपका कोई Colleague मदद करने नहीं आया । जितनी गड़बड़ियां होती हैं उन पर कन्ट्रोल आपका है । ग्रान्ट देना, ओवर पेमेन्ट करना वगैरह बजट के कारण जितनी चीजें होती हैं वे सारी चीजें आपके हाथ में है । मैं कहना चाहूँगा कि यह आप निश्चित मान कर चलिये, शायद आपको ध्यान होगा सन् ४७ से पहले, पार्टीशन से पहले लियाकतअलीखां भारत के फाइनेन्स मिनिस्टर थे; लेकिन उनके पास फाइनेन्स का पोर्टफोलियो होने से उन्होंने सरदार पटेल जैसे लोह पुरुष के भी कांटे कस दिये थे । इसलिये आप भी अपने आपको कमजोर मत समझिये । यह मैं मानता हूँ कि आप अकेले हैं, दूसरे Colleague आपकी मदद नहीं करते हैं; लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर सब कुछ कर सकता है । जितने गड़बड़ घोटाले होते हैं उन सब मिनिस्ट्रीज़ पर आप कन्ट्रोल करिये, आप अपनी पॉवर का उपयोग करिये । यदि नहीं करेंगे तो घोटाले होते जायेंगे और हर साल आप टैक्स लगाते जायेंगे और आप गालियें खाते जायेंगे । ऐसा मौका नहीं आने पावे, यह शुभ सलाह मैं आपको देना चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : सभापति महोदय,....

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** ( राजसमन्द ) : प्रिविलेजेज़ का ब्रीच हो रहा है; ध्वनि यंत्र हमारी प्रिविलेज है, इसका बार बार ब्रीच हो रहा है । इसका प्रबन्ध होना चाहिये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यह सब आपके कारण हो रहा है । आप मजदूरों को पूरा वेतन नहीं देते इसलिये हो रहा है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आप हर दफा टेका लगा देते हैं, मैं आपका टेका समझ चुका हूँ ।....

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : हमने इस बारे में एक एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया था। मन्त्रीजी ने कहा कि हड़ताल समाप्त हो गई है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह भी दूसरा टेका है।

सभापति महोदय, अभी जो जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, यह सदन बजट का सदन है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : बजट का सदन तो समझ में नहीं आया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सदन का बजट है या बजट का सदन है ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : जी हां, जी हां, और भी कुछ कहना हो तो कह दें।

**श्री सभापति** : आप भाषण आरम्भ रखिये।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदय, आप देख रहे हैं कि जो प्रस्ताव बजट के सिलसिले में आते हैं उनको किसी तरह से दूसरे सैशन के लिए टाला नहीं जा सकता; लेकिन फिर भी इसको जिस तरह से प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही गई है उन्होंने कहने के लिये ही कही है, बाकी वे भी शायद नहीं चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इस सिलसिले में मोटर स्पिरिट पर टैक्स बढ़ाने के पक्ष में मैं रहा हूँ, क्योंकि यह टैक्स ऐसा है जो ऐसे लोगों पर पड़नेवाला है जो लोग पैसेवाले हैं। मैं समझता हूं कि सदन का भी इस टैक्स के लिये पूरी तरह से सपोर्ट है। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यह अवश्य है कि जो दूसरे मुद्दे उठाये गये हैं, जो सेन्स बजट के सिलसिले में यहां चला, यह जानना आवश्यक है कि आया इस टैक्स का और टैक्स का बदलाव हुआ है उसका हमारे पर क्या असर होगा। यह मुद्दे की बात है और दो, तीन बार उठाई जा चुकी है; लेकिन वित्त मन्त्रीजी इससे बचते रहे हैं। वे यहां तक बढ़ गये कि इसको हांडा-फोड़ की संज्ञा देने लगे। मैंने हर समय इस मुद्दे को उठाया है। जो टैक्स बढ़ा रहे हैं उसका असर सदन के लोगों को मालूम होना चाहिये। आज आपने टैक्स की सीमा को जिस तरह से बदला है उसका क्या असर होगा ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से जो भांडा-फोड़ हो गया जाने या अनजाने में जो भंडा फोड़ हो गया है आपसे उसका क्या असर पड़ा है, यह भी सम्माननीय वित्त मंत्रीजी बतावें।....

(१० म० पू०)

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : एक शब्द का गलत प्रयोग हो गया है तो बार बार उसका प्रयोग करने से अनपार्लियामेंटरी हो जाता है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : जी हां, पार्लियामेन्टरी है। वे मेरा विरोध नहीं करेंगे शब्द के बारे में... यह हाइयेस्ट ऑथोरिटी से आया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : ये भांडे कहीं आपस में ही नहीं फूट जावें ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं अर्ज कर रहा था कि जिस कदर यह अमेन्डमेन्ट आया है, इस तरह मोटर स्पिरिट का स्टेन्डिंग एक्ट नहीं था लेकिन एक्साइज़ एक्ट स्टेचुटरी है, उसमें गवर्नमेन्ट को पॉवर है, जो पॉवर गवर्नमेन्ट को रुपये लाकर देती है और टैक्सेज़ हमारे यहां खजाने में जमा होते हैं। लेकिन इसके अन्दर बदलाव करना था तो बताना चाहिये था लेकिन क्योंकि इनहेरेन्ट पॉवर्स हैं इसलिए बतलाने की जरूरत नहीं समझी इसलिये उन्होंने इस तरह का एटीट्यूड लिया है। मैं आज भी कहता हूं कि यह बात निश्चित रूप से छिपी नहीं रहेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने विलायती शराब पर और दूसरों पर टैक्सेज़ लगाये हैं, यह हम को बतावें कि उससे कितनी आमदनी होने वाली है ? आपने टैक्सेज़ इम्पोज़ किये हैं विलायती शराब पर, उससे कितना टैक्स वसूल करने की उम्मेद थी, जब से आपने इसको अनाउन्स किया है, जब से लागू हुआ है ? मैं तो कहता हूं कि यह अनऑथोराइज्ड था; बगैर नोटीफिकेशन के अनाउन्स किया। इसका इफेक्ट सरकार पर पड़ता है तो और तरह की सिचुएशन हो सकती है। यह हो सकता है कि आपकी नीयत में फर्क न हो, लेकिन उसका असर पड़ सकता है। उसका अन्दाज क्या था ? आपकी वजह से कितना फर्क पड़ा ? २५० दूकानें जो एक्साइज़ की हैं, जो एजेन्ट हैं जिनका स्टॉक और देखभाल आपकी आज्ञा के माफिक है उन लोगों ने क्या किया, इसकी जांच करके सदन को बताना जरूरी है। १,३४५) या १३,०४५) या १,०३,०४५; कितना फर्क पड़ा है ? कहीं इस कारण से तो २ पैसा टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं ? आपसे जो गलती हो गई कहीं उसकी पूर्ति के लिये तो यह नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसको भी बतलाना जरूरी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो ध्यान देने की, पॉवर की बात और Colleagues की बात करते हैं, यह ऐसी बात है कि आप इन Colleagues से बचते रहिये। हम तो फिर भी अच्छे Colleagues हैं; लेकिन उनसे बचते रहिये जो Colleagues के खिलाफ कह रहे हैं और इस आशा में लगे हुए हैं कि आपके Colleagues के खिलाफ आपको कर दें....

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : बंगला पास ही है दूर चले जाइये तो शाया नहीं पड़े।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आप कोशिश न करें; न आपके कहने से बैठे हैं, न आपके कहने से जायेंगे; इसका फैसला जनता करती है लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं कि आप उनसे होशियार रहिये, जो आपके Collaegues बनना चाहते हैं। एक बात मिसाल के तौर पर आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि गंगानगर में शुगर फैक्ट्री है और शुगर फैक्ट्री का जो मामला है वह गवर्नमेन्ट से भी ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसके साथ डिस्टीलरी भी लगी हुई है। उसके सिलसिले में....

(विराम)

ट्रेज़री बेंचेज़ पर कोई नहीं है....

**श्री सभापति** : आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं भाषण किसे सुनाऊं ?

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय !

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्त मन्त्री ) : वित्त मन्त्री इस हाउस में है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : हमारी तरफ देखनेवाला वित्त मन्त्री चाहिए।

**श्री बालकृष्ण कौल** : वित्त मन्त्री के कान आपकी तरफ हैं मगर नजर नहीं है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : नजर आपकी चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कान और किसी तरफ गये।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आप तशरीफ रखिये। कहने का मतलब यह है कि मैं किसे सुनाऊं ? किसी और मिनिस्टर को....

**एक माननीय सदस्य** : Address the Chair.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नजर नजर में बात हो रही है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपकी नजर से बात नहीं हुई है।

मैं गंगानगर शुगर फैक्ट्री की बात बता रहा था। मैं नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह जो शुगर फैक्ट्री है, इस शुगर फैक्ट्री में आपके शेयर्स हैं और वहां पर डाइरेक्टर्स हैं। उसके साथ ही आपने इजाजत दे रखी है डिस्टीलरी को। इस तरह से राजस्थान सरकार की कम से कम १० लाख की केपिटल डेड केपिटल की तरह पड़ी हुई है। जितनी डिस्टीलरीज़ थीं उनको आपने बन्द कर दिया है और उन डिस्टीलरीज़ को बन्द करने के बाद जो इस डिस्टीलरी को रुपया दिया गया है वह अपने खजाने से दिया है और यह डिस्टीलरी है, सिवाय उदयपुर को छोड़ कर, यह गंगानगर की डिस्टीलरी ही काम करेगी। इसलिये उस डिस्टीलरी के सिवाय सब डिस्टीलरीज़ बन्द कर दी गई, चाहे वह कोटा की हो, चाहे जयपुर की हो और जहां जहां भी डिस्टीलरीज़ थीं उनको बन्द कर दिया गया है। इसके साथ ही १० लाख के करीब इस डिस्टीलरी का सेट-अप करने में कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है और वह डेड मनी हो गया है। क्यों हुआ है ? इसलिए हुआ है कि इस सिलसिले को बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए यह तय किया कि गंगानगर के अन्दर डिस्टीलरी है, वहां इस काम को करेंगे और एक तरह से इनडाइरेक्टली या डाइरेक्टली इस इन्डस्ट्री को नेशनलाइज़ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आप जांच करें, गंगानगर की शुगर फैक्ट्री और डिस्टीलरी के घाटे के और फायदे के वे फिगर्स अलग अलग नहीं निकाले जाते हैं। अगर शुगर फैक्ट्री में घाटा है तो उसको डिस्टीलरी के फायदे से पूरा किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे सरकार को नुकसान हो रहा है–जो टेन्डर मांगते हैं स्पिरिट बनाने के वे किसी तरह मांगे जायं तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वे १ रुपये, २ पैसे के अन्दर टेन्डर देते हैं, लेकिन वह १ रुपये, ६४ पैसे में टेन्डर देता है और १ रुपये ६४ नये पैसे में उसे ठेका दे देते हैं, क्योंकि उसके साथ सरकार है।

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

इसलिए इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग हटा कर उसका टेन्डर मन्जूर कर लेते हैं, क्योंकि सरकार के शेयर्स रख कर वह कनेक्ट कर चुका है। दूसरे आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हैं और १ रुपये, २ नये पैसे की कॉम्पीटीटिव रेट से सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उनको हटा कर इसे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह गंगानगर की कन्सर्न गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है। अब १ रुपये, ६४ नये पैसे और १ रुपये, २ नये पैसे के बीच की जो चीज होती है; मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वे लोग यू० पी० और दूसरी जगह के जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देकर जो दस आने per gallon बचता है उसे अपने पास रख कर, जो बाहर से इम्पोर्ट होती है उसके लिये १ रुपये २ नये पैसे दूसरों को देते हैं और इस शुगर फैक्ट्री को आपका डिपार्टमेंट १ रुपये ६४ नये पैसे के अन्दर कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस शुगर फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है। उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। शुगर फैक्ट्री को बनाने से जो चीज मेन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो शुगर पैदा करना चाहते हैं उसकी तरफ डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट गंगानगर शुगर फैक्ट्री को एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट की तरफ से दे दिया जाता है। उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इसके अन्दर गहराई से देखें और आपका डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसका अन्दाज भी लगाये तो लाखों का, दस लाख तक का घोटला इसमें हो सकता है। एक बात निश्चित रूप से साफ है कि दस आने प्रति गैलन यह शुगर फैक्ट्री ज्यादा लेती है; क्योंकि १ रुपया, २ नये पैसे पर यू० पी० में शराब बनती है। आप आबकारी महकमे के अनुभवी मिनिस्टर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि स्पिरिट के अन्दर से रंग निकाल कर बेचते हैं। जब इस तरह का कोटा नहीं होता और ये लोग बाहर से, यू० पी० से जहां ज्यादा स्पिरिट पैदा होती है वह स्पिरिट जो जलाने के लिए काम आती है उसको जलाने के नाम से खरीद कर लाते हैं और उसको डिस्टिल करके, रंग निकाल कर शराब के काम में ले रहे हैं। वैसी स्पिरिट बाजार में तीन रुपये प्रति गैलन भी नहीं मिलती है। इस तरह इसमें घोटाला कर रहे हैं।

इसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं गंगानगर के वे सबसे बड़ा घोटाला कर रहे हैं। डिस्टीलरी के लिए टेन्डर मंगाये गये। उसमें यह शर्त रखी गई कि आधी मेन्युफेक्चर की जायेगी और आधी बाहर से मंगाई जायेगी। लेकिन गंगानगर की डिस्टीलरी ने पूरी की पूरी बाहर से मंगाई है। उन्होंने शर्त तोड़ी है। इसके साथ ही एक्सचेकर को भी नुकसान है क्योंकि जो १ रुपये, ६४ पैसे और १ रुपये, २ नये पैसे में फर्क है वह दुगुने से भी ज्यादा है। वह किनकी पॉकेट में जा रहा है; कहां जा रहा है? गंगानगर शुगर फैक्ट्री है उसकी जो डिस्टीलरी है वहां आपके डिपार्टमेन्ट के जरिये राजस्थन को गलती में रख कर यह कोशिश की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि शुगर फैक्ट्री है वह फायदे के अन्दर चल रही है। लेकिन उसमें फायदा कुछ नहीं है। उसको शराब के ठेके मिल जाते हैं, उसको इम्पोर्ट करने का ठेका मिल जाता है और उसके फायदे के पैसे को बीच में खाकर शुगर

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

फैक्ट्री के घाटे को पूरा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी जरूरी है। यह जो सवाल मैंने सरकार के सामने रखा है इसकी सरकार जांच करे कि आया बात सही है या नहीं ? जो टेन्डर मंगाये गये उसमें प्राइवेट लोगों ने १ रुपये २ नये पैसे, १ रुपये ३ नये पैसे प्रति गैलन के टेन्डर दिये या नहीं ? अगर दिये हैं तो १ रूपये, ६४ नये पैसे में ठेका क्यों दिया गया ? अगर १ रुपये, ६४ नये पैसे में इसलिये ठेका दिया क्योंकि वह सरकार से ताल्लुक रखती है और इसका मुनाफा दूसरों को नहीं जायेगा तो क्या यह शर्त की गई थी कि आधी स्पिरिटमेन्युफेक्चर करेंगे और आधी बाहर से मंगायेंगे ? जब कोटा खत्म हो गया तो क्या आधी मेन्युफेक्चर की या नहीं ? ये बातें जानना जरूरी है। मैं जरूरी यह समझता हूँ कि सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ा दी है उसका पूरा पैसा सरकार वसूल करें। अगर ऐसा होता है तो बात समझ में आ सकती है; लेकिन, ये बिचोलिये उसको खा जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो छः–सात कन्सर्न्स हैं उनको कम्पीटिटिव ढंग से ठेका देना चाहिये

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

क्योंकि यह इम्पोर्ट का मामला है।

इसके साथ साथ मैं आपको निवेदन करूं कि दो पैसे से चार पैसे कर दीजिये, इसको और बढ़ा दीजिये। तब तक भी सदन को कोई एतराज नहीं है लेकिन आप एक बात बतला दें कि चने पर लगेगा या चने की दाल पर लगेगा या चने के बेसन पर लगेगा या जैसा सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो चने की पकोड़ी बनती है उस पर लगेगा या जो आदमी खा लेगा, उसके पेट पर लगाया जायेगा ? इसका जवाब नहीं दिया और अभी तक इस पर सदन में जोर दिया गया है। आपको बतलाना चाहिए कि आपने जो टैक्स लगाये हैं उनके असरात क्या पड़ेंगे ? आपका जो डेफिसिट बजट है, वह किस तरह बेलेन्स्ड होगा या किस तरह से नुकसान होने वाला है ? जो टैक्सेज़ के इन्सीडेन्ट हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उनका किस तरह से असर पड़नेवाला है। उसके बाद बतायें कि जो विलायती शराब पर टैक्स लगाया है उससे कितनी आमदनी होगी ? जो ४–५ बातें मैंने बताई हैं, उनकी जांच करके सुविधाजनक उत्तर दें और यह भी बतायें कि आपने जो किया हैं उसका इस बजट पर क्या असर पड़ेगा ? इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी का स्वास्थ्य इस माह में काफी सुधर गया है। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने जिले में ७ दिन की छुट्टी में पहुंचा तो लोग पी पी कर मस्त हो रहे थे........

**श्री सभापति** : आप भूमिका नहीं बांध कर स्पष्ट विषय पर आ जावें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं इस विषय पर आने से पहले उनके महान् कार्य का जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने, जो पहले कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम था उसको लाइसेन्स सिस्टम में चैन्ज करके महान् कार्य किया। इससे देशी शराब और विलायती शराब लोगों को शुद्ध रूप से मिलने लगी और इसके लिये वे स्वागत के योग्य हैं।

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

और मोटर स्पिरिट पर भी जो टैक्स लगाया जा रहा है इसके लिये भी वे स्वागत के योग्य हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें उनको एक चीज पर छूट अवश्य देनी चाहिये। मैं यह कह रहा था कि इन दिनों स्वास्थ्य वित्त मंत्रीजी का ठीक हो गया, क्योंकि उनके कुछ सुधार से हजारों लोगों ने वित्त मंत्री के इस सुधार का जाम पिया। वे देशी शराब जिसमें क्लोरोफोर्म और आधा पानी मिलाया जाता था और वह शराब उन लोगों को पीने को मिलती थी वह शुद्ध रूप में ठेकेदारों से गैलन में परिवर्तन करने से पहली दफे शुद्ध असली शराब उनको पीने को मिली। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि शुद्ध शराब का मैं हामी नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार की शराब गंगानगर में बिकती थी और जिसकी वजह से २ हजार लोगों को लुनेटिक एसाइलम में, पागलखाने में पहुंचा दिया था उससे बचत हुई, इसलिये मैं उनको अवश्य धन्यवाद दूंगा। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि पहले जहां पर ५०० गैलन शराब बिकती थी वहां पर ज्यादा शराब बिकने लगी और १,३०० गैलन हो गई। यह फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो कार्य किया उसका परिणाम यह है। इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं; क्योंकि इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और महात्मा गांधीजी के उपदेशों पर चलने वाले लोग शराब पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इसके लिये भी ट्रेज़री बेंचेज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तों को पूरी तरह से निभाते हैं; इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। महात्मा गांधीजी का उसूल था कि यह बिल्कुल बन्द की जाए।

जहां तक मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाने का प्रश्न है इसमें डीज़ल आदि सभी चीजें आती हैं। अगर केवल विहिकल्स रखने वाले लोगों पर ही इस टैक्स का भार पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इसमें गरीब और किसानों व मजदूरों का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे तो विहिकल्स रख नहीं सकते। यह प्रिविलेज लोगों को है जो अमीर हैं और विहिकल्स रखते हैं। अगर उन पर यह टैक्स आता है तो मैं इसको सोशिलिस्ट टैक्स समझता हूँ। लेकिन जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ट्रैक्टरों द्वारा खेती करती हैं उनको किसी हद तक इस टैक्स से एग्ज़ेम्पशन मिलना चाहिये और इसके साथ साथ यह भी प्रबन्ध होना चाहिये कि दूसरे विहिकल्स वाले इसका नाजायज़ फायदा नहीं उठा सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो मशीनरी खेतों की उपज बढ़ाने के लिये काम में आ रही है उसमें डिज़ल या गेसोलिन जो उसमें प्रयोग होता है उसके लिये मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये........

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्तमंत्री ) : मैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय, बता दूं कि यह पॉवर और डिज़ल पर टैक्स नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : अगर ऐसी बात है तो पांच मिनट भाषण के कम हो जावेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : तो यह मोटर टैक्स का प्रश्न है, यह उचित है। मैं तो यह

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

निवेदन करूंगा कि चना, कपड़ा, तिलहन ऐसी चीजें जो कि गरीबों से गहरा ताल्लुक रखती हैं उनपर टैक्स न लगाएं। गरीब लोग तेल में रोटी बना कर खा लेते हैं। एक मुट्ठी चना खाकर किसान अपनी जिन्दगी के दिनों को काटता है। इन पर टैक्स लगाने की बजाय वित मंत्रीजी अगर १० या २० टैक्स और दूसरी चीजों पर लगावें तो अधिक अच्छा होगा। इसके अलावा जितने गड़बड़-घोटाले होते हैं उनके लिये अगर वे अपना हाथ मजबूत करें तो काफी राशि बचा लेंगे और देश को जनता पर आपको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इससे बच जावेंगे।

गंगानगर शूगर मिल के बारे में कहा गया और वहां की डिस्टीलरी के संबंध में भी माननीय सदस्यों ने कहा है। उसमें काफी तथ्य हैं। गंगानगर डिस्टीलरी में निरन्तर गबन चल रहा है और एक विशेष प्रकार का गबन चलता है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब वे किसी प्रेस से लेबल्स या कोर्क्स लेबल सील्ड कोर्क लेते हैं तो जितने लेबलों की आवश्यकता होती है उससे कई गुना ज्यादा लेते हैं। इसके अलावा यह परम्परा रही है कि इस डिस्टीलरी में जो रम या फ्लाइंग होर्स की शराब होती है वह लेते हैं तो उसके साथ ही साथ अधिक छपे हुए कोर्कस लेबल ले लेते हैं और बाद में वे एडल्टरेशन करते हैं और दूसरी बोतल्स होती हैं उनको इन लेबल्स और कोर्क्स लेबल्स की मदद से तैयार कर लेते हैं। अगर वित्त मंत्री कहें तो गंगानगर की प्रेसेज़ में से इस बात को साबित कराने के लिये तैयार हूँ कि वहां से लेबल और कोर्क्स छपाये गये थे और उनको इतना पैसा दे देते है जितना देना होता है और ५०० लेबल का बिल बनाते हैं और ७०० या ८०० लेबल ले लेते हैं। इस प्रकार की हालत है।

गंगानगर की डिस्टीलरी वहां के लोगों को असली शराब नहीं देती मगर गंगानगर के अधिकारियों के बंगलों पर शराब पहुँच जाती है और खास कर पुलिस अधिकारियों के यहां जिससे वे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। पुलिस और डिस्टीलरी का गहरा संबंध है। डिस्टीलरी और शूगर मिल घाटे में चल रही है। १६५४ में जिस समय रामनाथ से यह टेक ओवर की गई थी उस समय १२ लाख का फायदा इसको हो रहा था। आज जब यह डिस्टीलरी से सपोर्टेड है तो भी घाटा चल रहा है। इसकी प्रोडेक्शन दिनों दिन कम हो रही है तभी तो ये समय पर पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं। उन्होंने जो गन्ने का स्टॉक दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में लिया था उसका पेमेन्ट अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार की स्थिति गंगानगर शूगर मिल की है, जबकि वे २५ परसेन्ट शक्कर को ब्लेक में बेचते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर बराबर गबन और घोटाला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में फाइनेन्स मिनिस्टर कोई कमेटी बैठावें जांच करने के लिये तो अवश्य ही कुछ रहस्य-उद्घाटन हो सकता है और तथ्य का पता चल सकता है। यहां की स्पिरिट दूसरे लोग ले जाते हैं और एलकोहोल बनाते हैं। जब तीन साल पहले आपने उधर छापा मारा था तो २०० से ऊपर डिस्टीलरी गैर कानूनी तौर से चल रही थीं। उनको आपने पकड़ा और कुछ जागीरदारों ने अपने मजदूरों का नाम डाल कर उनको जेलों में भेज

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

दिया था। मगर आज गंगानगर शुगर मिल और डिस्टीलरी का प्रिविलेज्ड लोग फायदा उठाते हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह स्प्रिट जयपुर में आती है और अन्डरग्राउन्ड चेनल से आती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री इसके लिये अवश्य कदम उठावेंगे।

**श्री सभापति** : माननीय वित्त मंत्री।

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्त मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो यह सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मुझे अफसोस है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उसका कारण कानूनी दिक्कत हैं। अगर यह सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव इसी सैशन के दौरान में आता है तो मैं शायद इसको स्वीकार कर लेता लेकिन कानून जो मेरे सामने खड़ा होता है वह यह रुकावट करता है। यदि मैं यह सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार करूं तो दो महीने के अन्दर अन्दर इस सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग होकर सदन के अन्दर इस कानून को पास करा लिया जाय। लेकिन चूंकि आज सदन एडजोर्न होने जा रहा है और उस वक्त इस किस्म का प्रस्ताव का आना मेरे लिए काफी मुश्किल पैदा करता है और इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे एक हद तक मुनासिब थीं। अगर माननीय सदस्य दौराने स्पीच में यहां सदन में शामिल होते जो बीमारी के कारण नहीं रह सके और यह उनकी ऐसी गैरहाजरी, मैं समझता हूँ, ऐसी मनहूस थी इस सदन के लिए कि उनके ख्यालात उस समय आने चाहिये थे वे नहीं आ सके। उन्होंने इन चीजों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है जिनका जवाब करीब करीब मैं पहले दे चुका हूं। फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि ये टैक्सेज़ के प्रपोज़ल्स रखे गये हैं वे इस बात को ख्याल करके रखे गये कि करीब १२८ लाख का बजट में घाटा होने जा रहा था उसकी किस तरह से पूर्ति की जाय। लेकिन उस वक्त माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी तजवीज़ पेश की और ऐसे वजुहात सामने रखे जिससे मैं मजबूर हुआ और मैं समझता हूं मजबूर होने के लिए काफी गुन्जाइश थी। तो उस वक्त मैंने उनकी कुछ तजवीजें मंजूर की और साथ-साथ माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और कहा कि इस समय आप तजवीज़ दे रहे हैं। अगर मंजूर करूंगा तो आपको कुछ और टैक्सों पर ख्याल करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों ने अपनी स्पीच में ऐसी चीजों पर, जिसके लिए मैं आज टैक्स के लिए सदन के सामने खड़ा हुआ हूं, और माननीय सदस्यों का ध्यान उन्हीं की स्पीच की तरफ रोगिब करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ नहीं ला रहा हूँ जिसमें आपने अपनी स्पीच में तजवीज़ न किया हो।

एक माननीय सदस्य ने यह जानने की कोशिश की पहले भी और आज भी कि मैं सदन के सामने उन चीजों की, जिन चीजों पर मैं टैक्स लगाने जा रहा हूँ, सूची मैं सदन के सामने रखूं। मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर दूं कि मैंने आपका ध्यान उन चीजों

( श्री बालकृष्ण कौल )

पर अलग अलग नहीं दिखाया हो लेकिन इतना जरूर आपको बता दिया कि उन्हीं चीजों पर टैक्स लगेगा जिनकी इजाजत आपने वित्त मंत्री को दी है और ऐसी चीज़ जिस चीज़ का जिक्र इन सूचियों में नहीं है उस पर वित्त मंत्री नया टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन आप इस ओर इसरार करें कि मैं अभी कि आपके सामने वह सूची रख दूं तो वह इसरार गलत होगा। आप जानते हैं कि उस सूची के रखने का माने क्या हो सकता है; लीकेज हो सकता है; साथ साथ टैक्स न लगा दूं। इसलिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट तैयारी कर रहा है अपनी हदूद में रह कर कि किस किस चीज़ पर टैक्स इजाफा करे ताकि गेप हो गया है डेफिसिट का उसको पूरा करें। लेकिन जो टैक्स लगेगा उसकी आमदनी होगी वह ५-६ लाख से अधिक नहीं होगी। इसलिए मजबूरन मोटर व्हिकल्स पर जो पैट्रोल खर्च होता है उस पर मुनासिब समझा कि टैक्स बढ़ाया जावे और लगा भी दिया यह टैक्स ४ मई से। इस पर इस वक्त विचार किया जाय कि यह टैक्स कम हो तो माननीय सदस्य भी पहले के वादे के नाते कमिटेड हैं कि अगर इस किस्म का टैक्स आवेगा तो वे स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से जिस समय केटल और जेवरात का टैक्स छोड़ा था तो उससे २१-२२ लाख का घाटा हुआ था तो मैंने निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि ऐसे टैक्स लगाना जरूरी है। एक मित्र ने रखा कि सोशियलिस्टिक टैक्स होगा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी भावना व्यक्त की........

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : इसका विरोध किसने किया था ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : कुछ चला तो है।

इसलिए मैं अर्ज कर दूं कि इतने आंकड़े बता सकता हूँ कि ६६ लाख की सेल्स टैक्स की आमदनी का तखमीना लगाया गया था, उसमें से २१-२२ लाख का घाटा हुआ था; उन टैक्सेज को विड्रॉ करने पर जो आपके इसरार पर वित्त मंत्री ने वापिस लिये थे और इसको पूरा करने के लिए वित्त मंत्री मजबूर है कि किसी किस्म का टैक्स लगाये। जिन जिन की जरूरत होती है आपके सामने वित्त मंत्री वक्तन फवक्तन लाया है। पैट्रोल टैक्स लगाने से मेरा ख्याल है १४ लाख का गेप पूरा हो जावेगा। एक माननीय सदस्य ने जानने की कोशिश की कि इंग्लिश शराब के टैक्स से कितना गेप पड़ेगा ? मैं बताऊं कि वह एक, डेढ़ लाख से अधिक नहीं है। १५।। लाख इस तरह से होगा और बाकी ५-६ लाख का टैक्स लगाना जरूरी था। माननीय सदस्यों से इतना ही अर्ज कर दूं कि उन चीजों पर ही लगेगा जिनकी इजाजत इस सदन ने वित्त मंत्री को दी हुई है।

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** : उससे पूरा हो जावेगा ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : दुनिया में कोई चीज़ पूरी नहीं होती। अगर पूरी हो जाय, तो खत्म हो जाय।

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : Very good.

**श्री भैरोंसिंह** : टैक्स लगाने के बाद ओवर ड्राफ्ट में कितनी कमी रहेगी ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : एक माननीय सदस्य ने गंगानगर शुगर फैक्ट्री पर बहुत सा प्रकाश डाला है। इस शुगर फैक्ट्री की क्या अवस्था है, उसमें क्या खराबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं; यह मैं इस समय बता नहीं सकता। लेकिन अच्छा यह होता, यहां इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर होते तो वे शायद इस बारे में कुछ हालात सदन के सामने रखते।

**एक माननीय सदस्य** : डिस्टीलरी डली है वहां।

**श्री बालकृष्ण कौल** : इस वक्त इतना ही अर्ज करूंगा कि जिन चीजों की तरफ उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं कोशिश करूंगा, उन चीजों की तहकीकात करूंगा लेकिन उस तहकीकात का क्या नतीजा निकलेगा, इस वक्त कहना मुनासिब नहीं। लेकिन जहां तक फाइनेन्सेज़ का ताल्लुक है इसकी देखभाल करने के लिये जिम्मेदारी से कह सकता हूं, करूंगा।

एक माननीय सदस्य ने बजट के दौरान में मेरा ध्यान गालिब किया उन सुराखों की तरफ जिनकी वजह से नुकसान होता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि उस बारे में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जहां तक मुमकिन हो सकेगा उन सुराखों को रोकने की वित्त मन्त्री पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इतना मैं आपसे अर्ज कर दूं; यह डेमोक्रेसी का जमाना है, डिक्टेटरशिप का नहीं। आपका वित्त मन्त्री डिक्टेटर होता तो शायद टैक्स के बजाय......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : केओस हो जाता, गड़बड़-घोटाले बढ़ जाते।

**श्री बालकृष्ण कौल** : जिससे आप तकलीफ अनुभव कर रहे हैं वे तकलीफें शायद कम हो सकतीं; लेकिन दूसरी तकलीफें और बढ़ जातीं।

इकोनोमी की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपके वित्त मन्त्री ने जो इस सदन के फ्लोर पर आश्वासन दिया उस आश्वासन पर अटल है और आगे भी रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने कुछ एम्पोरियम्स की तरफ ध्यान दिलाया। हो सकता है जो उन्होंने कहा वह नुकसानात होते होंगे। मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या क्या और किस प्रकार के घोटाले हैं? फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जो भी रोक-थाम कर सकता है करेगा और अलग से भी इसकी रोकथाम की जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने सुराखों के सिलसिले में एक जिक्र किया, ग्रान्ट-इन-एड की बात कही। मैं यह मानता रहा हूं कि और मानने को तैयार हूँ कि जितनी बातें माननीय सदस्यों ने दौराने बहस रखीं, हो सकता है रोकने का तरीका अलग अलग हो, मूलतः बुनियादी चीज है यह ठीक नहीं। मैं मानता हूँ कि ग्रान्ट-इन-एड का जो तरीका है उसमें हो सकता है थोड़ा रिलेक्सेशन रहा हो। इतना निवेदन कर दूं कि अब तक जो कुछ रुकावटें पेश हुई हैं उसके कारण कइयों का ग्रान्ट-इन-एड रोक दी गई है। सदनका सपोर्ट रहा तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेन्ट, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, मजबूती से चले और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जागरूक होकर खुद बखुद चलने लग जायेगा, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

( श्री बालकृष्ण कौल )

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर की डिस्टलीरी में लाखों का घोटाला है। इस सिलसिले में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस घोटाले की पूरी जानकारी की जायेगी। जहां तक हो सकेगा असलियत पर आने की कोशिश की जायेगी, जो वाकेआत सामने आयेंगे उस बारे में कार्यवाही की जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने रेडियो की खरीद के बारे में भी जिक्र किया। मैं कह नहीं सकता कि यह रेडियो का जिक्र इस वक्त खास मुनासिब था या नहीं; लेकिन जब इन्सान गलतियां गिनाना शुरू कर देता है तो जितनी भी उसकी सूची में गलतियां लिखी होती हैं वे एक के बाद एक चली आती हैं। इसका जिक्र डिमान्ड्स की वक्त भी हुआ था। मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने तवज्जोह दी होगी। जो भी इस प्रकार के घोटाले हुए हैं उनकी रोकथाम करनी चाहिये। मुझे उम्मीद है, रोकथाम होगी ताकि आयन्दा ये वाकेआत दोहराये न जांय।

**श्री भैरोंसिंह** : यह मामला डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स से सम्बन्धित है। आपको आगाह कर देता हूँ, डी० पी० आर० के बारे में जो भी कमिटमेन्टस करें, सोच-समझ कर करें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : जो लफ्ज़ मैंने कहे उतना ही मेरा कमिटमेन्ट है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नॉन कमिटेबल रिप्लाई है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैंने कहा मिनिस्टर महोदय ने तवज्जोह दी होगी। अगर नहीं दी होगी तो देंगे और घोटाले हैं तो उनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे; यह आश्वासन है, इससे ज्यादा नहीं।

माननीय सदस्यों ने एक मुनासिब प्रश्न रखा मेरे सामने आउट स्टेंडिंग एरियर्स के सिलसिले में। वाकई में यह प्रश्न इस किस्म का है कि जिससे मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन खाली परेशानी इस प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। इसके लिये मैं इतना ही अर्ज कर दूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जागरूक है उन एरियर्स के बारे में जो कि उसके सामने रखे हुए हैं; हर मुमकिन कोशिश यह है कि वे एरियर्स जहां तक हों जल्दी से जल्दी वसूल किये जाय। मैं इतना ही आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप थोड़े ही अर्से में जान पायेंगे कि सरकार ने इसकी वसूली करने में कुछ कदम उठाये हैं।

आपने जितनी भी बातें कहीं वे आपको कहनी चाहिये थीं। अगर आप इसी तरीके से सरकार का ध्यान इन कमियों की तरफ दिलाते रहे, आम तौर पर हुकूमतों में ऐसा हो जाया करता है मैं समझता हूं हुकूमत मुस्तेदी से आपके सुझावों को स्वीकार करेगी और मुस्तेदी के साथ ऐसा कदम उठायेगी जिससे आपके बताये हुए रास्ते पर चल कर राजस्थान और राजस्थान सरकार का भला होगा।

**श्री सभापति**: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे ?

( श्री सभापति )

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

( स्वीकृत )

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

( विराम )

क्लॉज़ २.

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ....

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के क्लॉज़ २ में जो टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था की गई है वह टैक्स बढ़ाने का प्रपोज़ल जिस तारीख से सरकार ने इन्ट्रोड्यूस किया उस तारीख से लागू किया हुआ समझा जावेगा और इसके लिये राजस्थान एक्ट, २३.२.५८ राजस्थान प्रोवीज़नल कलेक्शन, ५८ के द्वारा एक डिक्लेरेशन सदन में प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय, जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है यह एक अपने आप ऐसी मद है जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है, किया गया भी है; लेकिन इस टैक्स को लागू करने की जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था इस बिल के पास होने से पहले से ही लागू की जा चुकी है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ५८ में जो प्रोवीज़नल कलेक्शन एण्ड टैक्सेज़ एक्ट पास किया है, उसमें आपने यह व्यवस्था की है कि किसी भी एक्ट के अन्तर्गत यदि कोई टैक्स लगाया जाना हो तो उसमें जब तक वह पास न हो तो उस बिल की आवश्यकता नहीं कि उसके पास होने की प्रतीक्षा की जावे; बल्कि उसके अनाउन्समेन्ट से ही प्रोपोज़ल लागू किया समझा जावेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान १९५८ में जिस समय यह प्रोवीज़नल कलेक्शन एक्ट इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और उस विधेयक पर जो बहस हुई थी उसका उत्तर देते हुए भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि टैक्स के प्रोपोज़ल्स समय समय पर नहीं आवेंगे; बल्कि बजट स्पीच के अन्दर जिन टैक्सों का अनाउन्समेंट किया जाता है वही टैक्स यदि एक्ट की शक्ल में लागू किये जाने की व्यवस्था का इन्तजार करेंगे तो टैक्स लीकेज के काफी चान्सेज़ हैं और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होनी चाहिये वह रेवेन्यू नहीं हो पावेगी। उस समय कैटेगरिकली वित्त मन्त्री महोदय ने अपोज़ीशन की उन दलीलों का खण्डन किया था कि इस एक्ट के जरिये सरकार किसी भी समय टैक्स के प्रोपोज़ल लाकर विधान सभा की बिना स्वीकृति के उनको लागू कर सकती है; मसलन आज विधान सभा स्थगित होगी और उस स्थगन के बाद यदि कल ही सरकार ऐसा विचार कर ले कि हमें कोई टैक्स लागू करने हैं, टैक्स लागू करने के लिये वह ऑर्डिनेन्स इश्यू कर देगी और उसके द्वारा टैक्स लागू कर दिये जावेंगे। उसमें भी ऑर्डिनेन्स की भी जरूरत नहीं होगी, यदि सरकार केवल मात्र एक बिल इन्ट्रोड्यूस करने के नाम से टैक्स के अनाउन्समेन्ट कर

( श्री भैरोंसिंह )

देगी । उस अनाउन्समेंट मात्र से ही इस कानून की शरण लेकर उस टैक्स को लागू कर दिया जावेगा । मैं ऐसा समझता हूँ कि यह टैक्स लगाने की पद्धति के बिल्कुल विपरीत है ।

वैसे तो यह भी निवेदन करूं कि राजस्थान में पहली बार इस प्रकार की यह घटना हो रही है कि टैक्स बजट के समय जो लगाये गये उन टैक्सों में कोई संशोधन बजट के समय नहीं किया जाकर बजट स्पीचों के समय भी अनाउन्स नहीं किया जाकर बाद में किया जाय । बजट स्पीच में जो प्रोपोज़ल्स थे उनके पीछे एक सेंक्टिटी है । बजट का एक मैथड़ है और उस सेंक्टिटी और मैथड को सामने रख कर उन प्रोपोज़ल्स के बारे में ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है कि एक्ट में जाने तक उनको लागू किया समझा जाना चाहिये । पर इसके बाद भी जो अनाउन्समेंट होता है वे बजट से सम्बन्धित हैं, ऐसा मान कर नहीं चला जा सकता । हमने कन्सोलिडेटेड फण्ड और सरकार के रेवेन्यू रिसीट और उसके बेसिस पर हमारी स्टेट का एक्सपेन्डीचर दोनों के बारे में अभी अभी बजट पास किया है और आज के करीब पन्द्रह दिन पहले बजट का एप्रोप्रियेशन बिल पास किया है । उसमें कन्सोलिडेटेड फंड से कितना खर्च होगा, इसको प्रेस्काइब किया है, रिसीट का असेसमेंट किया है और उस पर एक्सपेन्डीचर का एस्टीमेट किया है और दोनों के एस्टीमेट के ऊपर बजट का प्रावधान रखा है, खर्चा और आमदनी का ढंग दिखाया है । उस समय सदन मान सकता है कि रिलीफ देने के कारण कई आइटम्स में एग्ज़ेम्पशन देने के कारण सरकार को घाटा हो रहा है तो उसकी पूर्ति के लिये इस प्रकार के टैक्स नये रूप में लाने हैं तो उसका मतलब यह होता है कि जिस समय एप्रोप्रियेशन बिल पर आलोचना का उत्तर वित्त मन्त्री ने दिया उस समय जो जवाब दिया वह इस प्रकार का समझा जाना चाहिये कि वे फैक्ट्स से विपरीत थे या मन्त्री महोदय को अपनी सरकार की वित्तीय स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था । यदि ज्ञान होता तो उस समय उनको कोई दिक्कत नहीं थी । उस समय भी वे घोषणा कर सकते थे कि मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाना है और १४ लाख के घाटे की पूर्ति इस प्रकार करनी है । पर बजट पास हो जावे, एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जावे, फाइनेन्शियल पोज़ीशन जैसी है वह सदन के सामने रख दी जावे उस पोज़ीशन में तुरन्त कोई हेरफेर नहीं करना है; इस बात का आश्वासन मिल जावे, इसके बाद टैक्स का प्रोपोज़ल आता है तो यह हाउस की मान्यता है कि जो बजट हमने पास किया है उसके बारे में हमारी सरकार को पूर्णतया जो जानकारी होनी चाहिये वह नहीं थी । एक हैप-हैजार्ड-वे में बजट पास करा लिया गया है; ऐसा समझा जाना चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आप एक्ट के लफ्ज़ों पर जाना चाहें तो लफ्ज़ी नुक्ताचीनी के द्वारा इस प्रोवीज़नल कलेक्शन एक्ट को लागू कर सकते हैं, पर जो इन्श्योरेंस इसको पास कराते समय वित्त मन्त्री ने दिया था और सदन का जो उस बारे में सेंस है उस पर यदि चलें तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि हाउस ने स्वीकृति दी थी केवल बजट के समय के अमेन्डमेन्ट की और उस अमेन्डमेन्ट की इस प्रोवीज़नल कलेक्शन एक्ट के द्वारा वसूल करने की । पर आज नये रूप से व्यवस्था की है ।

( श्री भैरोंसिंह )

मैं समझता हूँ यह बजट की सेंक्टिटी, उसके मैथड और बजट बनाये जाने के जितने भी सरकार के रिवाज हैं उन सारे रिवाजों के विपरीत है ।

बजट के वक्त जिस तरह का हमारे नये वित्त मन्त्री महोदय ने भाषण दिया और उससे जो उनका सख्ती बरतने का एटीट्यूड लगा, उससे कुछ उम्मीद बनी । पर अब तक जो काम उन्होंने किये हैं उनसे मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि उनका कोई सख्त एटीट्यूड रहेगा । अगर सख्त एटीट्यूड रहता तो बजट ठीक तरह से आता, उसमें बीसों गलतियां नहीं मिलतीं और जो हमारी आय के करोड़ों रुपये चले गये वे नहीं जाते । तो उन्होंने कोई सख्ती की है और फाइनेन्स को कन्ट्रोल किया है; ऐसा कुछ नहीं लगता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है; बल्कि वास्तविकता इसके विपरीत है । राजस्थान की आज की स्थिति फाइनेन्स के नाते ऐसी बन गई है कि परसों या परले रोज सरकार को पी० डब्ल्यू० डी० को यह आदेश देना पड़ा है कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ३० परसेन्ट जिसका काम पूरा हो गया है उसको ही केवल आगे चालू रखा जावे; बाकी तीस परसेन्ट के काम हो नहीं हो पाये हैं उनको चालू न किया जावे और अगर चालू करने की जरूरत महसूस की जाती हो तो माननीय मुख्य मन्त्री से विशेष रूप से अनुमति ली जावे । इसका मतलब यह है कि सरकार में फाइनेन्शियल क्राइसिस आ रहा है ।

( ११.० म० पू० )

इस फाइनेन्शियल क्राइसिस को मीट करने के लिए टैक्सेज़ ही एक प्रकार का समाधान यह सरकार मान कर चलती है, यह बुनियाद में गलत है । आप फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट जो कि कल ही विधान सभा में पेश हुई है उनको देखें तो आपके सामने कई ऐसी गुंजाइशें थीं कि जिनके आधार पर आप टैक्सेज़ का नाम नहीं लेते; बल्कि जो सरकार को आमदनी है उसके अन्दर मितव्ययता के द्वारा इस प्रकार की कमी कर सकते थे । लेकिन जहां इकोनोमी का प्रश्न आता है उससे हमारी सरकार दूर है । जहां एम्बेज़लमेन्ट्स हुए हैं, रिकवरीज़ ड्यू हैं उनकी वसूली में सरकार किसी प्रकार का प्रयास नहीं दिखाती और इन सारी चीजों के बावजूद भी वह टैक्से का प्रपोज़ल लेकर आती है तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारी सरकार सरकारी खर्चे को डालने में बिल्कुल इनकॉम्पीटेन्ट है और इसी के कारण यह टैक्स लेकर हमारी सरकार आती है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो आपने गलत परम्परा यह डाल दी कि जिस समय बजट चल रहा था आपने फौरन लिकर के ऊपर टैक्स बढ़ाया और कुछ टेक्सों को हटाया । वह इसका संकेत करता है कि जिस समय टैक्स लगते हैं उस समय जितने भी कन्सीडरेशन्स टैक्सेज़ के बारे में होने चाहिए वे नहीं होते हैं, बल्कि आप मेथेमेटिकल केलकुलेशन्स के ऊपर चलते हैं कि १० नये पैसे हैं तो १२ नये पैसे कर दिये जायें, ६ हैं तो ८ नये पैसे कर दिये जायें, इसमें इतनी आमदनी हो जायेगी और यह ख्याल नहीं रखते कि इसके जरिये किनके खिलाफ असर पड़ने वाला है । इसका ध्यान नहीं रखते हुए आप केवल टैक्स

( श्री भैरोंसिंह )

के नाम पर ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से धन एकत्रित किया जाये, केवल इस एक ही चीज को ध्यान में रख कर टैक्स के प्रोपोज़ल्स लाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी कानून बनता है उसकी एक ही मंशा होती है। उस कानून का सारा दिग्दर्शन उसके लफ्ज़ों से नहीं होता; बल्कि उसकी विशेज़ (wishes) से होता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय अपने प्रिडीसेसर का भाषण पढ़ें जो कि सन् ५८ का है, तो मालूम होगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बजट के समय जो अनाउन्समेन्ट्स होते हैं यह प्रोवीज़नल कलेक्शन एक्ट उसी के लिए लाया जा रहा है। बाकी बीच बीच में कोई अनाउन्समेन्ट करें, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने यह आश्वासन दे कर कानून बनाया। यदि उसका उल्लंघन इस टैक्स के द्वारा करना चाहते हैं तो ऐसा आप बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या आयेगी कि जिस प्रकार का आश्वासन मिलता है उसको स्वीकार किया जाये या नहीं? अगर किया जाये तो उसको अमल करने में सरकार किस प्रकार से बाधा उपस्थित करती है;

( समय समाप्ति सूचक )

ऐसी हालत में मैं इसका विरोध करता हूँ और प्रोवीज़नल टैक्स कलेक्शन के नाम पर जो लागू करने की व्यवस्था की जा रही है वह गलत है और सदन की विशेज़ के खिलाफ है। सरकार खर्चे में कमी करके बाकी के साधनों में रकम जुटा सकती है। ऐसी व्यवस्था नहीं करके अपने फैल्योर्स को टैक्सेज़ के रूप में कमी पूरी कर रहे हैं, वह घातक है और उसी के लिए मैंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्त मंत्री ) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई उस क्लॉज़ ३ पर जो कि १९५८ वाले एक्ट में है और उसके संबंध में उन्होंने जो साबिक वित्त मंत्री थे उनके भाषण का रेफरेन्स दिया। मैं नहीं कह सकता कि साबिक वित्त मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था....

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : मैं सुना दूं आप कहें तो ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : और किन सरकमस्टान्सेज़ में यह आश्वासन दिया, वह आश्वासन एक टेम्पोरेरी आश्वासन था या हमेशा के लिए पेरेनियल आश्वासन था, वह पता नहीं। लेकिन जो क्लॉज़ की भाषा है वह भाषा स्पष्ट है :

"Where a Bill to be introduced in the Rajasthan Legislature on behalf of the State Government provides for the imposition or increase of a tax, the State Government may cause to be inserted in the Bill a declaration that it is expedient in the public interest that any provision of the Bill relating to such imposition or increase shall have immediate effect under this Act."

चेयरमैन महोदय, यह जो प्रोविज़न है यह साफ है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा, अगर थोड़ी देर के लिए उसको मान भी लिया जाये कि यह बजट के दौरान में होना चाहिये था, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल का रेफरेन्स डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली मैंने अपने

# Page No. 65



( श्री भैरोंसिंह )

दिलाई में दे दिया है और इसी आश्वासन पर मैंने उन टैक्सेज़ को वापिस लिया कि जिनके लिए कि माननीय सदस्य जो विपक्ष के बैठे हैं उन्होंने इशारा किया था। इसलिए....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी-बाजार, जयपुर ) : That amonts to leakago of budget proposals in advance...

आपने संकेत भी दिया था तो और भी खराब है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : चीज़ पर संकेत नहीं था। क्या करने जा रहे हैं, इसका संकेत था और इसका भी स्पीचेज़ में जिक्र आ चुका था, जो कि अभी माननीय सदस्यों ने दी थी। इसलिए मैंने यह कहा था कि जो आपने सुझाव दिये थे उस पर वित्त मंत्री गौर करेगा....

**श्री भैरोंसिंह** : हमने सुझाव नहीं रखे थे कि आप टैक्स बढ़ायें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज कर दूं कि ऐसे मौके पर वित्त मन्त्री के सामने यह एतराज उठायें उनके लिये शोभा नहीं देता। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने मिल कर वित्त मंत्री से कराई और सदन के लिए कराई और राज्य के लिए कराई, आज उसी चीज को आड़े-तिरछे एतराज में लाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह ऐसी चीज नहीं है जो कि प्रिसिडेन्ट पैदा करेगी, जो सरकार के लिए और इस सदन के लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य से अर्ज कर दूं कि यह तरीका है कि जब बजट को बैलेन्स किया जाता है तो आंकड़ों को जरूर देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि किस मद में कितना रुपया आ सकता है और कितना उसमें नुकसान होता है। और जिस समय वे चीज़ें विपक्षी सदस्यों द्वारा लाई गई थीं और यह ख्याल किया गया था कि इससे २१-२२ लाख रुपये का घाटा होगा बजट में, उसी समय यह ख्याल जाहिर हो गया था कि किन किन चीजों पर और टैक्स लगाये जायेंगे और उसकी कल्पना हुई थी माननीय सदस्यों की स्पीचेज़ से। इसलिए श्रीमान्, मुझे इतना अर्ज करना है कि वह चीज जो सरकार और विपक्षी सदस्यों के दरमियान हो चुकी है किसी तरह से डाइरेक्टली वा इनडाइरेक्टली आज वह न तो उधर के बैठनेवालों के लिए अच्छा है न सदन के लिए अच्छा है....

**श्री भैरोंसिंह** : कोई कान्ट्रेक्ट नहीं था।

**श्री बालकृष्ण कौल** : इन्डीविजुअल नहीं, लेकिन मोरल कॉन्ट्रेक्ट था। मैं अर्ज कर रहा था कि हम चाहते हैं तो बाद में भी ला सकते हैं, जैसे हम लाये हैं। लेकिन यह तो उन टैक्सेज़ की चेन है जो बजट के स्पीचों के दौरान, थे और आज इसका अन्तिम रूप है। इसलिए मैं अर्ज कर दूं कि यह चीज अलहदा नहीं समझी जाये, यह उसी बजट का एक हिस्सा है, जिसका एप्रोप्रियेशन बिल इस हाउस में माननीय सदस्यों ने पास किया है। उस समय भी उस बजट में १२८ लाख का घाटा दिखाया गया और उतने टैक्स लगेंगे। तो मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि वह यह न देखें कि २२ लाख का टैक्स वापिस लिया जा रहा है तो यह कहां से आयेगा? एक माननीय सदस्य ने पूछा

( श्री बालकृष्ण कौल )

था तो मैंने कहा था कि अभी थोड़े दिनों में मालूम हो जायेगा कि यह कैसे पूरा होगा । यह सिलसिला जारी था और यह उसकी आखिरी स्टेज है, आखिरी चरण है ....

**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ़ ) : यह आखिरी स्टेज टैक्सेज़ की है या किसकी ? अब तो कोई टैक्स नहीं लगेंगे इस साल ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : नहीं, इस साल नहीं लगेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अगली साल का संकेत दे दीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह** : १२८ का है तो १२६ ही होगा; तो यह २ लाख कहां से पूरा करेंगे ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैंने कहा कि कुछ चीजों के ऊपर टैक्स लगने जा रहे हैं कि जिनकी सीमा बंधी हुई है । इसमें इजाफा हो सकता है इसलिये आपके फिर १२८ लाख सामने आ जायेंगे ।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने १२६ लाख बताये हैं ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : नहीं १२८ लाख ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, आपके वित्त मंत्रीजी से आपका सम्माननीय सदस्य यह जानना चाहता है कि अभी आपने संकेत किया कि २ लाख की पूर्ति करदी जायेगी, तो २ लाख की पूर्ति के सिलसिले में और कोई टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे २ लाख की पूर्ति हो जायेगी ? आपने कहा कि २ लाख की कमी की पूर्ति कर दी जायेगी तो २ लाख की कमी की पूर्ति किस तरह से कर दी जायेगी, यह जानना चाहता है, आपके वित्त मंत्रीजी से आपका सदस्य ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : इस सदन ने एक कानून पास किया है जिसको सेल्स टैक्स एक्ट कहते हैं । इसमें सरकार को कुछ अधिकार दे रखे हैं । उन अधिकारों के अन्दर आपके दो लाख भी पूरे हो जायेंगे ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : On a point of order, Sir आपका यह जो एक्सप्लेनेशन है सम्माननीय आपके वित्त मंत्रीजी का कि सरकार को अधिकार है एक्साइज़ में और दूसरी चीजों में, तो हमको तो स्पष्ट मालूम होना चाहिए । यह पोइन्टेड क्वेश्चन है । जब कि बजट पॉलिसी को पहले ही दिन अनाउन्स करना पड़ता है, क्या स्थिति है तो इस तरह की छूट जानबूझ कर कहां तक रखनी उचित है, यह बताना चाहिये । एक्साइज़ में दो पैसे के बजाय १० पैसा कर दें तो पूछने की जरूरत नहीं, आपके क्या आर्बिट्रेरी पॉवर्स हैं बजट के ऊपर ? या आप यह समझते हैं कि जब चाहें तब जनता पर ला सकते हैं ? यह पोइन्टेड क्वेश्चन है । नहीं तो मतलब यह होगा कि सारी चीजों को छोड़ दें, सारी चीजों को नहीं बतलावें तब भी पूर्ति कर सकते हैं ।

**श्री सभापति** : This may be a point of information, but not apoint of order,

# Page No. 67



**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : But it is a very serious matter.

इन्फोर्मेशन की बात भी आपके जरिये जानना चाहते हैं। आप बतावें कि यह कहां तक उचित है कि बगैर सदन को जानकारी दिये सरकार में जो निहित पॉवर्स हैं उसके मातहत वह जब चाहे तब टैक्स बढ़ा सकती है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री सभापति** (श्री भीमसेन) : सरकार के पास जो अधिकार हैं उसमें करेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो कन्वेन्शन है उसके अनुसार आना चाहिये।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : वे बजट प्रपोज़ल्स नहीं हैं। मैं कह चुका हूं, जो मुझे कहना था। अब सिर्फ यह अर्ज करना है कि आपके अधिकारों के बीच रह कर ही सब कार्यवाही हुई है और आगे भी रहेंगे; यदि कभी कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी, जो मुझको उम्मीद नहीं है कि कोई नया टैक्सेशन बिल आपके सामने आये....

**श्री भैरोंसिंह** : फिर कैसे पूरा करेंगे ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : आप तसल्ली रखिये। मेरे से आप निकलवा नहीं सकते। माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि जो एतराज रखे हैं उन्हें वापिस लें।

**श्री भैरोंसिंह** : ओवर ड्राफ्ट की पोज़ीशन स्टेट की क्या है, यह बता दीजिये; फिर मैं इसे वापिस ले लूंगा।

**श्री बालकृष्ण कौल** : उसका इससे संबंध नहीं है।

**श्री सभापति** (श्री भीमसेन) : प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग बने ?

(मत-दान के पश्चात्)

'Ayes' have it

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : 'Noes have it,'

**श्री सभापति** : Do you claim division ?

**श्री भैरोंसिंह** : Yes, we want division.

(विभाजन घंटी)

**श्री सभापति** : I will again put the question.

प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मंत्रियों को आदेश जारी कर दिया जाय कि फाइनेन्स बिल या बजट डिस्कस हो उस समय सारे मिनिस्टर्स को हाउस में प्रेज़ेन्ट रहना चाहिए। पार्लियामेन्ट में भी यही प्रेक्टिस है।

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापतिजी,....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपको

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

सिगरेट पीने के लिये इजाजत दी जा सकती है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि विधेयक का खंड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम विधेयक के अंग बनें ?

( स्वीकृत )

विधेयक का खंड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्त मंत्री ) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन) अमेन्डमेन्ट बिल, १९६२ पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर ( संशोधन ) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

( खंडशः विचार विमर्श एवं पारित )

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( पंचायत मंत्री ) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९६२ विचारार्थ लिया जाय।

**श्री सभापति** : Motion moved Vijai Singh Jhala.

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : सभापतिजी, मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

सभापति महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक पर संशोधन बिल प्रारम्भ में ही सदन में आ जाना चाहिये था, क्योंकि इस विधेयक के द्वारा हमने राजस्थान में एक महान् विषय का परीक्षण किया है और डेढ़ साल के बाद इसमें जो कमियां सामने आईं उनकी पूर्ति करना आवश्यक था। लेकिन आज इस विधेयक में संशोधन ला रहे हैं, जब कि सेशन खत्म होने जा रहा है। इस समय हमें केवल २ घंटे विचार करने को मिलेंगे यह आवश्यक था कि जितनी भी हमारे राजस्थान में इस विधेयक के अनुसार परीक्षण के बाद जो कमियां सदस्यों ने महसूस की हैं उन सारी कमियों पर विचार करने के बाद में जितने भी संशोधन इस विधेयक में आने चाहिए, वे सारे के सारे संशोधन में आने चाहिये थे; क्योंकि केवल इस संशोधन से ही वे सारी कमियां दूर होने वाली नहीं हैं। आप इसके बाद में फर्दर अमेंडमेंट लायेंगे और छोटी छोटी चीज के लिए विधेयक लायेंगे और उन पर विचार करने के लिए सदन को बहुत सारा समय देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि माननीय मंत्रीजी इस विधेयक में संशोधन लाने के बारे में सेशन के प्रारम्भ में ही सोचते।

माननीय सभापतिजी, जो संशोधन इस विधेयक में रखा है यह संशोधन, माननीय

# Page No. 69



( श्री विजयसिंह झाला )

मंत्रीजी ने जो यह आश्वासन दिया था कि पंचायत में पार्टी बेसिस पर काम चल रहा है वह खत्म होगा, इस आश्वासन के विरुद्ध है। क्योंकि प्रधान एक पार्टी से सम्बन्धित होता है, एक दल विशेष से सम्बन्धित होता है, वह प्रधान किसी एक सदस्य या ऐसे सदस्यों का जो पंचायत समिति में मौजूदा सदस्य हैं, चुनाव कराये, यह अधिकार देना चाहते हैं। मैं यह उचित नहीं समझता कि यह अधिकार उस प्रधान को दिया जाय जो खुद उस पंचायत का एक सदस्य है।

माननीय सभापतिजी, अभी स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव हुए। उस चुनाव में जिस प्रकार प्रधान द्वारा पक्षपात किये गये, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान उन पक्षपातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मावली पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ वहां कागज की गोलियां डाल कर चुनाव कराया जाता है। अब वन–थर्ड स्टेन्डिंग कमेटी के मेम्बर्स रिटर्न होने चाहिए। वे कौन कौन से रिटर्न होंगे, उनकी गोलियों पर रिमार्क प्रधान द्वारा लगा दिये गये और उसमें अमुक आदमी को कह दिया कि अमुक प्रकार के रिमार्क की गोली होगी, उसको उठा लेना, ताकि जो विरोधी सदस्य हैं वे स्टेन्डिंग कमेटी से निकल जायेंगे। इस प्रकार जो स्टेडिंग कमेटी में वन–थर्ड मेम्बर रिटर्न होते हैं उनमें पक्षपात करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार प्रधान को दें तो वह किस प्रकार निष्पक्षता के साथ उसकी पूर्ति करेगा। मैं साथ ही साथ माननीय मंत्री का ध्यान खमलाड़ पंचायत समिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी तक कोऑप्टेड सदस्यों के चुनाव पूरे हो जाने चाहिए थे; लेकिन क्योंकि वहां कोऑप्टेड मेम्बर्स हैं वे प्रधान से सम्बन्धित हैं इसलिए चुनाव नहीं हुए। तो यह समझ में नहीं आता कि जब एक सदस्य को कायम रखने के लिए एक प्रधान देरी चुनाव में कर सकता है, स्टेन्डिंग कमेटी में वन–थर्ड सदस्यों का चुनाव करने के लिए, जो विरोधी सदस्य हैं उनको निकालने के लिए चुनाव का प्रोसीजर जो है उसका इल्लीगल, अवैधानिक तरीके से गोली में रिमार्क लगा कर चुनाव करा सकता है वह प्रधान किस तरह निष्पक्षता के साथ सदस्यों का चुनाव करायेगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे चुनाव कराते हैं। वे किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होते तब भी हम शिकायत करते हैं कि एक पार्टी का पक्ष लेते हैं, ऐसी हालत में प्रधान, जो किसी पार्टी से सम्बन्धित है उसके द्वारा ऐसे चुनाव कराना मेरी राय में मैं उपयुक्त नहीं समझता। इसके साथ ही साथ इस विधेयक में जो कमियां हैं वे पूरी हो जानी चाहिए थीं संशोधन के रूप में, वे नहीं हुई हैं। उसके बारे में विचार करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इसके साथ ही अभी हमने एक महान् विषय पर परीक्षण किया है उसमें जो कमी मालूम हुई हैं वे पूरी हो जानी चाहिए थीं वे नहीं हुई हैं। उन कमियों को भी इस संशोधन के साथ ले लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय सभापतिजी, पंचायत समिति के निर्णय के विरुद्ध स्टे करने का अधिकार स्पेसिफाइड ऑफिसर को दिया है, उसमें....

**श्री सभापति** Order please! जो सम्ब-

( श्री विजयसिंह झाला )

न्धित क्लॉज हैं उसमें यह आता नहीं है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह पोइन्ट इसलिए मैंने उठाया है कि जो मेरा प्रस्ताव है प्रवर समिति को भेजने का उसके अन्दर मन्शा यह है कि एक महान् विषय का परीक्षण किया है, विकेन्द्रीकरण किया है तो उसमें अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिये संशोधन लायें तो तमाम........

**श्री सभापति** : पूरे विधेयक पर विचार नहीं किया जाय, एक छोटा सा अमेन्डमेंट है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : छोटा अमेंडमेंट है, उसमें दूसरी बड़ी कमियां भी साथ ले ली जातीं तो मेरी समझ में अच्छा होता । खैर, मैं इस बारे में नहीं बोल कर इस पोइन्ट पर आता हूँ कि सरकारी कर्मचारी, जो किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं........

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : कांग्रेस से सम्बन्धित हैं, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस से सम्बन्धित हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : कानूनी रूप से वे किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होने चाहिए, फिर भी उनके बारे में शिकायत है कि कांग्रेस से सम्बन्धित होते हैं । तो ऐसे प्रधान जो केवल किसी पार्टी विशेष के आधार पर बनते हैं वे सदस्यों का निष्पक्षता के साथ में चुनाव करायें, यह मेरी समझ में नहीं आता है....

**एक माननीय सदस्य** : प्रधान हमेशा पार्टी के आधार पर बनते हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधान पार्टी के आधार पर बनता है, उस प्रधान को चुनाव का अधिकार देना, किसी सदस्य का चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं है । मेरी समझ में चुनाव पक्षपातपूर्ण होगा और निष्पक्षता से नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो मैंने उदाहरण रखे मावली पंचायत समिति और खमलात पंचायत समिति के, इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं । इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो मौजूदा अधिकार प्रधान को दिये हुए हैं उन अधिकारों का वे दुरुपयोग करते हैं और उनका प्रयोग करते समय वे पार्टी बेसिस पर सोचते हैं । ऐसी स्थिति में हम उनके द्वारा चुनाव कराने जायं और वे पार्टी के आदमी को लाने की कोशिश न करें, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं समझता हूँ, माननीय सभापति महोदय, इसमें कई प्रकार की सम्भावनायें हो सकती हैं—यह भी हो सकता है कि किसी ऐसे सदस्य को जिसको वह नहीं लाना चाहता हैं, उसका फॉर्म अकारण ही रिजेक्ट कर दे; हो सकता है कि उसके लिए आज एक प्रोसीजर है लेकिन उसमें कोई आपत्ति अकारण ही प्रस्तुत कर दे । इसके साथ ही साथ नोटिस सर्व करने में देरी कर सकता है । अगर कोई आदमी चुनाव में आ सकता है और वह उसके खिलाफ है तो नोटिस उसके पास सर्व नहीं कर सकता है । इस प्रकार जो प्रधान केवल एक पार्टी से सम्बन्धित होता है, उस प्रधान को इस प्रकार अधिकार देना मैं उपयुक्त नहीं समझता । अतः यह आवश्यक है कि जो विभिन्न जिलों में इस प्रकार की कठिनाई आ सकती हैं वे किस प्रकार से सोल्व हो सकती हैं; इस पर सारे सदस्यों को विचार करना चाहिए, जो इस विषय से सम्बन्धित हैं ।

( श्री विजयसिंह झाला)

इसके साथ ही साथ इस क्लॉज़ में यह कहा गया है कि इस संशोधन के लागू होने के पहले भी जो इस प्रकार के चुनाव हो गये हैं, वे चुनाव ठीक मान लिये जायेंगे और ऐसा मान लिया जायेगा कि उस समय यह संशोधन पारित हो गया था और इसके अन्तर्गत वे सदस्य मान लिये जायेंगे। मेरी समझ में यह बात ऐसी हो सकती है कि इस प्रकार के चुनाव हुए हैं जहां, वहां प्रधान ने अपनी मर्जी के सदस्य बनाने की कोशिश की हो और जिसकी अपील किसी कोर्ट में की गई हो। ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्रीजी चाहते हैं कि इस प्रकार जो प्रधान ने चुनाव कर लिये हैं, वे इस संशोधन के अन्तर्गत वेलिड मान लिये जायें; इसलिये मैं इसका विरोध करूंगा

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

और इसके साथ सुझाव दूंगा कि इसके अन्दर जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं जिलावाइज़ उन पर विचार करना जरूरी है और ऐसी हालत में मैं प्रस्ताव करूंगा कि इस पर विचार करने के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : श्री अब्दुलजब्बार।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापतिजी, यह जो राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् अमेंडमेंट बिल है उसमें मेरा प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा जाय, ताकि सही रूप में वहां इस पर विचार किया जा सके; क्योंकि क्लॉज़ १८ में जो तरमीम चाही जा रही है, इसके बजाय दूसरा क्लॉज़ रिप्लेस किया जा रहा है, यह बिल्कुल-डाइरेक्ट; प्रधान, उप-प्रधान से सम्बन्ध रखता है। हालांकि कलेक्टर के लिए प्रोविजन रख दिया गया है, फिर भी आज की हालत को देखते हुए, जो आज पंचायत समिति और जिला परिषद् में चल रही है, उसको देखते हुए अन्दाज होता है कि अगर इस रूप से इस कानून को उनके हाथों में दे दिया गया तो फिर से पोसिबिलिटीज़ हैं कि जो गलत कार्यवाहियां देखने को मिल रही हैं वे और देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक छोटा-मोटा मसला साधारण रूप से जनता के हाथ में होना चाहिए, लेकिन वह है नहीं और रखते हैं और जिम्मेदार ठहराते हैं पंचायत समिति के प्रधान को। तो कानून के जरिये, आपके जरिये उसको गवर्न किया जाय। एक पंचायत के अन्दर में एक क्लर्क होना चाहिए, लेकिन एक-एक क्लर्क तीन-तीन में काम करता है पंचायत का प्रधान जानता है कि यह गैर कानूनी है क्योंकि आज बेरोजगारी को मिटाना जरूरी है और होना यह चाहिए कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। पंचायतों में भिन्न भिन्न क्लर्कों को भिन्न भिन्न तनख्वाहें मिलती हैं। एक ही व्यक्ति जो मैट्रिकुलेट होता है उसको एक पंचायत में ६०) रू० तनख्वाह के मिलते हैं और दूसरी पंचायत में ४५) रू० मिलते हैं और न्याय पंचायत में अलग से वेतन मिलता है। इस तरह से तीन जगह अलग अलग वेतन लोगों को मिलते हैं। आप देखेंगे कि जो मैट्रिक पास करके अलग अलग स्थानों पर नौकर होते हैं वहां पर उनको अलग अलग वेतन मिलते हैं। इस प्रकार अधिकारों का हनन होता है और

(श्री अब्दुलजब्बार)

जिन लोगों को जितना वेतन मिलना चाहिये नहीं मिलता है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : आपने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उस पर बोल रहे हैं या मैट्रिक पास के कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं ? आप अपने विषय पर बोल नहीं रहे हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : ये विषयान्तर नहीं हो रहे हैं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : कानून जब बन जाता है तो उस कानून के मुताबिक चला जावेगा। उस कानून पर अमल किया जावेगा तभी उसके अनुसार चला जाएगा और जो कानून अमली जामा नहीं पहिन सकते वे रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक होते हैं और ऐसे कानून जो बन जाते हैं और उन पर अमल नहीं किया जा सकता, उन कानूनों के आधार पर गवर्नमेंट चल नहीं सकती। यही कारण है कि आज कानून बना दिये जाते हैं और वे बने पड़े रहते हैं और उन पर अमल नहीं किया जाता। हम खुल कर कह सकते हैं कि मोहल्लों में कानून को मोहल्ले वालों से चलाया जावे....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आप मोहल्लों के बारे में कह रहे हैं या एमेन्डमेंट के बारे में ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पंचायत मन्त्री) : मेरे ख्याल से यह कानून के बारे में अच्छी बहस नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : अभी भूमिका बांधी जा रही है। आगे कहा जावेगा।

**श्री अब्दुलजब्बार** : यह खुल कर कहा जाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को खुद डाउट है और इसीलिये गवर्नमेंट एसेम्बली में इसे लेकर आई है। उनको खुदको डाउट है तभी तो उन्होंने सब क्लॉज (२) को यहां रख दिया है। खुद को डाउट है कि अगर गड़बड़ी हो तो क्या होगा ? इसीलिये यह संशोधन लाया गया है :–

"On non-compliance of the order of Section 18 by Pradhan or Up-Pradhan, they must atleast be tried."

कम से कम उनको पनिशमेंट होना चाहिये; यह नहीं कि कानून बना दिया और कानून की कोई पाबन्दी नहीं करता और उसमें ढिलाई करता है तो उसको टालते रहते हैं। इसमें बदनामी गवर्नमेंट की और एसेम्बली के सदस्यों की होती है, क्योंकि एसेम्बली कानून बनाती है। इसलिये उन कानूनों पर जो बनाये जावें पाबन्दी के लिये कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। इसमें यह होना चाहिये कि अगर कोई कानून की कम्पलायेन्स नहीं करते हैं तो क्या सजा उनको दी जानी चाहिये। मगर ऐसा होता नहीं है। कानून बनते रहें, इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। अगर आपकी यही मंशा है तो फिर आप साफ कहिये कि जो लोग कानून की पाबन्दी नहीं करते उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठावेंगे और उल्टा उनको मदद करेंगे। अगर यही मंशा है तो फिर कानून क्यों बना रहे हैं ? मैं नहीं समझ सका कि आपकी क्या मंशा है। यह बिल जो आपने

( श्री अब्दुलजब्बार )

रखा है यह अधूरा है । इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और इसके आगे कोई अमेन्डमेन्ट की जरूरत नहीं है !

**श्री सभापति :** Shri Nathu Ram Mirdha Minister-in-charge.

**श्री महेन्द्रसिंह** ( दीगोद ) : मुझे बोलना है ।

**श्री सभापति :** One more Member to speak.

**श्री महेन्द्रसिंह :** सभापति महोदय, एक्ट १८ के अन्तर्गत वाकई पंचायत समितियों को कार्य करने में कुछ अड़चन पैदा हुई है । मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि ग्राम (अअअ्य) के अन्तर्गत कोऑप्टेड मेम्बर की अवधि समाप्त होने से हटा दिया गया । वहां आज भी बावजूद पांच माह गुजर जाने के वह स्थान अभी भी रिक्त पड़ा है और उस रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हुई है । इसी प्रकार कई स्थानों पर स्टेन्डिंग कमेटीज़ के पुनर्गठन करने में पंचायतें असमर्थ हो रही हैं । इसलिये इस क्लॉज़ की आवश्यकता जरूर है और इसके लिये संशोधन करना चाहिये । इसका मैं स्वागत करता हूं; लेकिन इसमें जो खराबियें हैं उनको दूर किया जा सके, यह संभव नहीं होगा । इसके जरिये कोऑप्टेड सदस्य का जरूर चुनाव होना चाहिये । इसका चुनाव होने से पंचायत समितियों को गुटबन्दी में और बल मिलेगा । पंचायत समितियों में 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष होते हैं । चाहे 'हां' पक्ष की तरफ से सब कुछ होगा और 'ना' पक्ष-'ना'। पक्ष की तरफ से कुछ भी आवे, चाहे वह कितना ही अच्छा सुझाव हो लेकिन उसको ठुकरा दिया जावेगा, पब्लिक को इससे कोई राहत नहीं पहुंच सकेगी । इसलिये यह जरूरी है कि कोऑप्टेड सदस्य को न लेने की पद्धति अपनावें जिससे पंचायत समिति को गुटबन्दी से बचाया जावे और इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, जो अपना प्रतिवेदन सदन के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे । सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जावेगी ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( पंचायत मंत्री ) : सभापति महोदय, यह छोटा सा विधेयक मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया है और इसको पास करने के लिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जरूरी है । हमारे पंचायतों के कानून में इस बात की व्यवस्था है कि पंचायत समिति का कोई भी सदस्य समय से पहले अगर किसी पद से इस्तीफा दे दे या फौत हो जावे तो उसमें प्रधान को अधिकार है कि वह सदस्य का चुनाव करा सकता है । लेकिन सहकारिता के कोऑप्टेड सदस्य हैं जिनकी अवधि एक साल की है जब अवधि समाप्त हो जाती है तो अवधि के समाप्त होने पर उसका चुनाव कौन करावे, यह कानून में नहीं है ।यह छोटा सा लेकुना है । इसलिये कई पंचायत समितियों में ऐसे सदस्यों की अवधि समाप्त हो गई है और उनके रिक्त स्थान घोषित हो गये हैं । उन स्थानों को वापिस भरना है । इसके लिये कानून में कोई प्रावधान नहीं है । इस लेकुना को पूरा करने के लिये यह छोटा सा विधेयक प्रस्तुत किया है । इसके बारे में यह प्रस्ताव रखा गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे । मैं समझता हूं कि इसमें

( श्री नाथूराम मिर्धा )

कोई ऐसा मसला और मुद्दा नहीं है जिससे सदन सिलेक्ट कमेटी में अपना दिमाग लगाए। यह कहना कि पंचायत समिति में यह गड़बड़ी हो गई और आपस में कटुता चलती है, इन बातों का संबंध इस विधेयक से नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें और भी खामियें हैं, उन सारे मसलों पर सरकार विचार करके उपयुक्त समय में जो भी संशोधन अलग से रखे, यह अलग बात है। यह तो अर्जेन्सी की बात है कि इन रिक्त स्थानों को जिनको घोषित किया जा चुका है उसके चुनाव कौन करावे। इसमें कहा गया है कि प्रधान कराए और अमुक समय में अगर नहीं करावेगा तो कलेक्टर उसके बाद कराएगा। एक सबक्लॉज जोड़ा है। पंचायत समिति ने हमारे विभाग को समय समय पर कहा है कि कई स्टेन्डिंग कमेटीज़ के चुनाव दुबारा समय समय पर होते थे उनके भी चुनाव नहीं होते हैं और पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटीज़ काम नहीं कर रही हैं। इससे लोगों को हर्जाना और नुकसान होता है। इसलिये हमने इसकी व्यवस्था की थी। कुछ पंचायत समितियों ने कहा कि चुनाव करा सकते हैं और कई पंचायत समितियों ने चुनाव करा लिये हैं। जिन्होंने चुनाव करा लिये हैं उनके चुनावों को वैध समझा जावें, इसके लिये यह संशोधन लाया गया है।

तो ऐसी स्थिति में जब कि यह छोटा सा और सीधा सा कानून है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। कानून यह बहुत ही जरूरी है। कानून में लेकुना रह गया था उसका पूरा करना आवश्यक है। इसलिये मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है सिलेक्ट कमेटी में जाने का उसको वापिस लेंगे।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : "On a Point of Information, Sir. चुनाव होकर समितियां और स्टेन्डिंग कमेटीज़ काम भी कर रही हैं। काम समुचित रूप से हो रहा है, उसको यह समुचित रूप दे देता है....

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : पिटीशन का टाइम निकल गया है।

**श्री विजयसिंह झाला** : वह इसमें आ गया है। इसलिए जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने रखा है और जिसको वे वापिस लेना चाहते हैं क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृति )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : मैं इसको वापिस लेता हूं।

**श्री महेन्द्रसिंह** ( दीगोद ) : जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि और दिक्कतें आवेंगी आगे जाकर तो पहले से ही क्यों नहीं उनको ठीक कर लिया जाय ताकि दुबारा संशोधन की आवश्यकता न पड़े ?

**श्री सभापति** : आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पंचायत मन्त्री) : उनका प्रस्ताव है ही नहीं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : प्रधान और उप-प्रधान उन लोगों के चुनावों को टालते रहते हैं। इस बिल को लाने की मंशा भी इससे साफ जाहिर है। पीछे भी इसके विषय में दिया हुआ है। इसलिए उसी दिक्कत को दूर करने के लिए और उसी पद्धति को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया है; तो फिर प्रधान और उप-प्रधान को क्यों अधिकार देते हैं, क्यों नहीं कलेक्टर को देते हैं ?

**श्री सभापति** : Order Please !

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशाधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

( व्यवधान )

**श्री सभापति** : Order please ! प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : मैंने तो विरोध किया ही नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पंचायत मन्त्री) : आप नहीं करो तो क्या बैठे रहें ?

**श्री सभापति** : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

( हां )

जो इसके विरोध में हों वे ना कहें।

( ना )

स्वीकृत।

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

( ११.४४ म. पू. )

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेडा ) : मैंने विरोध किया ही नहीं।

**श्री सभापति** : Shri Abdul Zabbar ! Please take your seat.

( विराम )

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

खण्ड २

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : माननीय सभापति महोदय, इसमें यह संशोधन मैंने रखा है :

. Substitute the words "Collector or his nominee within a month of occurance of the vacancy" for the words "Pradhan or in his absence by the Up-Pradhan within a month of the occurrence of the vacancy, failing which the Collector shall, on being apprised of the vacancy and such failure, convene for the purpose a special meeting of the Panchayat Samiti and the provisions of Section 8 shall, so far as may

( श्री विजयसिंह झाला )

be, apply to such special meeting, to the convening thereof and to the filling of the vacancy by the State Government occurring in proviso to Sub-Section (1) of Section 18 sought to be substituted for the existing Section.

दूसरा संशोधन इस प्रकार है :

2. Delete sub-section (2) of the above said section.

माननीय सभापतिजी, जो माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दिया है कि जो पंचायत समिति में कटुता हो उसका सम्बन्ध इस प्रकार से चुनावों से नहीं होगा। मेरी समझ से यह बात बिल्कुल गलत है। मैंने दो उदाहरण दिये थे। एक मावली का और दूसरा खमनोर पंचायत समिति का। वहां पर १।३ रिटर्न होते हैं। वहां पर प्रधान ने अवैधानिक ढंग से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके चुनाव कराये हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि प्रधान गुट-विशेष की ताकत को बढ़ाना चाहता है तो वह उसकी कोशिश नहीं करेगा। माननीय सभापतिजी, मेरी समझ में ऐसा अधिकार प्रधान को नहीं है। मैं इसको आवश्यक इसलिए समझता हूँ कि यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। किसी प्रधान को क्या यह अधिकार दे सकते हैं कि वह चाहे किसी सदस्य को निकाल दे? इससे मतलब हुआ कि अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, किसी प्रकार से उसका प्रयोग या दुरुपयोग करें। जब कलेक्टर चुनाव करा सकता है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रधान और उप-प्रधान को क्यों चुनाव कराने के अधिकार दिये जायं? यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध होगा। प्रधान और उप-प्रधान के समानतः जो सदस्य हैं वे लोग उस सदस्य का चुनाव करायें, यह उचित नहीं है और इसीलिए मैंने कलेक्टर के द्वारा चुनाव कराने का संशोधन इसमें प्रस्तुत किया है।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : कलेक्टर को इन्फोर्मेशन कौन देगा?

**श्री विजयसिंह झाला** : इस प्रकार की सूची कलेक्टर के पास पहुंचती रहती है। एक समान स्तर के सदस्य का प्रधान और उप-प्रधान चुनाव कराये, यह उचित नहीं प्रतीत होता है।

**एक माननीय सदस्य** : क्या चुनाव के अधिकार सरकारी अधिकारियों के हाथों में देने से स्वस्थ परम्परा होती है?

**श्री विजयसिंह झाला** ; रिटर्निंग अफसर को अधिकार है या नहीं? प्रधान और उप-प्रधान को उसके समान स्तरवाले सदस्य का चुनाव कराने का अधिकार दिया जाय तो प्रधान और उप-प्रधान उनमें गड़बड़ियां करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसका कलेक्टर को या उसके किसी नोमिनी को यह अधिकार दिया जाय; अपील हो सकती है यह भी निकाल दिया जाय।

**श्री सभापति** : श्री नत्थीसिंह।

**श्री नत्थीसिंह** ( भरतपुर ) : सभापति महोदय, सेक्शन १८ के सब-सेक्शन ( १ ) के proviso में मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है : "The proviso to sub-section (1) of

( श्री नत्थीसिंह )

section 18 may be replaced by the following:-

"Provided that the Vikas Adhikari shall inform the Collector within a week of the occurrence of such vacancy and the Collector shall, within one month of receiving such information, convene a special meeting of the Panchayat Samiti for such co-option. This special meeting shall be presided over by the Collector or his nominee. The provisions of section 8, shall, so far as may be, apply to such special meeting, to the convening thereof and to the filling of the vacancy by the State Govenmont."

सभापति महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है इसमें राज्य सरकार ने स्वयं ने कुछ बातों को माना है। पहली बात तो यह मानी है कि कुछ इस प्रकार की पंचायत समितियां हैं जहां प्रधान और उप-प्रधान ने मियाद खत्म हो जाने के बाद चुनाव नहीं कराये और इसलिए प्रावधान किया है कि एक महीने की मयाद निकल जाने के बाद कलेक्टर चुनाव करा दे। उस सम्बन्ध में मेरी राय है कि चुनाव क्यों नहीं कराये, क्या उसके पीछे कारण हैं ? जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो आदमी चुनावों में इन्ट्रेस्टेड होता है वह उसको निश्चित रूप से प्रोलोंग करें और वोटिंग राइट दे। कुछ सदस्यों की मयाद पंचायत समितियों में खत्म होगी या हो चुकी है लेकिन उन्होंने वर्किंग कमेटी में और मीटिंग में भाग लेकर वोटिंग में भी भाग लिया है, और इसीलिए भी चुनाव नहीं कराये कि प्रधान और उप-प्रधान ने स्थिति अपने फेवर में नहीं समझी, अच्छी नहीं समझी और जब स्थिति अच्छी समझी तो चुनाव करा दिये और जिनको अधिकार वोटिंग का नहीं था; क्योंकि मयाद खत्म हो चुकी थी फिर भी चुनाव करा दिये और आज भी ऐसी स्थिति पंचायत समितियों की है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि पर्चे खारिज होते हैं, पार्टीबाजी होती है इसीलिये ऐसी स्थिति में कहना कि प्रधान और उप-प्रधान निष्पक्ष रूप से चुनाव करायेंगे तो यह उचित नहीं होगा। स्टेन्डिंग कमेटीज़ को भी भंग कर दिया, जबकि अधिकार नहीं है। २।३ मेजोरिटी से बदल सकते हैं। जब वे अपने पद का इतना दुरुपयोग करते हैं तो यह निश्चित है कि चुनाव जैसी चीज़ का उनको अधिकार देंगे तो वे उन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे ही। आम चुनाव कराते हैं तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करते हैं और मैं मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बिना पार्टी पोलिटिक्स के निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। तो ऐसी सूरत में जब पंचायत समिति में कोई रिक्त स्थान हो तो आवश्यक है कि निष्पक्ष रूप से प्रजातन्त्र के स्थायित्व के लिए चुनाव करायें। इसलिए इसमें इस प्रकार का प्रावधान जरूर करना चाहिये कि उनके निष्पक्ष रूप से चुनाव कराये जांय।

एक बात और रखी गई है कि समय पर चुनाव नहीं होते हैं। मैंने यह प्रपोज़ किया है कि विकास अधिकारी की यह ड्यूटी होनी चाहिये कि वह ७ दिन में जहां भी वेकेन्सी एराइज़ हो गई है तो वह कलेक्टर को सूचना दे। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इसको

( श्री नत्थीसिंह )

स्वीकार करें। यह जो समस्या है रोज-रोज कि चुनाव समय पर नहीं कराये जाते हैं और पक्षपात होता है और नीति राज्य सरकार की यह कि समय पर चुनाव होने चाहिये तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिये, यह इसमें भी मदद देगा।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : सभापति महोदय, जो दो अमेन्डमेन्ट्स पेश किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। मेरा अर्ज करना यह है कि प्रधान, उप-प्रधान प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर कोऑप्टेड सदस्य के लिए बनाया गया, यह इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जहां पर हम डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स पर विश्वास रखने की बात करते हैं वहां पर यह बात की जाय, कलेक्टर को रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार दिये जांय, वह चुनाव करा दे, वहां मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि हम अपने आप में विश्वास नहीं करते। इस पर दलील यह दी गई है कि चुने हुए जो आदमी होते हैं वे पार्टी के लोग हैं इसलिये वे गलत काम कर सकते हैं, यह जो धारणा है वह अपने आप में विश्वास पैदा नहीं करती। जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उन लोगों को चाहिये कि जो चुनिन्दा लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जांय, उनको अपने फर्ज अदा करने की जिम्मेदारी दी जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) :- आप अपने पर विश्वास नहीं करते, इसलिए अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्कता हुई।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : हम तो विश्वास करते हैं इसको आप हटा दें। अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं-सरपंचों को चुन कर बनाया है उस पंचायत समिति में विश्वास नहीं कर सकते जो अधिकार कानून के तहत दिये गये हैं। प्रधान को अधिकार होगा कि वह कोऑप्टेड सदस्य का चुनाव करे उसी को चुनाव करने का अधिकार होगा। वह चुनाव अधिकारी जो चुन कर आया है क्या एक कोऑप्टेड सदस्य का चुनाव नहीं करा सकता? जब हम डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बातें करते हैं हमारे प्रतिनिधि पर अविश्वास व्यक्त करना उचित नहीं है। इसलिए अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह सही है, डेमोक्रेटिक तरीके का है। हमको प्रधान, उप-प्रधान को इस प्रकार के अधिकार देने चाहिये, समय पर मीटिंग बुला कर कोऑप्टेड सदस्य का चुनाव कर सके, ताकि पंचायत समिति का कार्य सुचारू रूप से और ठीक प्रकार से संचालित हो सके।

**श्री विजयसिंह झाला** : जिससे उनकी मेजोरिटी बनी रहे।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : मेजोरिटी जब उसकी होती है तभी तो वह प्रधान होता है। वह तो जब सोचेगा तभी मेजोरिटी है....

**श्री विजयसिंह झाला** : आप किसी पंचायत समिति के प्रधान तो नहीं हैं ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : मैं तो निर्विरोध चुन कर आया हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा, प्रधान अपनी पार्टी के लिये, अपनी पार्टी के आदमी को कोऑप्ट करने की कोशिश करेगा।

**श्री विजयसिंह झाला** : ऐसा किया है, मैंने मावली पंचायत समिति में देखा है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : ऐसी बात नहीं हो सकती हैं विकास अधिकारी अलग रहता है।

**श्री विजयसिंह झाला** : ऐसा भी हुआ है कि नोटिस इश्यू नहीं हुए और चुनाव हो गया।

**श्री गिरधारीलाल व्यास**: जिस ब्लॉक में आर० ए० एस० ऑफिसर है उसके सामने नोटिस निकले, गलत दस्तखत होकर सूचना नहीं हो यह काबिल विश्वास की बात नहीं है। जो आदमी पंचायत समितियों में हैं और जिनका डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में विश्वास नहीं है वे इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, जिनको प्रधान, उप-प्रधान पर विश्वास नहीं वहां ऐसा हो सकता है। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह सही है। इसका मुख्य ध्येय यह है कि पहले एक्ट में प्रधान, उप- प्रधान को पॉवर्स थे ये समय पर चुनाव न करायें तो वैसी हालत में क्या हो। कलेक्टर को अधिकार दिया होगा। इस प्रकार समय पर चुनाव न करायें तो कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह चुनाव कराये। अमेन्डमेन्ट जो लाया गया है वह ठीक है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** ( बनेड़ा ) : माननीय सभापति महोदय, यह जो अमेन्ड-मेन्ट आपके सामने है जैसा कि भरतपुर क्षेत्र से आये हुए साथी ने कहा, कलेक्टर को इस प्रकार के चुनाव के अधिकार होने चाहिये....

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : On a point of order, Sir, माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन बिल पर बोलने से पहले माननीय सदस्यों को पूछ लिया जाना चाहिये कि वे किसी पंचायत समिति के प्रधान तो नहीं हैं, प्रधान हैं तो वे उसकी वकालात करेंगे।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : यहां पर कोई भी माननीय सदस्य प्रधान की हैसियत से नहीं आया है, सदन का सदस्य चुन कर आया है।

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वायत्त शासनमंत्री): मैं आपकी नोटिस में यह लाना चाहता हूँ कि जो भी मेम्बर प्रधान हैं उनके बारे में इस तरह के स्ट्रिक्चर पास करना उनकी शान के खिलाफ और हाउस की शान के खिलाफ होगा। कोई भी मेम्बर प्रधान या पंचायत समिति का मेम्बर हो वह इस हाउस में आया है तो इस सदन का मेम्बर है। अगर हम उनके खिलाफ किसी प्रकार के स्ट्रिक्चर पास करते हैं तो यह उनकी शान के खिलाफ होगा।

**श्री विजयसिंह झाला** : But here he is indirectly connected with his interest

**श्री सभापति** : That is not the question. We should not take it that way.

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझता एक सदस्य के चुनाव का अधिकार प्रधान को दिया जा रहा है उससे ऐसा कौन सा अनर्थ हो जायेगा। जहां एक पंचायत समिति में ३०–४० मेम्बर्स होते हैं उनमें से कुछ मेम्बर्स पंचायत समिति के प्रधान द्वारा चुने जायं तो इसमें किसी को

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझ सकता वह किस तरह से अपना इन्फ्लुएन्स काम में ला सकता है। जब कि प्रधान को इस कानून के तहत सारी सिलेक्ट कमेटियां बनाने का, प्रधान की अध्यक्षता में चुनाव कराने का अधिकार है। और वैसे भी पंचायत समिति पॉवरफुल समिति है, युनिट की सारी की सारी स्कीम्स उसी के द्वारा ली जाती है, पैसा भी उसी के द्वारा अलॉट किया जाता है और सिलेक्ट कमेटियों का चुनाव भी उस प्रधान की अध्यक्षता में होता है तो फिर इसमें जहां एक मेम्बर के चुनाव का प्रश्न है जो हर साल रिटायर होता है उसके अन्दर कलेक्टर गवर्नमेन्ट का अफसर बैठ जाय और चनाव कराये। उस समय प्रधान भी मौजूद होगा चाहे वह प्रधान चेयरमैन की जगह पर न बैठा हो उससे कोई फर्क पड़नेवाला नहीं। उसका इन्फ्लुएन्स मेम्बर का जब चुनाव होगा उस समय चेयर पर न होते हुए भी होता है। तो उसमें किसी प्रकार का शक करने की गुंजाइश नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुने हुए लोगों को अधिकार मिलने चाहिये। हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि चुने हुए लोगों को इस प्रकार के अधिकार मिलें। इसके बजाय उनके अधिकारों में कमी करने की बात कही जाय, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : सभापति महोदय, इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो रीजन्स बताये गये हैं वह मैं पढ़ देता हूँ।

...It has been often observed that many of the Pradhans and Up-Pradhans avoid such elections, the Collector is being empowered according to section 18 that in the absence of Pradhan or Up-Pradhan...

( व्यवधान )

( १२.० मध्यान्ह )

यह अंग्रेजी में था, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा था।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : हमारे जैसे आदमी समझते नहीं अंग्रेजी में।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : आप अपने इलेक्टॉरेट्स को कहते न।

**श्री अब्दुलजब्बार** ; रीज़न्स में साफ तौर से दर्शाया गया है कि वास्तव में प्रधान व उप-प्रधान इस बात का पूर्ण रुप से प्रबन्ध नहीं करते हैं। इसलिए इस खामी को दूर करने के लिए टाल दें या अवोइड कर दें तो कौन जिम्मेदार ठहराया जावेगा। हम तो चाहते हैं कि कलेक्टर को पूरी तरह से मुकर्रर कर दिया जावे तो अच्छा है।

**श्री सभापति** :Yes, Shri Nathi Singh.

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मैं बोल रहा था साहब।

**श्री सभापति** : Yes, Shri Umrao Singh Dhabria

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : तो जो सवाल उठाया गया था उसका जवाब दिया जावे। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत समिति में किसी आदमी को लिये

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

जाने के लिए चुनाव हो और वह प्रधान की अध्यक्षता में होना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिये।

मैं इतना और अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन सरपंचों को वोट देने का अधिकार है और जो सरपंच एक पंचायत के दो हजार नागरिकों के वोटों से चुन कर आता है उसके अन्दर इतना अविश्वास करना या उसकी काबलियत में अविश्वास करना कि गलत रुप से वोट का प्रयोग कर जावेगा, यह हमारे लिए भी अच्छी चीज नहीं है। आखिर हम भी तो यहां चुन कर आये हैं। तो हम जैसे जनता के प्रतिनिधि हैं वैसे वे भी हैं। आज अगर हम उनके बारे में ऐसा समझते हैं तो हमारे बारे में भी लोग वैसे ही समझ सकते हैं। इसलिए मैं सदन के सदस्यों से और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसे नामन्जूर किया जावे और यह अमेन्डेड बिल पास किया जावे; यह मेरी राय है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): सभापति महोदय, जिला परिषद् विधेयक में जो संशोधन रखा गया है वह दो माननीय सदस्यों ने रखा है। एक तो नाथद्वारा से आनेवालों ने और एक भरतपुर से आने वालों ने। ऐसा लगता है कि प्रस्तावक महोदय लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में बहुत कम विश्वास रखते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): आपसे तो ज्यादा रखते हैं।

श्री जयकृष्ण: अगर होता तो ये अमेन्डमेन्ट्स सदन में नहीं लाते। हो सकता है कि वे सताये हुए व्यक्ति हों किसी से....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इस तरह व्यक्तिगत आक्षेप करना उचित नहीं है। या तो ये साबित करें।

श्री जयकृष्ण: मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से सुनें। अगर आपमें सुनने की क्षमता नहीं है तो दूसरों के बोलते वक्त बीच में बोलने का ख्याल रखें।

श्री विजयसिंह झाला: आपको तो कुछ नहीं कहा है।

श्री जयकृष्ण: लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल भावना यह थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और नीचे की इकाई में प्रजातन्त्र की भावनाएं जागृत होंगी। हमने यह भी कहा कि पंचायतों को लगान वसूली का अधिकार भी देना चाहिये और अन्य भी बहुत से अधिकार देने की बातें भी समय समय पर कही हैं। इस प्रकार के संशोधन लाकर यह कहना कि प्रधान या पंचायत समिति के प्रधान और उप-प्रधान अपनी जिम्मेदारियां ठीक प्रकार से नहीं निभा सकते, उनकी ऑटोनोमस बॉडी की भावना के साथ अन्याय करना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि राजस्थान ने इस चीज को सर्व प्रथम जन्म दिया है और देश का इस बारे में मार्ग-दर्शन किया है तो इस भावना को उसे कुंठित नहीं करना है, बल्कि फलने-फूलने देना है। यहां सदन में भी 'हां' और 'ना' पक्ष

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

रहते हैं, वैसे ही प्रजातंत्र के परिणामस्वरूप पंचायतों में भी होते हैं। अब ये पक्ष-विपक्ष की भावनाएं प्रधान को हक न देने से दूर हो जावेंगी, यह गलत है, दूर नहीं होंगी। डेमोक्रेसी के जन्म से ही ये भावनाएं पैदा होती हैं। जब पंचायत और पंचायत समितियों का चुनाव होता है या पंच, सरपंच या उप-सरपंच का चुनाव होता है तो पार्टियों के आधार पर होता है, सारा काम पार्टियों के आधार पर चलता है। ये आपके इस संशोधन के मान लेने से मिट नहीं सकती।

स्टेन्डिंग कमेटियों का चुनाव उप-प्रधान के हाथ में दे रखा है। मैं मानता हूँ कोऑपरेटिव के सदस्यों का चुनाव कराने में क्या अड़चन हो सकती है। जो पहले टर्म थी एक साल की थी। एक दिक्कत इसमें पैदा हुई; कुछ लोगों ने चुनाव नहीं कराये होंगे, सरकार ने लिखा है उप-प्रधान ने नहीं कराये होंगे। पर इसमें पहले से प्रोविज़न है कि यदि कोई प्रधान या उप-प्रधान तरीके से चुनाव नहीं करावेगा तो एक महीने के बाद कलेक्टर मीटिंग बुलाकर करा देगा। इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। पर दिक्कत तो वहां है जहां प्रजातन्त्र के उसूल में विश्वास की तो बात करते हैं पर काम उल्टा करने को कहते हैं। दूसरा जो भरतपुरवालों ने संशोधन रखा कि "Provided that the Vikas Adhikari.." यह उनको मालूम होना चाहिये कि हरेक विकास अधिकारी को माहवार बजट भेजना पड़ता है और रिपोर्ट भी भेजता है। उसके लिये ज़रूरत नहीं कि वह बीच बीच में भेजे। यह तो मन्थली रिपोर्ट में उसको भेजना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हिसाब से यह अमेन्डमेन्ट बेकार है।

कुछ दिनों पहले यह भी कहा गया था और क्योंकि आज आखिरी दिन हमारा है इस बजट सत्र का तो मैं वही बात आज फिर निवेदन कर दूं कि यह भी देखा गया था कि चुनावों के दिनों में सरकारी कर्मचारी चुनावों में पक्षपात करते थे। पक्षपात आज भी करते हैं और उन्होंने यह पक्षपात की बात इस सदन में कही थी। आज वे ही सरकारी कर्मचारी दूध के धुले हो गये! आज उन्हीं बैंचों पर बैठे लोग उनको दूध के धुले कहते हैं जो सबसे ज्यादा कहा करते थे कि उन्होंने चुनावों में भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था। आज पंचायत समितियों के लिये उनके दिलों में कहां से ये भावनाएं जाग्रत हो गईं? कहते थे, सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को जिताने के लिये उनका पक्षपात किया।

**श्री विजयसिंह झाला :** ठीक कहा था, चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहें? तो इस बात का स्पष्टीकरण कर दें। तो यह जो बात आपने कही उससे मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह था कि वैधानिक रूप से उनको पक्ष नहीं लेना चाहिये किसी का और लेते हैं जिस पर कि मैंने गवर्नर महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस के समय जिक्र किया था, प्रकाश डाला था तो वैधानिक रूप से वे पक्षपात नहीं लें तो दर असल प्रधान पार्टी से इन्टरेस्टेड होता है।

**श्री जयकृष्ण :** मैं बहुत कुछ समझ रहा हूं और इन दो महीनों में आपको भी बहुत कुछ समझ गया हूं। तो यह बात मेरी समझ

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

में नहीं आई । दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को रखा कि जो भी प्रधान चुनाव कराने में देरी करता है इसी के लिए यह बिल प्रस्तुत हुआ है और यह अमेन्डमेंन्ट प्रस्तुत हुआ है। इस बात को इसलिए नहीं मानता हूं, क्योंकि इसको इसलिए रखा है कि कोई भी कानून में खामी नहीं रहे । उस खामी को दूर करने के लिए इसको इसमें रखा गया है और जितनी भी सहूलियतें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पायें वह बहुत ही अच्छी बात है....

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य प्रधान हैं या नहीं ?

श्री जयकृष्ण: हां, मैं प्रधान हूं । उसकी वजह से इसकी वकालत नहीं करना चाहता हूं बल्कि इसलिए करना चाहता हूं कि मैं जनतंत्रमें विश्वास करना चाहता हूं और करता हूं ।आपके कुछ सिद्धान्त नहीं थे । जिन लोगों के सिद्धान्त होते हैं, जो लोग समाजवाद को चाहते हैं, जो स्टेट्स में प्रजातन्त्र को पनपाना चाहते हैं उन लोगों का धर्म है, कर्तव्य है कि उस प्रजातंत्र की रक्षा करें और मैं प्रजातन्त्र का हामी होने के नाते विकेन्द्रीकरण को राजस्थान में फलते-फूलते देख कर आप अमेंडमेंट करके उसकी हत्या करना चाहते हैं और इस-लिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ । साथ ही यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स लाकर जन-भावना इस प्रकार की जागृत कर दी तो यह बात नहीं है । आप भी कहीं से चुन कर आये हैं । जितनी जनता का मत प्राप्त कर वे लोग सरपंच और प्रधान बनते हैं उसी प्रकार से आप भी सदन में मत लेकर आये हैं । आप पर भी जिम्मेवारी है और जन संख्या को पनपाने की जिम्मेवारी लेकर आप इस सदन में आये हैं और आप उससे दूर हो रहे हैं । जिन्होंने यह अमेन्डमेंन्ट रखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि वे इसको वापिस ले लें और पंचा-यत समिति का विधेयक है जो उसमें भावना है १८ के अन्दर उसको वैसा का वैसा मान लें और इसी में प्रजातन्त्र का भला है ।

श्री विजयसिंह झाला ( नाथद्वारा ) : एक बात माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ....

श्री सभापति : Not necessary.

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभा-पति महोदय, जैसा कि संशोधन आया है इससे सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ इस मामले में कठिनाई हैं । जो दूसरे साथियों ने संशोधन रखे हैं वे भी उन कठि-नाईयों को कम करने या अधिक सरल बनाने की दृष्टि से ही रखे गये हैं । तो मैं यह समझता हूँ कि जो प्रजातन्त्र की बहुत जोरों से हिमायत कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है । हो सकता है, कुछ लोग प्रधान को अच्छा और खराब समझ रहे हों, यह उनके अपने अनुभव और व्यवहार पर निर्भर करता है । लेकिन जो आम बात देखी जाती है वह यह है कि जहां तक पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं ये लोकतन्त्र का प्राथमिक आधार है और इनको किसी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिये, इनको कमजोर नहीं होने देना चाहिए; यह दृष्टिकोण इन संस्थाओं के पीछे है । तो यह जो हमारी व्यवस्था है यह बिल्कुल नई है और दो-तीन सालों का नया अनुभव है और उनमें दो-तीन दिक्कतें आई हैं उनको सब

( श्री रामकिशन )

तरह से समझ लेना चाहिये। मैं भरतपुर जिले के बारे में निवेदन कर दूं। वहां पर पंचायत और पंचायत समितियों में जितने पंचें सरपंचों के खारिज किये अगर सिविल कोर्ट्स के फैसले मंगा कर देखे जायं तो वह करीब ७००–७२५ पिटीशन्स होंगी और उनमें यह फैसला दिया गया है कि प्रधान ने पंचें गैर-कानूनी ढंग से खारिज किये और जो महिलाओं का सहवरण हुआ है वह भी गैर कानूनी ढंग से हुआ है। इस प्रकार से जजों के फैसले हैं। हम तो इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इस कार्य प्रणाली में दोष आये हैं उनको दूर करने के लिए इन संशोधनों से काम नहीं चलेगा; बल्कि राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे लोग अधिक से अधिक सुरक्षित हो सकें। एक तो सुझाव यह है कि यह संशोधन चाहे पास हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है; पर इस पर सदस्यों की राय जानकर सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिये जो कि एक रिपोर्ट तैयार करे और जिससे लोगों के लिए आगे कार्य-प्रणाली का प्रकाश मिल सके।

हमारे जो पुराने मित्र रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधान के बारे में इस तरह शक करना लोकतंत्र के आचरण के खिलाफ है। तो मैं बता दूं कि जो लोग खुद सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार को ६ महीने पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि वे चुनावों को प्रभावित करते हैं और क्योंकि प्रधान का खुद का इन्टरेस्ट रहता है वह प्रभावित कैसे होगा; यह समझ में नहीं आता। जो सरकार से त्यागपत्र की मांग करें और जब दूसरे कुछ कहें तो दूसरी बात करते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहां जिसका हित होगा, स्वार्थ होगा उसकी सुरक्षा का निरन्तर प्रयत्न करेगा। जो माननीय मिनिस्टर हैं वे एक समय तक पक्षपात के अभ्यस्त बनेंगे ही। अब इसका समाधान क्या किया जा सकता है; इन सब भावनाओं पर विचार करने के लिए जो संशोधन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह लोकतंत्र में कमी करने का आभास नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि लोकतन्त्र में लोगों की आस्था कैसे ज्यादा जागृत हो, पक्षपात का आरोप कैसे कम से कम लग सके। यह तो लोकतंत्र को बढ़ाना है। कौन कहता है कि यह कम करने के लिए है? हम तो लोकतंत्र को राजस्थान में और प्रबल करना चाहते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त हो सके। मैं समझता हूं कि इसे सबको स्वीकार करना चाहिये। जो कठिनाइयां उन्हें आई हैं उनको दूर करने के लिए और भी संशोधन आ सकते हैं। इससे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इस व्यवस्था में राजस्थान को नया नया अनुभव है। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वह प्रधान रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं वह इस समय प्रधान हैं। इसलिए निहित स्वार्थ का आरोप लगाया जाये तो दोनों के ऊपर समान है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो निष्पक्ष रीति से इस बात को देखते हैं उनको पता है कि यहां पर लोकतन्त्र में गलत आरोप नहीं लगाये जायें जिससे कि लोकतंत्र की प्रारम्भिक अवस्था में ही लोकतन्त्र प्रणाली समाप्त हो जाये। इसलिए सरकारी अफसरों को ज्यादा अधिक निष्पक्ष माना गया है; वह

(श्री रामकिशन)

इसलिए कि सरकारी आदमी पर भरोसा किया जा सकता है और पार्टियों, दलों से उठ कर सरकारी कर्मचारियों को माना जाता है। तो उनको निश्चित रूप से यह अधिकार देना चाहिये और महीने भर में कलेक्टर को इत्तला दें, यह नहीं होना चाहिये; बल्कि जिस दिन जगह खाली हो विकास अधिकारी का कर्त्तव्य है कि जिलाधीश के लिये सूचना दें जिससे चुनाव का वह निष्पक्ष प्रबन्ध कर सकें। इसलिए यह संशोधन अपने आप में बलवान संशोधन है और जो मंत्रीजी को कठिनाई आई है उसे और भी सरल बनाता है, पूरी नहीं तो समाप्त प्राय: जरूर हो जायेगी यह कठिनाई। इसलिए जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है उनका मस्तिष्क तो साफ है ही और इसको स्वीकार करना चाहिये, मंत्रीजी को स्वीकार करना चाहिये और सदन का समय इस मामले में ज्यादा वादविवाद करने में लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, इस बिल में संशोधन रखा गया उसमें माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि प्रधान, उप-प्रधान मीटिंग कन्वीन करके वापिस चुनाव करा सकें, जैसा कि कानून में संशोधन है उसके बजाय कलेक्टर होना चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष के माननीय सदस्यों का यह कथन कहां तक ठीक है कि कलेक्टर रहने से कठिनाई रफा हो जायगी। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि सरकारी अधिकारियों के पास ये पॉवर्स नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि जब कि प्रधान को पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट की तहत पॉवर्स दे दिये हैं तो वेकेन्सी फिल-अप करने के लिये मीटिंग कन्वनी कर सकने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो सेक्शन १८ की जो मंशा है वह डिफीट होती है। इसलिये स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को देखने से साफ जाहिर है कि वेकेन्सी यदि फुल टर्म्स समाप्त होने से पहले होती है तो रेज़िडयुरी काल के लिये वेकेन्सी फिल-अप करने का प्रावधान मौजूद था। लेकिन कोऑप्टेड सदस्यों की टर्म खत्म हो जाती है तो दुबारा कोऑप्ट करने का प्रावधान दफा १८ में नहीं था, उस कमी को पूरा करने के लिये अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है। तो मेरे विचार से यह उपयुक्त कतई नहीं होगा कि प्रधान को मीटिंग कन्वीन करने की पॉवर दी है उसको किसी प्रकार से हटाया जाय। ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा; क्योंकि एक्ट में प्रावधान रखा है उसकी मंशा के और ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के बिल्कुल विपरीत हो जाता है और यह माना जायगा कि जो इलेक्टेड प्रधान है उसके प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिये, यदि किसी पर्टिकुलर केस में अनियमितता होती है तो उसके लिये कार्यवाही की जा सकती है और राज्य सरकार विचार कर सकती है। लेकिन एक-दो खामियों को देख कर पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर जो मंशा है उसको तब्दील कर दिया जाय और आम में निर्णय मान लिया जाय तो जो इलेक्टेड प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी थी उसे क्योंकि पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं इसलिये यह पॉवर उससे हटा कर सरकार के अधिकार में देनी चाहिये; यह उचित नहीं है। इसलिये सभापतिजी, मेरा पक्का विश्वास है कि यदि इलेक्टेड बोडीज़ हैं और उनके प्रधान को जो

( श्री रघुनाथ बिश्नोई )

राइट्स हैं उसके अनुसार ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं कहीं ऐसी गलती हो जाय तो दुरुस्त की जा सकती है। थोड़ी सी बात को लेकर सेक्शन की जो मंशा है उसको पलट देना न्यायसंगत नहीं होगा। माननीय सदस्यों के इस प्रकार के विचार ठीक नहीं हैं। इसलिये यह जो संशोधन रखा है वह ठीक है। धारा के एम को डिफीट करने के लिये जो संशोधन माननीय सदस्य ने एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ रखा है वह ठीक नहीं है।

**श्री सभापति** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : १० मिनट में अभी एक विधेयक और पारित करना है। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा वाद-विवाद न करें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ २ में जो २ संशोधन नाथद्वारा और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रखे उनके बारे में सदन में दो तरह के विचार सुनने को मिले। जिन्होंने संशोधन रखा उन्होंने कहा कि प्रधान और उप-प्रधान के जरिये चुनाव नहीं होने चाहिये और कलेक्टर या उनके नोमिनी के मार्फत चुनाव होने चाहिये और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रधान व उपप्रधान को कराना चाहिये और वे नहीं करावें तो कलेक्टर को कराना चाहिये; जैसा कि प्रावधान है वैसा होना चाहिये। यह भी कहा गया कि कलेक्टर को सूचना कैसे मिलेगी? मैं अर्ज करूंगा कि नियम में प्रावधान करेंगे कि वेकेन्सी होगी तो कैसे सूचना मिलेगी। इसकी व्यवस्था नियमों में करदी जायगी। प्रधान और उप-प्रधान को अधिकार दिया जाय तो शुरू में जैसा कि मैंने कहा चुनाव टर्म समाप्त होने से पहले वेकेन्सी फॉल होती है तो आज भी ऐसे चुनाव प्रधान या उप-प्रधान कराते हैं। आज जो प्रावधान नहीं था उसके बारे में प्रावधान कर रहे हैं। टर्म समाप्त होने से पहले जगह खाली होती है तो प्रधान, उप-प्रधान चुनाव करायेंगे और टर्म के बाहर वेकेन्सी होगी तो कलेक्टर या उनका नोमिनी चुनाव करायेंगे; यह व्यवस्था मेल नहीं खाती। राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं। सब जगह कलेक्टर जाकर चुनाव नहीं करवा सकते। इसलिये जो रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर होंगे वे करायेंगे। जब चुनाव के लिये पहले व्यवस्था है कि प्रधान चुनाव करवा सकते हैं जहां कार्यकाल से पहले खाली हो गई है तो। ऐसी सूरत में संशोधन रखा है वह आगे के जो क्लॉज़ेज़ हैं उनसे मेल नहीं खाता। पंचायतों की राजस्थान में जो संख्या है उस हिसाब से कलेक्टर सब जगह चुनाव करा नहीं सकते, दूसरे सरकारी कर्मचारी करायेंगे और फिर यह मानें कि प्रधान, उप-प्रधान चुनाव करावें तो ठीक नहीं; यह न्यायसंगत नहीं है। ऐसी सूरत में मैं दोनों प्रस्तावों को मन्जूर करने में असमर्थ हूं।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : सारे अधिकार एम० एल० एज़० को दे दें, चुनाव कराने का।

**श्री सभापति** : You want to withdraw it ?

**श्री विजयसिंह झाला** : No, sir.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मर्थीसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

क्लॉज १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( पंचायत मन्त्री ): सभापति महोदय,....

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्लॉज़ २ पर अमेन्डमेन्ट है।

**श्री सभापति** : क्लॉज़ २ पास भी हो गया, सब क्लॉज़ेज़ हो गये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं प्रस्ताव करता करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ पारित किया जाय ।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

**श्री बरकतुल्लाखां** ( स्वायत्त शासन मंत्री ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। राजस्थान नगरपालिका विधेयक की धारा २९९ संशोधन के लिये प्रस्तुत हुई है। अच्छा तो यह होता कि जब सदन में खास तौर से इस बात की ओर ध्यान दिलाया था एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नियुक्त किये जाते हैं, न किये जांय, नगरपालिका के चुनाव समय पर हों और जनतन्त्र की रक्षा की जाय। हमारे मंत्रीजी से हमें बहुत आशाएं

( श्री हरिप्रसाद शर्मा )

थीं कि आगामी जो धाराएं संशोधन के लिये आयेंगी वे ऐसी आयेंगी जिनसे आय की वृद्धि होगी, रोजमर्रा की कठिनाइयों पर विचार किया जायगा; लेकिन वे सारी बातें न होकर कलेक्टर को पॉवर डेलिगेट करने के लिये यह संशोधन किया गया है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ४३ नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त करने का मतलब यह होता है कि वे पार्टीबाजी के ढांचे पर उतर जाते हैं। खास तौर से ऐसी नगरपालिकाओं का उदाहरण दूं जहां सत्तारूढ़ पार्टी पॉवर में नहीं आई और दूसरी पार्टी का बहुमत हुआ वहां कोई न कोई कार्यवाही करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये। कोटा का उदाहरण देखिये। वहां पर जनता ने पुरानी पार्टी को न चुन कर अपने प्रतिनिधि चुने। उनकी उपेक्षा करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। अजमेर नगरपालिका की ओर जावें तो वहां पर जनवरी ६० से कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है। १६ महीनों से वहां पर चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। वहां का कलेक्टर पार्टीबाजी पर काम कर रहा है। राज्य सरकार का और भारत सरकार का भी ध्यान दिलाया गया। सारी बातों की उपेक्षा करके वहां का काम चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे। कलेक्टर एक ऐसा ऑफिसर है जो बहुधन्धी है। आज जिलाधीश यह काम देखते हैं तो उनका आधा समय तो मीटिंग्ज़ में खत्म हो जाता है। ऐसे समय में कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी तो इस बिल में संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि कलेक्टर जिला हैडक्वार्टर पर रहता है और बहुत सी छोटी छोटी म्यूनिसिपेलिटीज ऐसी हैं जो दूर दूर हैं और जिनमें इस प्रकार के प्रशासकों की नियुक्ति हुई है, उन म्यूनिसिपेलिटियों की हालत बहुत खराब है। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको यह ज्ञान होता है कि जनता को किस बात की आवश्यकता है। किस प्रकार की सहूलियतें देनी चाहिए, किस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने चाहिये, किस प्रकार के काम करने चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत जो भूमि-विक्रय के अधिकार नगरपालिकाओं को हैं, जो नियम बना कर एक कमेटी कायम की है, उसके चेयरमैन कलेक्टर महोदय होते हैं। लेकिन इनकी वजह से नगरपालिकाओं के काम में बाधा आती है। उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी को पट्टेशुदा मकान के लिए दस फीट जमीन लेनी होती है तो उसकी सैंक्शन के लिए, निर्णय लेने के लिए बोर्ड में नहीं रखते हैं। बोर्ड यह चाहता है कि जमीन दी जाय और अधिक से अधिक जमीन दी जाकर निर्माण करवाया जाय; क्योंकि इससे बोर्ड को इन्कम भी होती है, लेकिन कलेक्टर को फुर्सत नहीं है। मैं लाखेरी का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जमीन देने के लिए, मकान बनवाने के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड ने चाहा कि हम जमीन दें और मकान बनवायें,

# Page No. 89



( श्री हरिप्रसाद शर्मा )

जिससे ज्यादा से ज्यादा आबादी हो। लेकिन कमेटी की मीटिंग नहीं होती, क्योंकि कलेक्टर साहब को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं मिल सकती।

सभापति महोदय, इसलिए जब इस प्रकार का बिल लाया गया है तो हम इस बिल में यह भी संशोधन लायें कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के कैसे अधिकार दें। इसलिए मेरी राय यह है कि इसके बारे में अच्छी तरह विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, ताकि इस पर अच्छी तरह विचार हो सके और इस क्लॉज़ को यहां से हटा दिया जाय, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि समय पर चुनाव कराये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी। इसलिए मैं इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री मुरलीधर व्यास। आप संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : बातें बहुत कहनी हैं। थोड़ा समय बाद में बढ़ा दें।

**श्री सभापति** : जितनी बिल के स्कोप में आयें उतनी बात कहें।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : माननीय सभापति महोदय, जो म्यूनिसिपैलिटी अमेन्डमेन्ट बिल आया है, हमें मालूम है कि गये समय भी जब सदन की अन्तिम कार्यवाही चल रही थी, उस दिन म्यूनिसिपैलिटी अमेन्डमेन्ट बिल आया था और वह दिन भी हमें याद होगा अच्छी तरह से कि वह आखिरी दिन था और उस दिन इसका बड़ा भारी विरोध किया गया था; झगड़ा यहां तक बढ़ गया था कि इधर उधर से कुर्सियां नहीं उठी थी; और सारी बातें उस दिन हो चुकी थी। आज फिर म्यूनिसिपैलिटी अमेन्डमेन्ट बिल आया है। उस दिन जो बिल आया था उस बिल की इस प्रकार की धारायें थ जिसका सारे लोग बहुत विरोध करना चाहते थे क्योंकि वे बिल्कुल अलोकतांत्रिक थीं। उसमें प्रशासक की अवधि को भी मनमाने तरीके से बढ़ाने का प्रावधान था और भी नाना प्रकार की धारायें थीं जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक थी। लेकिन फिर भी हमारी लोकतांत्रिक सरकार ने उसको बड़ी भारी गर्मी में स्वीकार किया। उसका नतीजा यह हो रहा है, उन धाराओं का ही यह परिणाम है कि राजस्थान के अन्दर ये प्रशासक इस प्रकार से हावी हो गये हैं कि राजस्थान की १४७ नगरपालिकाओं में से ४५ नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां प्रशासक काम कर रहे हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है–एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार–चार साल से काम कर रहे हैं। आज उनके बारे में न जाने कितने प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर भी इस प्रकार के मिलते हैं कि आठ महीने बाद चुनाव होंगे, दस महीने बाद चुनाव होंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह लोकतांत्रिक सरकार, यह सारे हिन्दुस्तान में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन, विकेन्द्रीकरण करने का दावा करने वाली सरकार इस प्रकार नगरपालिकाओं के मामले में किस प्रकार उपेक्षित तरीके से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिस स्टेट में इतने

( श्री मुरलीधर व्यास )

लम्बे अर्से से नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर को कायम करके काम करा रहे हैं।

आज के युग को विकास का युग कहा जाता है और आज पंच वर्षीय योजना में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को लाकर विकास करने का अधिकार दे दिया गया है, उसके लिए पैसा रखा गया है; लेकिन नगरपालिका में लोकतांत्रिक तरीके से काम न हो, वहां प्रशासक नियुक्त हों तो वे किस प्रकार विकास का काम कर सकती हैं? इसमें जो अमेंडमेंट रखा है, मैं मानता हूँ कि कलेक्टर आज प्रशासक बन जाता है और अपील भी सुनता है, यह बात ठीक नहीं है। परन्तु इसके साथ साथ यह सोचना चाहिए कि ऐसा मौका क्यों आता है, यह बुराई कहां है और आखिर बुराई है तो उसकी जड़ को खत्म करना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर सोचती नहीं है और जड़ बढ़ती रहती है। जो प्रशासक दो-दो, तीन तीन साल तक काम करता है उसको समाप्त करने के लिए आप सोचते नहीं। सरकार को कहना चाहिये कि हमारा कोई प्रशासक छः महीने से अधिक नहीं रहेगा और छः महीने के अन्तर्गत चुनाव हो जायेंगे। इस प्रकार का लोकतांत्रिक अमेंडमेंट लाते तो मैं समझता हूं कि आप इस समस्या पर काफी गम्भीरता से सोचते हैं। लेकिन जो बुराई है और बुराई जिस तरह से बढ़ रही है उसकी तरफ आपका ख्याल नहीं है और फिर सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट लाये तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो अपील सुनने का अमेंडमेंट लाते हैं तो इसके अतिरिक्त भी बहुत बातें हैं, जैसे प्रशासक नियुक्त होने से नगर के विकास में बाधा होती है। आपको मालूम है कि प्रशासक बजट बना देता है और उस बजट के बनने के बाद जो नगरपालिका, चुनाव होकर आती है तो उसको उस बजट के अनुसार चलना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह बजट अपने ढंग का होता है, क्योंकि कलेक्टर के पास कोई विकास की योजना नहीं होती है; वह प्रशासन के तरीके से कि किस प्रकार खर्च चलाना है बजट बना देता है और उसके बाद भी वह बजट चलता रहता है। उस बजट को हटा नहीं सकते और उस बजट के आधार पर काम होता है। इसलिए आपको संशोधन लाना चाहिए था कि जो प्रशासक इस प्रकार का बजट बना ले और उसके बाद चुनाव हों तो चुनाव के बाद नगरपालिका उसमें वृद्धि कर सकती है; उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन वह इस बिल के अन्दर नहीं है। इसलिए मुझे आपत्ति होती है कि आप इस तरह की बात सोचते हैं।

मैं कहता हूं कि बीकानेर के अन्दर आप देखिये। आप केवल अपील की बात करते हैं, लेकिन बीकानेर में जब लास्ट टाइम हड़ताल हुई थी उस समय क्या था कि प्रशासक ही मजिस्ट्रेट, इसलिये हड़ताल के बारे में जो भी मामले जायं वे उनके पास जायं; वह और भी उसको कुचले। इसके अलावा लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करके पुलिस को कहे कि इस हड़ताल को दबाओ। यहां तक हुआ कि उस हड़ताल के अन्दर वही प्रशासक, वही फैसला करने वाला और वही पुलिस का सहारा लेकर जेल में डालने वाला। जेल के अन्दर उन कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा गया। इसके लिए प्रश्न भी आये थे कि उनको पीटा गया। इस प्रकार सारे अधिकार आपने उसको सौंप

( श्री मुरलीधर व्यास )

दिये। उसका नतीजा यह हुआ कि वही काम करनेवाला और वही कुचलनेवाला। तो इस प्रकार की समस्या है। आपको यह सोचना चाहिए कि इस तरह की पॉवर्स आपके पास न हों कि आज किसी प्रशासक को मनमाने तरीके से आप नियुक्त कर दें और जो प्रशासक है वह हड़ताल के समय में मनमाने तरीके से लोगों को नियुक्त कर दे और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको बाद में हटा नहीं सकते। बीकानेर की नगरपालिका में जो हरिजन कर्मचारी काम करते थे, जो हड़ताल करानेवालों में थे, जिन लोगों ने गड़बड़ी पैदा की थी वे पक्के कर्मचारी थे। उनको हटा दिया गया और हटा कर जो बाहर से आये हुये कर्मचारी थे, दूसरे कर्मचारी थे उनको नियुक्त कर दिया मनमाने तरीके से। उसके खिलाफ बार बार कहा जाता है, मन्त्री महोदय को भी कहा गया। आखिर एक हरिजन कर्मचारी है, जो इसके सिवाय और कोई काम कर नहीं सकता। उस समय नगरपालिका में प्रशासक था और वही हड़ताल को कुचलनेवाला था। उसने अच्छे अच्छे काम करनेवालों को हटा दिया और बाहर से लाकर लोगों को नियुक्त कर दिया। यह बुनियादी बात है जो प्रशासक के जमाने में अपने अपने ढंग से हो जाती है और जिसका नतीजा बाद में भुगतना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का संशोधन लाते हैं तो जो आज जनता की भावना है उसकी दृष्टि से आपको सारे म्यूनिसिपल एक्ट पर विचार करना चाहिए और ऐसे किसी बोर्ड का सुझाव लाना चाहिये जो इस एक्ट के अन्तर्गत बने और बाकायदा ठीक समय पर, ठीक टाइम पर सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं का चुनाव वैधानिक तरीके से करा दे। इसलिए डेमोक्रेटिक ढांचे के अन्दर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन पर विचार करने के लिए आपको संशोधन लाने चाहिये। लेकिन आप संशोधन उन चीजों पर लाते हैं जो हमारे लिए आगे जाकर बुरी साबित होने वाली हैं। ठीक बात है, आप अपील सुनने का अधिकार ६ महीने के लिए रख दीजिये (घंटी) लेकिन आपने इस प्रकार के शब्द जोड़ कर समय नहीं रखा तो नतीजा यह होगा कि आपका जो अधिकार है उसका आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार उपयोग करें, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ आप पर डेमोक्रेसी की जिम्मेवारी भी है, आप उन लोगों के नुमाइन्दे हैं, जनतन्त्र के विचार को माननेवाले नुमाइन्दे हैं, आप उस स्थान पर बैठे हैं जो जनतन्त्र में ऊंचा कहलाता है, तो आपको जनतन्त्र का ताज ऊंचा बनाना चाहिए।

आखिर आज अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी वही परम्परा जारी रहती है और प्रशासक की नियुक्ति होती रहती है और लंबे अर्से तक रहती है तो इसके लिए इसके साथ साथ आप यह भी जोड़ देते कि यह प्रशासक इतने अर्से तक काम करेगा और इतने अर्से से ज्यादा काम नहीं करेगा तो ठीक होता। ठीक बात है, आपको परिस्थितियां आने पर प्रशासक नियुक्त करना पड़े लेकिन इसके लिये समय की भी अवधि मुकर्रर होनी चाहिये कि इतने अर्से से ज्यादा समय तक प्रशासक नहीं रहेगा उसूलों के दृष्टिकोण से, उसूलों के रूप में कोई इसका विरोध नहीं है। वह अच्छा है, मगर आपको दूसरी बातों को भी साथ में ध्यान में रखना चाहिए। समझ लें थोड़ी देर के लिये कि कलेक्टर प्रशासक बन जावे और

( श्री मुरलीधर व्यास )

कलेक्टर भी रहे। यह होता है कि कोई कलेक्टर के नीचे जो एस० डी० एम० हो उसको आपने अपील सुनने का अधिकार दिया। वह उस कलेक्टर के नीचे काम करनेवाला आदमी है। वह उसके खिलाफ कैसे कार्यवाही करेगा ? जिस दृष्टिकोण से अपील रखने की बात हो सकती है तो यह भी बात हो सकती है। इसलिए आपको एमेन्डमेंट में यह बात बिल्कुल क्लीयर करनी चाहिये। आप वाकई में कलेक्टर के अन्डर में रहनेवाले को अपील सुनने का अधिकार देते हैं, चाहे वह एस० डी० एम० हो या कोई दूसरा अधिकारी हो तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर जहां प्रशासक है वहां उसकी अपील को सुननेवाला उससे उच्च अधिकारी होना चाहिये। इस चीज को आपको क्लेरिफाई करना चाहिये। इसकी आवश्यकता इसलिए रहती है कि सामान्य न्याय के दृष्टिकोण से वह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है इस बात पर भी जोर देंगे कि यह ६ महीनों से अधिक कहीं पर भी प्रशासक नहीं रहेगा।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

**श्री जोधसिंह** (गिरवा) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है; वह इसलिए रखा है कि सरकार ने इस एक्ट को रखने में जल्दबाजी की है। हमारा सारा म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें घोटाला है। लोग कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण किया गया है, लोकतन्त्र आया है लेकिन वास्तव में आज क्या होता है कि जितनी भी म्यूनिसिपेलिटीज़ हैं वहां पर ज्यादातर कलेक्टर प्रशासक नियुक्त होते हैं और वे अपनी मनमानी वहां पर करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर में प्रशासक नियुक्त हुआ था। वहां पर चीफ मिनिस्टर गये, उनके नाम से वहां पर दरवाजा बनाया गया, जिस प्रकार राजा-महाराजाओं के समय में बनाये जाते थे उसी तरह से।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : इस बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है या आप भूल रहे हैं। मैं आपको इस बारे में खबर देता हूं कि यह कलेक्टर ने नहीं किया यह चुनी हुई म्यूनिसिपेलिटी ने किया है।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** (राजसमन्द): And that concerns more the Sports Council.

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वायत्त शासन मंत्री): But how is it connected with this amendment ?

**श्री जोधसिंह** : ठीक है। मगर इस प्रकार मुख्य मंत्री वहां पर गये और वहां जाकर उन्होंने राजशाही घोषणा जिस प्रकार पहले राजाओं द्वारा की जाती थी की और १०–१२ हजार रुपयों का दान देते हैं। यह जनतन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है। इसका असर यह होता है कि एक तरह से जनतन्त्र का गला दबोचना है। अगर आपको इस प्रकार की रकम देनी थी तो आपको चाहिए था कि आप स्पोर्ट्स कौंसिल को देते।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : On a point of information, Sir, यह तो चुनी हुई म्यूनिसिपेलिटी का रिज़ोल्यूशन है और उसी के मुताबिक कार्यवाही हुई है। यह मैंने आपको सूचना दी है। आप और मसलों पर सूचना देते हैं, बाकी की बातें ठीक हैं।

**श्री जोधसिंह** : आपकी इस सूचना के लिये धन्यवाद। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। मैं आपको और भी कई उदाहरण दूंगा। मैं यह कहूंगा कि इस बिल के अलावा भी हमारा सारा का सारा म्यूनिसिपल बिल एक प्रकार का ऐसा बिल है कि अगर इस पर कोई कमेटी बैठे और कोई कमीशन बैठाया जावे तो मालूम होगा कि कौन्सलर हैं उनको पूरा अधिकार मिलता तो अच्छा होता।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उदयपुर में वहां के कलेक्टर और मिनिस्टर हमारे धन का दुरुपयोग करते हैं वह नहीं होना चाहिये। उदयपुर में कुछ दिन पहले म्यूनिसिपेलिटी ने पास किया कि बोहरा वार्ड है वहां बोहरों के कुछ लेट्रिन्स हैं वे कॉम्युनिटी के हैं। उनको साफ कराने के लिए सरकार ने खर्चा दे दिया। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री द्वारा उन लेट्रिन्स को। ....

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वायत्त शासन मन्त्री): This is a sort of general discussion.

**श्री जोधसिंह** : Pardon. क्या फरमाया, सुनाई नहीं दिया ?

**श्री सभापति** : आपका जो संशोधन का प्रस्ताव है उससे ज्यादा डिबेट को न बढ़ावें।

**श्री जोधसिंह** : इसके अलावा और भी कई अमेन्डमेंट्स करने की आवश्यकता है। आप उनको भी इसके साथ लेकर आते तो ज्यादा अच्छा होता। जनता को विकेन्द्रीकरण करके आपने झगड़े में डाल दिया है। इसलिए मैं आपको इस संबंध में मिसालें देकर बता सकता हूं और आप चाहें तो मैं अपनी बातों को करना बन्द कर सकता हूं, क्योंकि सच्ची बात कोई कहे तो आप सुनते नहीं हैं।

**श्री बरकतुल्लाखां** : आप कह सकते थे जिस समय बजट पेश हुआ। मुझे सुनना चाहिये। बड़ी खुशी से और शौक से सुना सकते थे।

**श्री जोधसिंह** : माननीय मंत्री महोदय ने क्या फरमाया, मैं समझ नहीं पाया ?

**श्री सभापति** : उन्होंने कहा कि जिस समय बजट पारित किया गया था और नगरपालिका के बारे में बजट पेश किया गया था उस समय कहते तो ज्यादा अच्छा रहता।

**श्री जोधसिंह** : वह तो आया ही नहीं।

मुझे उस समय दुर्भाग्य है कि मौका ही नहीं मिला। आज भी आप कहें तो नहीं बोलूं। संतोष से और धैर्य से सोच-समझ कर किसी चीज को पारित किया जाता है तो सारे क्लॉज़ेज़ में बार बार संशोधन करने की जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार म्यूनिसिपेलिटी में कितने ही घोटाले हैं किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर कायम होता है, उससे क्या विकेन्द्रीकरण में गड़बड़ी होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो कायम होता है

( श्री जोधसिंह )

उससे सत्ता का खुल कर दुरुपयोग होता है। राजस्थान में ४० से ज्यादा म्यूनिसिपेलिटीज़ ऐसी हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कलेक्टरों के पास पहले ही काम ज्यादा है और फिर जब वे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं तो उनके पास काम और भी बढ़ जाता है। वे पहले ही अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और म्यूनिसिपेलिटी का काम भी नहीं कर पावेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह है वह समाप्त की जावे। जिस प्रकार आपने ग्राम पंचायतों को सत्ता दी है वह हमारे म्यूनिसिपेलिटीज़ की पुरानी सत्ता है। हमारे भारतवर्ष में पहले म्यूनिसिपेलिटीज़ को सता मिली थी उसको डेवलप करना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है उसको समाप्त करके इस सत्ता को म्यूनिसिपेलिटी के सदस्यों को ही दी जानी चाहिये और उनमें से ही किसी को नियुक्त किया जावे और उसकी अवधि बहुत कम रखी जानी चाहिये, जिससे उनके चुनाव बहुत शीघ्र हो सके। आज क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कायम हो जाता है और महीनों गुजर जाते हैं और म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव नहीं होता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि अगली एसेम्बली के प्रथम सप्ताह में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट, क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। यह जो अधिकार संशोधन द्वारा सरकार को दिलाने की व्यवस्था की है उसके बारे में मैंने जानकारी चाही कि अभी तक जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर था जिनकी अपील कलेक्टर के नाते उनके पास गई है उस बारे में क्या होगा? अपील के पॉवर्स उसके पास हैं। यह तो आज की घटना नहीं है, यह तो आगे के लिये रिलीफ देने के लिये है और पिछले केसेज़ जो उन्होंने फैसल किये हैं और जो पेंडिंग हैं उनका क्या होगा? पेंडिंग के लिये आप कह सकते हैं कि उनको दूसरों के पास भेज देंगे। लेकिन अभी तक कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही ऑथोरिटी होने के कारण उनको रिलीफ नहीं मिला, उसके बारे में माननीय मन्त्री अपना कुछ उत्तर देंगे?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : सभापति महोदय,....

**श्री सभापति** : श्री ज्वालाप्रसाद! अपने पास दस मिनट का समय है।

**श्री बरकतुल्लाखां** ( स्वायत्त शासन मंत्री ) : सभापति महोदय, १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री सभापति** : समय चाहिये?

जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय, क्या हाउस की यह मर्जी है?

( स्वीकृत )

जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया गया।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सभापति

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

महोदय, यह जो क्लॉज़ आया है और पास होने जा रहा है, मैं इस क्लॉज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं आपके सामने अजमेर की स्थिति को रखूं कि अजमेर म्यूनिसिपेलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वे हैं कलेक्टर। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन भी कलेक्टर, म्यूनिसिपेलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी कलेक्टर, खुद कलेक्टर, जिला परिषद् के भी कर्त्ताधर्त्ता हैं, मेम्बर हैं। मैं समझता हूँ इस हिन्दुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं, किन्तु राजस्थान में ही इस प्रकार की एक मिसाल मिलेगी कि एक ही आदमी ऐसा सुपरमैन है कि इन चारों की ड्यूटीज़ को अन्जाम दे सकता है। यह स्पष्ट वजह है कि सरकार के इस अमेन्डमेन्ट से कुछ लाभ मिलेगा; लेकिन सम्माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि वहां की स्थिति इस तरह की हो गई है, वहां जम्बल हो गया है और कलेक्टर जैसी स्थिति का आदमी सारी चीजों को मिक्स कर देता है। मैं आपको मिसाल देकर बताऊं कि जैसे किसी मकान के नक्शे को पास कराने की बात है। म्यूनिसिपेलिटी के बाई लॉज़ हैं वे कॉन्ट्राबीन न करते हों तो वे नक्शे पास हो जाने चाहिए। लेकिन आज अजमेर में पांच-सात हजार मजदूर बेकार पड़े हैं, मकान बनने बन्द हो गये हैं। निर्माण कार्य हो रहे थे सरकार की ओर से बेजा दिक्कतों के कारण स्टेन्ड-स्टिल हो गये हैं। कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर के नाते म्यूनिसिपेलिटी का हैड है और उन नक्शेवालों से कहा जाता है कि तहसील में जाकर यह बताओ और लिखा लाओ कि २०० साल से जयपुर बसा हुआ है उस जमीन में खेती तो नहीं थी, इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट वहां से लाओ और फिर निर्माण का कार्य करो। मदार गेट में, जिससे आप लोग सब अच्छी तरह से परिचित होंगे, वहां के कन्स्ट्रक्शन की बात कहता हूँ। मदार गेट स्टेशन के सामने है। यदि कोई दूसरी मंजिल पर बिल्डिंग बन रही है या ऊपर की बिल्डिंग बन रही है तो वहां के लिए यह कहा जाता है कि तहसीलदार से यह चीज लिखवा कर लाओ कि वहां पर खेती तो नहीं हो रही है। बाइलॉज़ जो म्यूनिसिपेलिटी के हैं उनसे तो जांच नहीं करते और खामख्वाह उलझा देते हैं क्योंकि कलेक्टर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसलिए तहसील में आदमी फिरते डोलते रहें। ८ महीने से पत्थर लाने वाले लोग बेकार बैठे हैं, जो मजदूर हैं वे बेकार बैठे हैं, काम करने वाले कारीगर बेकार हो गये हैं। तो मैं अर्ज करूं कि इस अमेन्डमेन्ट की बहुत आवश्यकता है और जहां तक म्यूनिसिपेलिटीज़ को इनसे बचाने की आवश्यकता है बचाना चाहिये। इसका इन्टरप्रिटेशन करवा कर देख लीजिये। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को एक नोटिफिकेशन के जरिये से जमीन दे दी। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का मतलब यह है कि जिस जमीन को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसको वह चार्ज में ले लें जो कि म्यूनिसिपेलिटी की चीज़ है और इम्प्रूव करके वापिस दे दे। जो म्यूनिसिपेलिटी की जमीनें हैं, कलेक्टर ने एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते और यू. आई. बी. का चेयरमैन होने के नाते एक नोटिफिकेशन के द्वारा उन जमीनों को यू. आई. बी. को दे दिया। उसके लिए कोई म्यूनिसिपिल लॉज़ में प्रोविजन नहीं किया। यू. आई. बी. की जमीन का पैसा वसूल करते हैं और उससे यू. आई. बी. के क्लर्कों को

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

तनख्वाह देते हैं, म्यूनिसिपेलिटी की जमीन का दुरुपयोग करते हैं। १६०) रुपये गज की जमीन निकाली गई है। मैं समझता हूं कि आज दिल्ली में, बॉम्बे में और कलकत्ता में भी और आपके यहां सी स्कीम में भी यह भाव नहीं होगा और नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : यह गलती किसकी है ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह बता रहा हूँ। कचहरी रोड पर १६०) रुपये फी गज के हिसाब से उन थड़ीवालों से मांगा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि इस जमीन को तुम ही खरीदो और तुम ही बनाओ। यू० आई० बी० को ठीक तरह से काम करना है तो उन प्रिन्सिपल्स पर चलना होगा जो उनमें दिये हुए हैं। किसी जमीन को इम्प्रूव करने के लिए टेम्पोरेरी म्यूनिसिपेलिटी से लेकर इम्प्रूव करने के बाद वापिस म्यूनिसिपेलिटी को दी जाती है। कोई म्यूनिसिपेलिटी ऐसी नहीं हो सकती कि एक नोटिफ़िकेशन के जरिये उसके वहां की जमीन को इस प्रकार से यू० आई० बी० को सौंप दिया जाय। कोई म्यूनिसिपेलिटी जो जनता द्वारा चुनी हुई है और नहीं भी हो तो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं भी म्यूनिसिपल एरिया में, सारे शहर में इम्प्रूवमेन्ट नहीं हो रहा है ! इम्प्रूवमेन्ट के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाते। उसका कोई एक्सपेन्डीचर नहीं है। वह पैसा सारा का सारा थड़ियों का है, । यह म्यूनिसिपेलिटी का अपमान है क्योंकि वहां पर आज एडमिनिस्ट्रेटर है। यू० आई०, बी० का चेयरमैन है और उस यू० आई० बी० के क्लर्कों की तनख्वाह चुकाने के लिए म्यूनिसिपेलिटी की जमीनों को इस तरह से दिया जाता है और उससे उन क्लर्कों का खर्चा चलता है। इसके लिए मुझे शख्त एतराज है। एक आदमी चार--चार जगह होल्ड करके काम करें, यह ह्युमनली पोसीबल है, यह मैं नहीं समझता। वे अच्छे आदमी हो सकते हैं। उनको चार काम करने में खुशी होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि यह पोसीबल नहीं है और उसका आज यह नतीजा है कि अजमेर म्यूनिसिपेलिटी की जमीनों का और हर कामों का यह हाल है। तहसीलदार के पास जमीन के लिए जाते हैं, नक्शे पास कराने के लिए जाते हैं, हर आदमी को एक प्रकार से नोचा जा रहा है। वक्त नहीं मिलता, । लेकिन उन पर यह जबरदस्ती लादा जा रहा है और इस प्रकार जनता को परेशान किया जा रहा है और उनसे इतनी बड़ी कीमतें मांगी जा रही हैं।

हम चाहते हैं कि करप्शन न हो। करप्शन हो तो वह समाप्त कर दें। जिस जगह नीचे से नीचे करप्शन पलता हो और इस कारण पलता हो कि एक आदमी चार--चार जगह बैठा हुआ है, जो कि ह्युमनली पोसीबल नहीं है। आप किस प्रकार इस करप्शन को मिटायेंगे ? १६०) रु० फी गज जमीन, एक गज जमीन का १६०) रु०, क्या राजस्थान में या हिन्दुस्तान में किसी जगह है ? यह अजमेर में है। यह भी नहीं। क्या अजमेर इतना नसीबवाला है, क्या अजमेर की इतनी तकदीर बढ़ गई कि वहां पर गरीब विस्थापितों से १६०)रु० एक गज जमीन का मांगा जाय और कहा जाय कि तुम लो और इसको बनाओ। जयपुर में यह कायदा है कि जब दूकान बना लेते हैं तब

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

थड़ीवालों को हटाते हैं लेकिन वहां तो पहले ही थड़ी वालों को उखाड़ा जा रहा है। पहले १६०) रु० फी गज में जमीन लो और फिर बसायेंगे। जिनको बसाने का काम था, उनको कई कलेक्टरों ने बसा दिया। लेकिन आज उन लोगों में इस कारण अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है जिससे लोग बड़े परेशान हैं। मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

और भी अमेन्डमेन्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग अलग करें। म्यूनिसिपेलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह के लिये जुडिशियरी से आदमी लें, नीति के बतौर डिक्लेयर करने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेटर की बात होती है तो न्यायपूर्ण आदमी होना चाहिये। कमिश्नर भी ऐसी सर्विसेज़ से आने चाहियें जो स्वतन्त्रतापूर्वक सुन कर फैसला कर सकें। जब जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव को अलग कर रहे हैं तो जुडिशियरी का आदमी यहां पर रखें। अपील का प्रोविज़न आपकी तरफ से रेवेन्यू बोर्ड को है।

(१.० म० प०)

रेवेन्यू बोर्ड से कोई ऊंची ऑथोरिटी नहीं। कलेक्टर, असिस्टेन्ट कलेक्टर अपीलेट ऑथोरिटी है। वे आदमी कभी भी एक्ट नहीं कर सकते कलेक्टर के खिलाफ। अजमेर में हम इस बात को जरूरी समझते हैं। अमेन्डमेंट जो लाया गया है उसका स्वागत है, लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन्स मेरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इमीजियेटली रिलीफ मिलनी चाहिये, इन चीजों का आराम होना चाहिए। आप खुद मिनिस्टर हैं आप इस नोटिफिकेशन को रद्द करें; जिसके अन्दर एक्सचेकर की आमदनी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूनिसिपेलिटी का चेयरमैन रहता है तो वह सरकार की इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। सारी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट चला कर क्लर्कों की तनख्वाह उसमें से बांटना म्यूनिसिपल बोर्ड चुना हुआ होता तो वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता; आमदनी के जरिये अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को चलाने के लिये दें।

मेरा इस बारे में यह भी निवेदन है कि पहले वहां का मास्टर प्लान बनना चाहिये। आपकी जो कोई भी स्कीम शहर के इम्प्रूवमेन्ट के सम्बन्ध में है वह बता दीजिये। मास्टर प्लान आप बताते नहीं। जो भी शहर का इम्प्रूवमेन्ट हो वह सब जानकारी म्यूनिसिपल कमेटी को होनी चाहिये, प्लान आपका मन्जूर होना चाहिये, कोई सेंक्शन नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी के पास ८ लाख रुपया छोड़ कर आये थे उसके बाद कलेक्टोरेट के आदमियों को वहां की सर्विसेज़ में घुसेड़ दिया है। रुपये का हाल यह हुआ, उसका पता नहीं। इस एडमिनिस्ट्रेटर के काल में वह म्यूनिसिपेलिटी दीवालिया म्यूनिसिपेलिटी घोषित हुई है। इस म्यूनिसिपेलिटी का ६० वर्ष पुराना इतिहास है। यह सबसे बड़ी म्युनिसिपल कमेटी है। एक क्राइटेरिया अंग्रेज हुकूमत के अन्दर था वह यह कि इस म्यूनिसिपेलिटी के अन्दर कम से कम दो लाख रुपया इम्प्रेस्ट-मनी के रूप में रहा करता था। उसमें यदि कमी हो जाती तो एडमिनिस्ट्रेटर

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

नियुक्त होता था; वह एडमिनिस्ट्रेटर उसकी हालत को देखता था ।

आपके पास कोई अकाउन्ट्स कोड नहीं। रोज गबनबाजी होती है । अभी तक सरकार ने कोई अकान्ट कोड बनाया नहीं । कहा यह जाता है कि हमने अकाउन्ट कोड मन्जूर कर लिया । अजमेर में इसके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स नहीं । बजट पास होने जाता है तो यहां से लिखा जाता है कि जिस प्रकार का हमारा प्रोफोर्मा है उस प्रकार से बना कर भेजिये । उसके बाद बजट जो यहां आता है वह पास नहीं होता, खर्चा चलता रहता है । नतीजा होता है कि पता नहीं रहता कि कितना खर्चा हो गया । कानून की इन कमियों को आप दूर करिये, अकाउन्ट कोड जल्दी से जल्दी बनाईये । आगे चल कर होता क्या है कि चुने हुए जो लोग होते हैं उन पर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं । वहां पर सेक्रेटरी है । आपका सेक्रेटरी है । म्यूनिसिपल सर्विसेज़ में जो चलती है वह सेक्रेटरी की चलती है । इलेक्टेड आदमी के पास पैसा नहीं छोड़ना चाहिये; उसकी जिम्मेवारी सब सेक्रेटरी की होनी चाहिये । चेयरमैन से जो क्वालिफाइड नहीं होता है तो उससे गलत दस्तखत करा लिये जाते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर करा लेता है; हजारों चीजों में गल्ती करा लेता है । अकाउन्ट्स कोड के साथ यह करना चाहिये कि उसके जितने भी हिसाब-किताब हों उनकी जिम्मेवारी उन्हीं पर होनी चाहिये जो वहां नोकर हैं, किसी को पर्सनल ढंग से हैन्डल नहीं करने देना चाहिये । प्रस्ताव जो पारित हो उसके अनुसार ठीक ढंग से पैसा लगाने की जिम्मेवारी होनी चाहिये । चुने हुए लोगों को जिम्मेवार ठहराना, उनका बेजा फायदा उठाना ठीक नहीं । उनकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिये जितनी कि यहां के मेम्बर की है, वे भी उन्हीं वोटों से चुन कर आते हैं जिनसे आप और हम । एक मिनिस्टर की जो इज्जत है वह उनकी भी इज्जत होनी चाहिये । उनकी किसी प्रकार से बेइज्जती होती है तो उसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । उनसे गलत कार्यवाहियां करवा कर मौका देख कर सर्विसेज़ द्वारा उनके एक्सप्लेनेशन्स मांगे जाते हैं, यह गलत तरीका है । जो भी वहां अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिये और उसके अनुसार कार्य करना चाहिये । इन शब्दों के साथ जो अमेन्डमेन्ट आया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट के बारे में बहस से मामला बहुत लम्बा-चौड़ा बना दिया गया । मैं आपकी आज्ञा से इस अमेंडमेंट के बारे में चर्चा करते हुए कुछ बातें उठायी गई हैं उनका भी जवाब देना चाहता हूँ ।

सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की सरकार की कभी भी पॉलिसी नहीं रहती, कभी भी हमारा जी नहीं चाहता कि इलेक्टेड बोडी को सप्रेस करके आर्बीट्रेरी मेनर में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाय । कुछ हालात ऐसी बनती हैं, मजबूरियां ऐसी बनती हैं तभी जाकर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है । मिसाल को तौर पर इलेक्शन का वक्त आता है, इलेक्शन नहीं करवा

( श्री बरकतुल्लाखां )

पाते, उनको मयाद एक्सटेन्ड करने के बाद भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार मजबूरियां मजबूरियां होती हैं हमें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ता है। कई जगह ऐसी भी मजबूरियां आ जाती हैं कि अपने फाइनेन्सेज़ को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। ऐसी हालत के अन्दर मजबूरन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आज ही एक सवाल के जवाब में अर्ज किया राजस्थान के अन्दर जितनी भी म्यूनिसिपेलिटीज़ का इलेक्शन नहीं हुआ है उन सब का इलेक्शन आठ, नौ महीने के अन्दर अन्दर करवा दूंगा........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यही जवाब सम्पतरामजी दिया करते थे।

**श्री बरकतुल्लाखां** : आप और हम पांच साल तक इसी हाउस में हैं। अगर मैं अपनी बात से हट जाऊं तो सदन मुझे बेइज्जत करें।

**श्री सभापति** : किसी के खिलाफ पिटीशन तो नहीं होगी ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : यह अमेन्डमेन्ट का सवाल है, यह जो रखा गया है मेरे दोस्तों ने इसके लिए यह समझा कि कलेक्टर को जहां एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है वहां क्या होगा ? जयपुर से आने वाले दोस्त ने पूछा कि कलेक्टर की डेफिनिशन में एडीशनल कलेक्टर भी आता है इसलिए आज तक जो अपील सुनते आये हैं एडीशनल कलेक्टर ने भी सुनी थी तो वह भी अपनी जगह पर लीगल और जायज़ थी। मैं समझता हूँ कलेक्टर की अपील एडीशनल कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर की हैसियत के अफसर के पास जानी चाहिये। जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसकी मंशा यह थी कि किसी जगह पर जहां कलेक्टर के पास ज्यादा काम होता है उसके पास म्यूनिसपल केसेज़ को सुनने का वक्त नहीं होता वहां ऐसी हालत में दूसरे ऑफिसर को मुकर्रर किया जा सकता है जो म्यूनिसिपेलिटी की अपील सुन सके और उस पर जल्दी से फैसला कर दे।

जहां तक अकाउन्ट कोड का सवाल है महीने, डेढ़ महीने के अन्दर अन्दर पब्लिश कर दिया जायगा, उसके बाद कोई चीज़ नहीं रहेगी।

जहां तक पर्टिक्युलर म्यूनिसिपेलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर के क्रिटीसिज़्म का सवाल है उसके लिये मैं तैयार होकर नहीं आया हूं। जहां तक अजमेर म्यूनिसिपेलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर का ताल्लुक है उसके सम्बन्ध में जो भी बातें कही गई उनको मैंने ध्यान से सुना है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं, सदन के बाहर उन्होंने इनकी तारीफ भी की है। चूंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में एडवान्स में नोटिस नहीं था, मैं उसके लिये तैयार होकर नहीं आया हूँ। जहां तक म्यूनिसिपेलिटी का सवाल है म्यूनिसिपेलिटी अपनी जगह पर कायम रहे, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। आइन्दा जैसी जैसी गलतियां महसूस होंगी, कमियां महसूस होंगी उसके मुताबिक अमेन्डमेन्ट किया जायगा।

एक यह भी सुझाव था कि एक कमीशन

( श्री बरकतुल्लाखां )

मुकर्रर कर दिया जाय। कमीशन मुकर्रर करने से पहले रोजमर्रा की जिन्दगी में जो कठिनाइयां म्यूनिसिपल बोर्ड के सामने आती हैं उनको आप और हम दोनों मिल कर समझें, समझ कर उन कमियों को दूर करें। बजाय इसके कि कमीशन बनावें और इसके बनाने में जो अमेन्डमेन्ट है उसको भी डाल दें।

मैं तो समझता हूँ कि प्रेक्टिकल लोगों की तरह ज्यों ज्यों खामियां हमारे सामने आवें उनको वैसे ही वैसे दूर करने की कोशिश करें। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार इस बारे में अपना एक निश्चित दिमाग लेकर चलती है। इस हिसाब से जो भी अमेन्डमेन्ट आवेगा अगर फुल सेक्शन का अमेन्डमेन्ट करने की जरूरत हुई तो मैं यह यकीन दिलाता हूं कि उस पर गौर किया जावेगा।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का श्री हरिप्रसाद शर्मा का जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री बरकतुल्लाखां** ( स्वायत्त शासन मंत्री ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

**श्री सभापति :** There are no amendments.

( विराम )

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक ११ मई, १९६२ को अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई )

## संक्षिप्त-विवरण

( शुक्रवार, ११ मई, १९६२ )

| | स्कम्भ | | स्कम्भ |
|---|---|---|---|
| तारांकित प्रश्नों के शीर्षक | ७२४६ | अध्यापकों की उच्च योग्यता प्राप्ति पर तरक्की । | |
| जिलेवार प्राथमिक शालायें । | | धरियावाद-सलूम्बर सड़क । | |
| हिण्डोन-खरेटा सड़क । | | तहसील लसाड़िया में भूमिहीनों के भूमि प्राप्ति हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र । | |
| कोलायत तहसील के खातेदार किसानों की राज्याधीन जमीन । | | प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन । | |
| सिकराय क्षेत्र में नवीन मिडल स्कूल । | | सीमेंट फैक्ट्री, लाखेरी । | |
| जालोर जिला चिकित्सालय में बिजली । | | सड़कों का विकास-बाडमेर व जालोर जिला । | |
| गुड़ खांडसारी सहकारी समितियां । | | हायर सेकन्डरी स्कूल, सांचोर में विज्ञान व वाणिज्य विषय । | |
| किशनगढ़-कोटकासिम सड़क । | | अलवर शहर से पहाड़ के पीछे होकर जाने वाली विजय मन्दिर तक सड़क । | |
| ग्राम गुडा ( नाथद्वारा ) में हायर सेकन्डरी स्कूल । | | हायर सेकन्डरी स्कूल, सांचोर । | |
| भोपालसागर शुगर मिल । | | पानों की खेती का विकास । | |
| शेखपुर-कोटकासिम सड़क । | | सड़क निर्माण । | |
| पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड । | | टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स को खातेदारी राइट्स । | |
| चोरियां और उनकी बरामदगी-हनुमानगढ़ । | | गंगानगर की अदालतों में बैठने आदि की व्यवस्था । | |
| जयपुर जिले की चारागाह भूमि । | | | |
| पंचायत समितियों के अधीनस्थ | | | |

| | स्कम्भ |
|---|---|
| हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां-अलवर। | |
| भूमिहीन काश्तकारों को नियमानुकूल भूमि आवंटन-तहसील भीनमाल। | |
| सांचोर में बिजली लगाने की योजना। | |
| किसानों से अवाप्त भूमि के एवज जमीन-अलवर। | |
| ग्लास सैंड-कोलायत। | |
| जनरल एजूकेशन विषय के लेक्चरार्स। | |
| ग्राम रीडलिया-रामपुरा। | |
| अग्निपीड़ितों की सहायता। | |
| ऐतिहासिक रेकॉर्ड। | |
| **अल्प सूचना प्रश्न** | ७३१२ |
| जयपुर के राजकीय कॉलेजों की व्यवस्था इत्यादि के कार्य का राजस्थान विश्वविद्यालय को हस्तांतरण। | |
| **सदन की मेज पर रखे गये पत्र द्वितीय राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में पारित विधेयकों का विवरण** | ७३१७ |

| | स्कम्भ |
|---|---|
| सचिव, विधान सभा, ने इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी सदन की मेज पर रखा— | |
| राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक : | |
| १. राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १९६२। | |
| २. राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२। | |
| राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक : | |
| १. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६२। | |
| २. राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२। | |
| ३. राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण (संशोधन) विधेयक, १९६२। | |
| ४. राजस्थान अगाई तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२। | |

५. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ( संशोधन ) विधेयक, १९६२ ।

६. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन ) विधेयक, १९६२ ।

७. राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

८. राजस्थान विनियोग ( संख्या २ ) विधेयक, १९६२ ।

**अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना**

( १ ) श्री भीमसेन, ने ग्राम सत्तासर, तहसील बीकानेर के लोगों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुलिस की सहायता से दुबारा लगान की वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

( २ ) श्री भैरोंसिंह, ने सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत खिरोटी के नवनिर्वाचित सरपंच को अपने पद का चार्ज न दिलाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, पंचायत विभाग का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री नाथूराम मिर्धा, पंचायत मंत्री ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

( ३ ) श्री हरिशंकर, ने धौलपुर में टाइफोइड रोग के फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बरकतुल्लाखां, स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

( ४ ) श्री मानिकचन्द सुराणा, ने राजस्थान के श्रमजीवी पत्रकारों को नियमानुसार वेतन भुगतान में संचालकों द्वारा विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री भीखाभाई, श्रम मंत्री ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

( ५ ) श्री विजयसिंह झाला, ने उदयपुर नगर परिषद् की कालावधि में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बरकतुल्लाखां, स्वायत शासन मंत्री ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

**विधायी कार्य—विचारार्थ लिये गये विधेयक**

स्कम्भ

**१. राजस्थान मोटर स्पिरिट कर ( संशोधन ) विधेयक, १९६२** ७३३६

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

**२. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२** ७३८३

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, पंचायत विभाग के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, पंचायत विभाग के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव वापिस लिया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

विधेयक, खण्डशः विचार के पश्चात्, सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

**३. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२** ७४२२

श्री बरकतुल्लाखां, स्वायत्त शासन मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री हरिप्रसाद ( ६३ ) ने इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

( १ ) श्री मुरलीधर व्यास,
( २ ) श्री जोधसिंह,
( ३ ) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री बरकतुल्लाखां, स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक १ बज कर, ११ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ का उत्तर देखिये )

**स्टेटमेन्ट भूमि अलॉटमेन्ट से सम्बन्धित पेन्डिग प्रार्थना-पत्र, तहसील लसाड़िया**

| क्रम सं० १ | नाम पटवार सर्कल २ | तादाद प्रार्थना-पत्र ३ | कब से पेन्डिग है ४ | वजह पेन्डिग ५ |
|---|---|---|---|---|
| १. | लसाड़िया | ३३ | जुलाई, सन् ६१ से | |
| २. | मोजापुर | १०१ | ,, | |
| ३. | पारसोला | २३२ | ,, | |
| ४. | खूंता | ६४ | ,, | |
| ५. | धामनिया | २२ | ,, | |
| ६. | अगड़ | १३ | ,, | |
| ७. | टेकन | ४४ | ,, | |
| ८. | मूंगाना | २२० | ,, | |
| ९. | अणन्त | १८४ | ,, | |
| १०. | पिंपलिया | ४५ | ,, | |
| ११. | कूंण | १ | ,, | |
| १२. | बलीचा | २४ | ,, | |
| १३. | परियावद | २०२ | ,, | |
| १४. | केसरियावाद | ४० | ,, | |
| १५. | मरेव | १७ | ,, | |
| १६. | लोहागर | २०१ | ,, | |
| १७. | थदवास | ५३ | ,, | |
| १८. | कालीभीत | ६ | ,, | |
| १९. | पारेल | १५६ | ,, | |
| २० | मांडवी | २०० | ,, | |
| | | १,८६४ | | |

## शुद्धि-पत्र

( शुक्रवार, दिनांक ११ मई, १९६२ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७२४९ | १२ | ६१,. | ६१. |
| ७२५६ | १६ | विधुत् | विद्युत् |
| ७२५७ | ६ | उप मत्री, उद्योग | उप मंत्री, उद्योग |
| ,, | १७ | नुक्शान | नुकसान |
| ७२६७ | अन्तिम | ५: ४४१ बीघा | ५, ४४१ बीघा |
| ७२७२ | ८ | कई दरर्ब्वास्तें | कई दर्ख्वास्तें |
| ७२७४ | १ | नाल बड़ी | नाल-बड़ी |
| ७२८३ | ५ | मुख्यतया डाड़े (लकड़ी) | मुख्यतया डोडे (लकड़ी) |
| ७२९९ | शीर्षक | ११ मइ, ६२ | ११ मई, ६२ |
| ७३०२ | अन्तिमसे६ | श्री : दिनेशरायडांगी | श्री दिनेशराय डांगी |
| ७३०३ | ,, ४ | बिस्वा | बिस्वा। |
| ७३०५ | ५ | कटिनाई | कठिनाई |
| ,, | अन्तिम से ८ | इन्डिपेंडेंट बॉटी | इन्डिपेंडेंट बॉडी |
| ७३०८ | शीर्षक | तारांकि प्रश्नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ७३१३ | शीर्षक | ११ मई, ६३ | ११ मई, ६२ |
| ७३१७ | ६ | राजस्थान | राजस्थान |
| ७३२१ | शीर्षक | ११ भई, ६२ | ११ मई, ६२ |
| ७३२६ | शीर्षक | सम्वधी | सम्बन्धी |
| ७३३० | १७ | (मीखाभाई) | (श्री मीखाभाई) |
| ७३३६ | अन्तिम से६ | Lateron | Later on |
| ७३३७ | ११ | वार | बार |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७३३७ | अंतिम से ८ | मग | मांग |
| ७३४५ | ७ | धान | घाटा |
| ७३५३ | अन्तिम से ३ | घोटला | घोटाला |
| ७३५६ | १० | डयूटीज़ | ड्यूटीज़ |
| ७३५७ | १७ | नर्मी हूं | नहीं हूं |
| ,, | अंतिम से५ | महात्मा गंधीजी | महात्मा गांधीजी |
| ७३६४ | अन्तिम से ३ | yery | very |
| ७३६७ | ३ | डिस्टलीरी | डिस्टीलरी |
| ७३७१ | १३ | सेक्टिटी | सैंक्टिटी |
| ७३८० | अंतिम | information, but not apoint of order | information, but not a point of order |
| ७३८४ | अन्तिम से३ | प्राराम | प्रारम्भ |
| ७३८७ | शीर्ष | (श्री विजयसिंह भाला) | (श्री सभापति) |
| ,, | १४ | दूसरो | दूसरी |
| ७३९५ | ७ | हैं, | हैं, |
| ७३९७ | शीर्षक | जिल | जिला |
| ७४०७ | १५ | चनाव | चुनाव |
| ७४०९ | २ | चनाव | चुनाव |
| ७४२५ | शीर्षक | गरपालिका | नगरपालिका |
| ,, | ६ | गहोदय | महोदय |
| ७४२६ | पेज नम्बर | ६४२६ | ७४२६ |
| ७४३३ | शीर्षक | मई, ६२ | ११ मई, ६२ |
| ,, | अंतिम से ४ | qeneral | general |